राजभाषा हिन्दी – 1

एम.ए , हिन्दी Semester-III, Paper-I

पाठ के लेखक

डॉ. सूर्य कुमारी. पी.
एम.ए, एम.फिल, पी-एच.डी.
हिन्दी विभाग
हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ.डी. नागेश्वर राव
एम.ए, एम.फिल, पी-एच.डी.
सहायक फ्रोफेसर (सीनियर)
SCSVMV डीम्ड यूनिवर्सिटी
काँचीपुरम –तमिलनाडू

डॉ. एम. मंजुला
एम.ए, एम.फिल, पी.एच.डी.
हिन्दी विभाग
रामकृष्ण हिन्दू हाई स्कूल
अमरावती, गुंटूर।

डॉ.एस . फिरजी मनोहर
एम.ए, एम.फिल, पी.एच.डी
हिन्दी विभाग (GDAST)
हैदराबाद विश्वविद्यालय
हैदराबाद।

लेखक और संपादक

प्रो . सी . अन्नपूर्णा
एम.ए, एम.फिल, पी.एच.डी.
हिन्दी विभाग
हैदराबाद विश्वविद्यालय

निर्देशक
डॉ . नागराजु बट्टू
M.H.R.M, M.B.A, L.L.M, M.A(Psy), M.A(Soc), M.Ed., M.Phil., Ph.D.
दूरस्थ शिक्षा केंद्र, आचार्या नागार्जुना विश्वविद्यालय
नागार्जुना नगर – 522510
Phone No-0863-2346208, 0863-2346222,
0863-2346259 (अध्ययन सामाग्री)
Website : www.anucde.info
E-mail : anucdedirector@gmail.com

एम. ए. हिन्दी - राजभाषा हिन्दी – 1

First Edition :2023

© Acharya Nagarjuna University

This book is exclusively prepared for the use of students of एम.ए, हिन्दी Centre for Distance Education, Acharya Nagarjuna University and this book is meant for limited circulation only.

Published by:

Dr. NAGARAJU BATTU,

Director

Centre for Distance Education

Acharya Nagarjuna University

Printed at:

FOREWORD

Since its establishment in 1976, Acharya Nagarjuna University has been forging ahead in the path of progress and dynamism, offering a variety of courses and research contributions. I am extremely happy that by gaining 'A' grade from the NAAC in the year 2016, Acharya Nagarjuna University is offering educational opportunities at the UG, PG levels apart from research degrees to students from over 443 affiliated colleges spread over the two districts of Guntur and Prakasham.

The University has also started the Centre for Distance Education in 2003-04 with the aim of taking higher education to the door step of all the sectors of the society. The centre will be a great help to those who cannot join in colleges, those who cannot afford the exorbitant fees as regular students, and even to housewives desirous of pursuing higher studies. Acharya Nagarjuna University has started offering B.A., and B.Com courses at the Degree level and M.A., M.Com ,M.Sc., M.B.A., and L.L.M., courses at the PG level from the academic year 2003-2004onwards.

To facilitate easier understanding by students studying through the distance mode, these self-instruction materials have been prepared by eminent and experienced teachers. The lessons have been drafted with great care and expertise in the stipulated time by these teachers. Constructive ideas and scholarly suggestions are welcome from students and teachers involved respectively. Such ideas will be incorporated for the greater efficacy of this distance mode of education. For clarification of doubts and feedback, weekly classes and contact classes will be arranged at the UG and PG levels respectively.

It is my aim that students getting higher education through the Centre for Distance Education should improve their qualification, have better employment opportunities and in turn be part of country's progress. It is my fond desire that in the years to come, the Centre for Distance Education will go from strength to strength in the form of new courses and by cateringtolargernumberofpeople.MycongratulationstoalltheDirectors,AcademicCoordinators, EditorsandLesson-writersoftheCentre who have help edit the seen devours.

Prof. P. RajaSekhar
Vice-Chancellor
Acharya Nagarjuna University

M.A (HINDI)

SEMESTER – III

PAPER –I: OFFICIAL LANGUAGE HINDI

301HN21 – *राज भाषा हिन्दी -1*

पाठ्य पुस्तकें :-

1. राजभाषा हिन्दी – डॉ . कैलाश चंद्र भाटिया पब्लिकेशन , वाणी प्रकाशन ,नई दिल्ली।
2. व्यावहारिक राजभाषा – ***Noting & Drafting,*** डॉ . आलोक कुमार रस्तोगी , जीवन ज्योति प्रकाशन , 3-14,***3014*** चरक्केवालान, दिल्ली – 110 006 .
3. राजभाषा प्रबंधन – गोवर्थन ठाकुर , मैथिली प्रकाशन , हैदराबाद।

पाठ्यांश :

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति ।
2. भारत में राजभाषा का इतिहास ।
3. भारतीय संविधान और राष्ट्रपति के आदेश ।
   - **I.** भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान (अनुच्छेद एवं अष्टम अनुसूची)।
   - II. भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए आदेश।
4. राजभाषा अधिनियम , 1963 .
5. राजभाषा संकल्प , 1968 .
6. राजभाषा नियम , 1976 (यथासंशोधित)।
   - **I** . राजभाषा विभाग।
   - **II.** केंद्रीय हिन्दी निदेशालय।
   - **III.** वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग।
   - **1V .** विधि शब्दावली आयोग।
   - **V.** केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो।
   - **VI.** हिन्दी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान।

7. **(क)** विविध अमितियों का गठन और उनके कार्यकलाप।

I. केंद्रीय हिन्दी समिति।

II. संसदीय रकभाषा समिति।

III. हिन्दी सलहकार समिति।

IV. नगर, राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

V. राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

(ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के पहलू ।

I. राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित प्राथमिक अपेक्षाएँ ।

II. हिन्दी में कार्य करने की यांत्रिक सुविधाएँ और उन पर प्रशिक्षण।

III. प्रयोजन मूलक हिन्दी से संबंधित संदर्भ साहित्य।

IV. भारत सरकार के आँय महत्वपूर्ण अनुदेश।

V. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों का गठन।

VI. वार्षिक कार्यक्रम।

VII. हिन्दी / हिन्दी टंकण / आशुलिपि सेवाकालीन प्रशिक्षण।

VIII. प्रोत्साहन योजनाएँ।

IX. कार्यालयों / कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ

<u>सहायक ग्रंथ</u> :-

1. हिन्दी आलेखन ,रामप्रसाद किचलू, राजेश्वर, पब्लिकेशन्स, 19 बी /13 एलगिन रोड इलाहाबाद।

अनुक्रमणिका

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति और भारत में राजभाषा का इतिहास 1.1-1.14

2 भारतीय संविधान और राष्ट्रपति के आदेश 2.1-2.19

3. राजभाषा हिन्दी- संवैधानिक प्रावधान - 1 3.1-3.12

राजभाषा अधिनियम 1963

4. राजभाषा हिन्दी- संवैधानिक प्रावधान - 2 4.1-4.13

राजभाषा अधिनियम 1968

राजभाषा संकल्प196 8

5. राजभाषा से संबंधित कार्यात्मक निकायों का गठन 5.1-5.12

6. विविध समितियों का गठन और उनके कार्यकलाप और कार्यान्वयन 6.1-6.17

7. प्रयोजनमूलक हिन्दी और राजभाषा 7.1-7.11

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति और भारत में राजभाषा का इतिहास

1.0. उद्देश्य

इस अध्याय में हम भारत की राजभाषा नीति से संबंधित अंशों को पढ़ेंगे। भाषा के विविध रूप, हिन्दी भाषा का विकास, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राजभाषा नीति और भारत में राजभाषा का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप भारत में राजभाषा की स्थिति उससे संबंधित घटनाओं के बारे में जान पायेंगे।

रूपरेखा

1.1. प्रस्तावना

1.2. हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास – भारत की भाषा - समस्या

1.3. राष्ट्रभाषा -राजभाषा

1.4. राजभाषा हिन्दी – परंपरा और विकास - स्वरूप

1.5. राजभाषा नीति

1.6. सारांश

1.7. बोध प्रश्न

1.8. सहायक ग्रंथ

1.1. प्रस्तावना

किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं –सामान्य और विशिष्ट। सामान्य जीवन में प्रयुक्त होनेवाली भाषा सामान्य भाषा कही जाती है तथा विशेष प्रयोजन या लक्ष्य केलिए प्रयुक्त होने वाली भाषा विशिष्ट भाषा या प्रयोजन मूलक भाषा कही जाती है। इसके दो पक्ष है – व्यावहारिक पक्ष, कामकाजी पक्ष। प्रयोजनमूलक हिन्दी के विषय में यह कहनाशत –प्रतिशत सही है कि यह विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यकलापों और व्यवसायों में प्रयुक्त होने के कारण कई रूपों में दिखाई देती है।

जैसे:- तकनी की भाषा - विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रि की आदि केलिए प्रयुक्त भाषा।

कार्यकलापी भाषा: सरकारी कामकाज की भाषा।

वाणिज्यिक भाषा : बैंक, व्यापार, बाजार की भाषा।

जनसंचारी भाषा : पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो और विज्ञान की भाषा।

सामाजिक भाषा : सामाजिक कार्यव्यवहार की भाषा।

साहित्यिक भाषा : कहानी, कविता, निबंध आदि साहित्य की भाषा।

भाषा की इन सभी रूपों को हम हमेशा उपयोग करते रहते है ।हमारे भारत जैसी बहुभाषी देश में सब को एक सूत्र में बाँधने केलिए एक भाषा की आवश्यकता होती है वही हिन्दी भाषा है। हिन्दी भाषा का उद्भव, विकास के साथ –साथ यह भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनने की स्थितियों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे।

1.2 हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास - भारत की भाषा समस्या

भारत की भौगोलिक विकास - ब्रह्मर्षि, ब्रह्मावर्त, मध्यदेश के रूप में विकसित हुयी है। इसी मध्यदेश का व्यवहार हिन्दी भाषा – भाषी क्षेत्र केलिए होता है। यह उदात्त भारतीय संस्कृति का केंद्र बिन्दु एवं भारतीय आर्य भाषाओं का वह उद्गम प्रदेश है जो वैदिक युग से लेकर आज तक अति शयरक्षणशील और पवित्राभिमानी रहा है। हिन्दी भाषा – विकास –परम्परा इसी स्थल से सम्बध रखती है। सर्वाधिक विद्वानों के मत से यह परम्परा – वैदिक संस्कृत - पाली - प्राकृत – अपभ्रंश - अवहट्ठ – हिन्दी रूप में विकसित हुई है। वैदिक भाषा वैदिकयुग की राजभाषा थी, इस में प्रजातांत्रिक वर्ग राजा का निर्वाचन, सभा अथवा समिति का महत्व, प्रशासकीय महत्व, राजसीमा की रक्षा, राज्य को संगठित करना, शासनाध्यक्षों की उपाधियाँ, राजा द्वारा राष्ट्र एवं राज्य की शपथ आदि की विस्तृत और व्यापक चर्चा प्राप्त होती है। ये सब कार्य वैदिक भाषा में होते थे। इस से स्पष्ट है कि उस समय की भाषा राजभाषा के पदपर आसीन थी।

मौर्य वंशी राजाओं के शासन काल में संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषाओं को विशेष प्रश्रय मिला था। किन्तु गुप्तवंशी राजाओं द्वारा संस्कृत को पुन: राजभाषा के पदपर एकाधिकार प्राप्त हुआ। संस्कृत सम्पूर्ण देश की समन्वय शक्ति बन भारत की सांस्कृतिक एकता का उद्घोष करती हुई पश्चिम से पूर्व एवं उत्तर से दक्षिण तक सर्वत्र छा गयी। दक्षिण में द्रविड़ प्रवेश पर भी इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। शंकर, सायण, निम्बार्क, मध्व-वल्लभ जैसे-दिग्गज संस्कृत आचार्यों का आविर्भाव संस्कृत के दक्षिण गमन एवं उसकी प्रतिष्ठा का सूचक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात्कन्या कुष्ण और वल्ल भी दो ऐसे साहित्यिक केन्द्र प्रकाशित हुए जहाँ पर संस्कृत की विशेष प्रतिष्ठा हुई, बाण से लेकर नैषध कार श्रीहर्ष तक शिक्षा और साहित्य का पीठ बना रहा। यही वह पुण्य भूमि थी जहाँ समय-समय पर बाण, भवभूति, राजशेखर आदि अनेक कवियों को प्रश्रय मिला और इसके सुखद वातावरण में उन्होंने अपनी काव्य – साधना का दीप जलाया। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि हर्ष की मृत्यु के साथ ही संस्कृत के सर्व तोन्मुखी विकास की गतिमन्द पड़ने लगी थी। प्रशासनिक कार्यों में संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा को विशेष महत्व दिया जाने लगा और तत्पश्चात राजभाषा के रूप में संस्कृत अपने स्थान से हटने लगी।

लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा का आगमन हुआ। पाली भाषा का सम्बन्ध बौद्ध साहित्य से है। राजभाषा के रूप में वह अशोक के द्वारा प्रचारित और प्रसारित की गयी। अशोक के शिला लेखों तथा उसके प्रशासन में इस भाषा का प्रयोग होता था। राजभाषा होने के कारण पाली लोक प्रिय भाषा थी, महात्मा बुद्धने अपने उपदेश इसी भाषा में दिये है। अशोक के काल में केंद्रीय स्तर पर पाली भाषा थी, और उन्हीं के समय प्राकृत के लक्षण शिला लेखों, राजाज्ञाओं में दिखाई पड़ने लगे थे। पाली जैसे बौद्धों की भाषा थी वैसे ही प्राकृत जैनियों की भाषा थी। जैन और बौद्ध

धर्म का उदय भारत में लगभग समान समय में हुआ है अतः इनके द्वारा प्रयुक्त भाषाओं के विकास में भी समयगत अन्तर अधिक नहीं है।

साहित्य – मरण सिद्धांत के अनुसार जब भाषा परिनिष्ठित होकर विशिष्ट वर्ग तथा साहित्यिक ग्रंथों तक सीमित हो जाती है तो नयी भाषा का सृजन होता है और यह कार्य जनता स्वतः सहज ढंग से करलेती है। संस्कृत की भाँति पाली, प्राकृत जब जन से विशिष्ट वर्ग और साहित्यिक ग्रन्थों तक सीमित होती गयी। तदुपरांत अपभ्रंश भाषा का प्रदुर्भाव हुआ। अपभ्रंश जहाँ हिन्दी भाषा के अत्यंत प्रारंभिक रूप को उद्घाटित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभा रही थी, वही दूसरी ओर विदेशी शासकों और आक्रमण कारियों के माध्यम से आये हुए अरबी और फ़ारसी के शब्द अपना भारती करण करके तत्का लीन प्रशासन और परम्परा की अभिव्यक्ति में योगदान दे रही थी।

इस तरह आर्यों ने जब 1500 ई.पू. के लगभग भारत में प्रवेश किया तो वे वैदिक संस्कृत बोलते थे। स्थानीय प्रभावों के कारण बहुत जल्दी वैदिक संस्कृत काल में उस भाषा की तीन भारतीय बोलियाँ विकसित हो गई-पश्चिमोत्तरी, 'मध्यवर्ती', 'पूर्वी'। आगे चलकर पाली काल में एक और स्थानीय बोली 'दक्षिणी' का विकास हो गया। इस प्रकार स्थानीय बोलियों की संख्या चा रह गई। प्राकृत काल में मुख्य स्थानीय बोलियाँ धीरे-धीरे छः सात हो गई, जिनके नाम थे : ब्राचड, केकय, टक्क, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्थमागधी, मागधी । इन्ही से अपभ्रंश काल में सात अपभ्रंशीय स्थानीय बोलियों का विकास हुआ जिन्हें प्राकृतों के नाम के आधार पर उन्हीं नामों से पुकारा जा सकता है। इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाएँ उद्भव हुई है । ब्राचड →सिंधी, कैकेय→लहँदा ;टक्क→पंजाबी;महाराष्ट्री→मराठी;शौरसेनी→गुजराती,राजस्थानी, पश्चिमीहिंदी, पछाडी; अर्धमागधी→ पूर्वी हिन्दी; मगधी→ बिहारी, बाँगला, असमी, उड़िया। इस प्रकार हिन्दी जों पाँच उपभाषाओं (पश्चिमीहिन्दी, पूर्वीहिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी)का सामूहिक नाम है, शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से 1000 ई. के आस-पास उद्भूत हुई। बाद में हिन्दी काव्यापक प्रचार-प्रसार तत्कालीन संतों और भक्तों ने किया। संतों ने फ़ारसी और संस्कृत को छोड़कर खड़ीबोली अपनायी। निर्गुण और संतों केबाद वैष्णव धर्म ने हिन्दी कोव्यापकता प्रदान की। मुस्लिम शासन काल में राम और कृष्ण भक्ति अवधि और ब्रज के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। भक्ति के संचार में दक्षिण आचार्यों का उत्तर भारत में भक्ति प्रसार का सहयोग निहित था। विदेशी आक्रांता सुदूर दक्षिण पर अपना दमन कारी प्रभाव उत्तर की अपेक्षा नहीं छोड़ सके। फल स्वरूप वहाँ के साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण की छवि मिलन नहीं हो पायी। भक्ति की लहर जो उत्तर से दक्षिण की ओर आयी उससे प्रभावित हो कर एक नया जागरण देखने को मिला।

हिन्दी की व्यापकता विभिन्न राज्यों में देखने को मिलती है - महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल और मराठा शासनकाल में हिन्दी की अक्षय निधि भरी पड़ी हैं। मुस्लिम काल में धर्म और अर्थ वही दो मुख्य कारण थे जिससे अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का विस्तार हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक संधि काल में फ़ारसी देश की मुख्य राजभाषा थी। साथ ही अरबी का प्रचलन था, वह मुसलमानों की मजहबी जुबान थी। ईस्टइंडिया कंपनी आगमन से ही भारत पर कालिमा छा गयी। वैलेजली ने कर्मचारियों को जनभाषा ज्ञान कराने के लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सैमिनरी की स्थापना की। कालान्तर में यही संस्था फोर्टविलियम कालेजके रूप में परिवर्धित हो गई। कालेज के मुंशियों तथा पंडितों द्वारा विविध भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना हुई

। लेकिन कम्पनी की भाषा नीति अच्छी न थी, कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना हिन्दी के प्रति भक्ति नहीं, अपितु जनता को विश्वास में लेकर, उनके करीब जाकर, उन्हीं की भाषा में झूठा अपनत्व दिखा कर शोषण करना था। कम्पनी सरकार की निजी भाषा अंग्रेजी थी, वह इसे राजभाषा का स्थान प्रदान कराने में सक्रिय थी । स्वाधीनता संघर्ष में स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशीपन के प्रभाव से निज भाषा आन्दोलन ने और जोर पकड़ा। यह आन्दोलन विविध प्रादेशिक भाषाओं से भी सम्बन्धि तथा। निजभाषा के रूप में हिन्दी आन्दोलन का अभूतपूर्व महत्व था। हिन्दी आन्दोलन में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं तथा साहित्यिक संस्थाओं का योगदान था। राजनीतिक संस्थाओं में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना से हिन्दी को बढ़ावा मिला। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में 'राष्ट्रभाषा सम्मेलन' का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अन्तर प्रादेशिक कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में कराने के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ ।

हिन्दी प्रचा रमें गाँधीजी का उल्लेखनीय योगदान है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने भरपूर कार्य किया। 1942-45 के आस-पास हिन्दी हिन्दुस्तानी को लेकर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुलकलाम आजाद और पं. नेहरु के साथ गांधीजी ने सम्मेलन से नाता तोड़ लिया। तदुपरान्त हिन्दुस्तानी प्रचारसभा, वर्धा नामक संस्था की स्थापना की। दक्षिण हिन्दी सेवा विभूतियों में 'काकाकालेलकर' और 'विनायकदामोदर सावर' कर के नाम आदर से लिये जाते हैं। 1927 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय मद्रास का नाम बदल कर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास कर दिया गया। हिन्दी के विकास में गुजरात विद्यापीठ-अहमदाबाद, हिन्दुस्तानी अकादमी–प्रयाग, महाराष्ट्र भाषा प्रसार समिति-पूना, हिन्दी विद्यापीठ-बंबई, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा - वर्धा, बिहार राष्ट्रभाषा - पटना, अखिल भारतीय हिन्दी परिषद तथा साहित्य अकादमी – नई दिल्ली के नाम उल्लेखनीय है।

15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय सन 1946 में ले लिया गया था किस भाषा के काम काज की भाषा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी होगी पर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा। 14 जुलाई 1947 को यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि हिन्दुस्तानी केस्थान पर हिन्दी शब्द रखा जाए। प्रारम्भ में जो संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, उस में राजभाषा विषयक कोई धारान हीं थी। अनेक बहसों और बैठकों के बाद 14 सितंबर 1947 को राजभाषा के रूप में हिन्दी समाद्रत हुई।

भारत की भाषा समस्या : भारत की भाषा-समस्या सुलझ कर भी उलझी हुई – सी है । भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियाँ और अनेक भाषाओं का होना इसके अनुरूप ही है। भारत में भाषाओं औ रबोलियों की संख्या, यहाँ लगभग सात सौ है, जो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रोए शियारिक और चीनी इन चार परिवारों की है। इनमें प्रमुख है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांगला, उड़िया, आसामी और हिन्दी। इन में उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं में शब्द-समूह के साथ-साथ रूप-साम्य भी है। दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं की उत्तर भारत की भाषाओं से केवल शब्दावली में हीन्यू नाधिक समानता है। इसीलिए अनेक क्षेत्रों से अब भी रह-रह कर विरोधी स्वर सुनाई पड़ जाते है और लगता है कि बहुतों के मन में यह बात बैठी हुई है कि इस समस्या को जिस ढंग से सुलझाया गया है वह न्यायोचित नहीं है। भाषा की समस्या प्रमुखतः तीन प्रकार की है ?

शासन और न्याय की भाषा की समस्या, शिक्षा के माध्यम की समस्या, विदेशों से संबंध की समस्या। इनमें प्रथम के केंद्रीय, प्रान्तीय या प्रदेशीय और अन्तः प्रांतीय या अंतः प्रदेशीय तीन रूप है। न्याय और शासन के लिए केन्द्र में किस भाषा का प्रयोग हो। प्रांत या प्रदेश में किसका प्रयोग और एक प्रांत या एक प्रदेश से दूसरे के पत्र व्यवहार में किसका प्रयोग हो ? शिक्षा की दृष्टि से भी समस्या तीन प्रकार की है : प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा। विदेशों से संबंध का अर्थ है, उन से पत्र-व्यवहार किस भाषा में किया जाए ? स्पष्ट ही प्रांत में (प्रदेश) वहाँ की भाषा का प्रयोग होगा। यदि दो भाषाएँ है, तो दोनों का प्रयोग वैकल्पिक हो सकता है। शिक्षा का माध्यम अन्ततः तीनों स्तरों पर प्रांतीय (प्रादेशिक) भाषा होगी। अपनी भाषा के अतिरिक्त माध्यमिक स्तर के दो अन्य भाषाओं (एक अपने देश की राजभाषा और एक विदेशी भाषा) का अध्ययन होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा और प्रांतीय समस्याओं को हल करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। समस्या शेष रहती है केवल एक भाषा की, जिसमें न्याय तथा शासन आदि की दृष्टि से केंद्र का, केंद्र और प्रांतों का तथा प्रांत और प्रांत का एवं विदेशी सम्बन्ध का काम किया जा सके। यदि भारत की समुन्नत भाषाओं की संख्या बड़ी न होती तो यह समस्या विशेष कठिन न होती। अन्य देशों में एक या दो भाषाएँ होने से यह समस्या नहीं होती है। दूसरी के सम्बन्ध में भारतमें समस्या कुछ भिन्न है। विश्व के अन्य देशों में देखा तो दो-तीन से अधिक भाषाओं का प्रयोग केंद्र में कहीं नहीं होता। किन्तु भारत में उस रुप में दो-तीन भाषाओं को चुनना कई कारणों से संभव नहीं है। भारत में चार से दस प्रतिशत के बीच में ही अनेक भाषाएँ आती है। अतः अन्य देशों के सादृश्य के आधार पर भी दो-तीन भाषाओं को चुनना यहाँ कठिन है। इसका आशय यह है किकेंद्रीय तथा अन्तः प्रांतीय (प्रदेशीय) आदि कार्यों के लिए भी एक भाषा को चुनना ही अधिक सुविधाजनक है। व्यावहारिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी यही अच्छा है ।

लेकिन समस्या वस्तुतः यह है कि वह एक भाषा कौन-सी है जिसमें उपर्युक्त काम किये जाएँ ? उसे राजभाषा करें या राष्ट्रभाषा ? इसके समाधान में कुछ लोग संस्कृत का नाम लिया था। लेकिन संस्कृत की व्याकरण की जठिलता, रूपाधिरव्य के कारण इसे अधिक से अधिक लोग उपयोग नहीं कर पाते। कई करोड़ आबादी वाले इस देश में हजार व्यक्ति भी शायद ही मिलें जो इसका अधिकार के साथ बोलने और लिखने में प्रयोग कर सकें। दूसरा नाम अंग्रेजी का लिया जाता रहा है और अब भी लिया जाता है। वस्तुतः एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए, यह अपमानजन्य सिद्ध होगा कि एक विदेशी भाषा को इस सम्मानीय स्थान पर प्रतिष्ठित करे। जिस प्रकार हम अपने देश की पालन हम ही कर रहे है तो इस प्रसंग में भी हमें अपने ही भाषाओं में कोई एक भाषा चुननी पड़ेगी। इस प्रकार संस्कृत या अंग्रेजी को भारतकी राजभाषा नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों के बाद हिन्दी का नाम ही ले सकते हैं। क्यों कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या अधिक है।

अन्य भारती यभाषाओं में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का स्थान सब से आगे है। कुछ अंशों में तो हिन्दी भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। बोलने वालों एवं व्यवहार करने तथा समझने वालों की संख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तानी का स्थान जगत की महान भाषाओं में तीसरा है; इस के पहले केवल चीनी भाषा की उत्तरी बोली तथा अंग्रेजी का है। इस तरह हिन्दी या हिन्दुस्तानी आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा उपकरण है। यह हमारे भाषा विषयक प्रकाश का

एक महत्व साधन तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप है। वास्तव में हिन्दी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। हिन्दी को इस पद के योग्य बताने का एक और गुण इसकी प्रकृति है। डॉ. चटर्जी ने विस्तार से इसकी प्रकृति पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार-

(क) कुछ दृष्टियों में हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं के निकट है। आर्य भाषाओं से रूपों और शब्दों दोनों ही दृष्टियों से और द्रविड़ भाषाओं से वाक्य विन्यास, शब्द और मुहावरों की आधार भूत बातों की दृष्टि से।

(ख) सभी महान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाओं की भाँति हिन्दी भी अब प्रांतीय देश के संकुचित दायरे को छोड़ कर विश्व कोषीय स्थिति को प्राप्त कर रही है। वह एक अत्यंत उदार तथा युक्ति-युक्त नीति का अनुसरण करने वाली भाषा कही जा सकती है।

(ग)हिन्दी की शैली संक्षिप्त या लाघव पूर्ण एवं अलंकृत या विस्तार पूर्ण दोनों प्रकार की हो सकती है। यह एक ओजपूर्ण भाषा है।

(घ) 'करना', 'बनाना' आदि के साथ संज्ञा जोड़ कर यह अनेक भावों को व्यक्त कर सकती है। इससे क्रिया के रूप घट जाते है, तथा संज्ञा के प्रयोग के कारण क्रिया में स्पष्टता रहती है।

(ङ) इसकी ध्वनियाँ नापी-तुली और सुनिश्चित है। इस में स्वर-परिवर्तन की दुरूहता नहीं है। कठिन ध्वनियाँ भी इस में नहीं है।

(च) हिन्दी के व्याकरण के रूप भी अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में कम है।

इस प्रकार प्रकृति की दृष्टि से भी सामान्य व्यक्ति से भाषा तत्वज्ञ की दृष्टि में हिन्दी भारतीय भाषाओं में अपने पद की एकमात्र अधिकारिणी है तो अन्य बात जो हिन्दी के पक्ष में है वह है परम्परा की। संस्कृत के बाद पाली, पाली से शौर सेनी प्राकृत, इसके बाद शौर सेनी अपभ्रंश और इससे हिन्दी आती है। इस प्रकार परम्परागत रूप से भी हिन्दी सर्वमान्य भाषा है। इस प्रकार प्रचार-प्रसार, प्रकृति और परम्परा तीनों ही दृष्टियों से हिन्दी ही राष्ट्रया राज भाषा होने की स्थिति में है। महात्मा गाँधी भी राजभाषा के रूप में हिन्दी को तथा अखिल भारतीय लिपि के रूप में नागरी लिपि के समर्थक थे।

1.3. राष्ट्रभाषा- राजभाषा

राष्ट्रभाषा 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग किसी देश तथा वहाँ बसने वाली जनता दोनों के लिए होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उस में अनेक जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग सम्मिलित रहते हैं। विभिन्न प्रांतों के निवासी विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोलती हैं। इस विभिन्न के साथ ही साथ उन में एकता भी रहती है। पूरे राष्ट्र का शासन एक ही केंद्र, द्वारा संचालित किया जाता है। अतः राष्ट्र की एकता को और भी दृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। केंद्रीय सरकारी कार्य भी उसी भाषा में होता रहता है। ऐसी व्यापक भाषा राष्ट्रभाषा कही जाती है। 'राष्ट्र' शब्द में एक प्रकार की सामूहिक चेतना की भावना रहती है जो पूरे देश के निवासियों की भावना सम्बन्धित होती है। ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सार्वभौम भाषा की अपेक्षा होती है, वही सार्वभौम भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी प्रान्तीय

भाषाएँ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक दृष्टियों से समुन्नत नहीं होती और इस प्रकार के विषयों के लिए प्रान्तीय भाषाओं में शब्दावली का प्रायः अभाव रहता है। राष्ट्र भाषा को विविध विषयों के योग्य पारिभाषिक शब्दों से युक्त उन्नत और सक्षम बनाना पड़ता है । यह कार्य सभी स्थानीय भाषाओं में संभवन हीं होता, अतः राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्र भाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्र की एकता को दृढ़ करने केलिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। विदेशी विषयों को व्यक्त करने केलिए तथा विदेशी पत्र – व्यवहार केलिए भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रभाषा को देश की अधिकांश जनता की भाषा होना चाहिए। उसको लिखने-पढ़ने तथा समझने वाले प्रायः सभी प्रान्तों में होने चाहिए। उसे उन्नत तथा हर प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की बातों को व्यक्त करने में समर्थ होना चाहिए। राष्ट्र भाषा की लिपि तथा शब्दावली का वैज्ञानिक, सुन्दर तथा सरल होना चाहिए। राष्ट्र भाषा को राष्ट्रीय चेतना के संस्कृति तथा परम्परा की पोषक होती है। राष्ट्र भाषा ही राज्य-भाषा बनने योग्य होनी चाहिए ।

भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने में लगभग ये सारी आवश्यक गुण इस में है। हिन्दी का लगभग एक हजार वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दी ग्यारहवीं शताब्दी से ही प्रायः अक्षुण्ण रूप में राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी का विकास आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक अक्षुण्ण रहा है।

प्रशासन की भाषा को राष्ट्रभाषा कह लाती है, अस्तु सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है तथा राज्य सरकारें जिस भाषा में अपने पत्र आदि केंद्र सरकारी तथा केंद्रीय प्रशासन अपने संदेश राज्य सरकारों को संप्रेषित करता है वह राज भाषा कही जाती है। हमारे देश की केंद्रीय सरकार हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती है। केंद्र की राज भाषा को 'संघभाषा' भी कहा जाता है। सरकारी आदेश, आज्ञाएँ, विज्ञापन, पत्र-व्यवहार वगैरह इसी भाषा में मुद्रित और प्रसारित होते हैं। इस भाषा का प्रयोग मुख्यतः चार क्षेत्रों - शासन, विधान, न्यायपालिका और विधान पालिका में होता है। प्रशासन की भाषा होने के कारण कुछ लोग इसे 'कचहरी की भाषा' भी कहते हैं। भारत में समय-समय पर कई राज भाषाओं द्वारा शासन स्थापित किया गया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में संस्कृत ने राज भाषा का कार्य किया। मौर्यों के शासन का संचालन राज्य भाषा पाली ने किया। मुसलमानों के शासन काल में फ़ारसी राज भाषा बनी और अंग्रेजी के शासन काल में इस स्थान को अंग्रेजी भाषा ने ग्रहण किया। अब स्वतंत्र भारत में राज भाषा का सिंहासन हिन्दी को सौंपा गया है।

1.4. राजभाषा हिन्दी - परंपराऔरविकास - स्वरूप

ब्रिटिश शासन काल में भारत की राज भाषा अंग्रेजी थी। शासन का सारा कार्य अंग्रेजी में ही होता था। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी में ही होता था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह अनुभव किया गया कि शासन का सारा कार्य देश की अपनी भाषा में हो। अतः अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राज भाषा के रूप में अपनाया गया। भारत एक बहु भाषी देश है। वास्तव में बहु भाषी भारत हिन्दी में काफी समय से

संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। देश की अन्य भाषाओं की तुलना में उसे बोलने और समझने वालों की संख्या अधिक है। यह विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। इसलिए ही इसे भारत की राज भाषा बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ-साथ भारतीय संविधान लागू हुआ और हिन्दी को सरकारी काम-काज की भाषा स्वीकार किया गया। परंतु ब्रिटिश काल से चली आती राज-काज की भाषा अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग एक दमशुरू कर देना संभव नहीं था इसलिए अगले पंद्रह वर्षों की अवधितक राज भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा गया। यानी हिन्दी को राज भाषा स्वीकार तो किया गया लेकिन उसे राज भाषा के रूप में लागू करने की तारीख 1965 से स्वीकार की गई जिसका 1967 में एक बार संशोधित किया गया।

संविधान में राज भाषा संबंधी व्यवस्था: राज भाषा संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343-351 में दिए गए हैं। इसके मुख्य अंश इस प्रकार है –

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट किया गया है कि 'संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राज की य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

2. अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल, विधिद्वारा, उसराज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या, अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

3. 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।

4. 348: उच्चत मन्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया।

5. 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी का भी प्रयोग करने की व्यवस्था लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि के लिए कारवाई की गई थी। इस अवधि की समाप्ति पर अर्थात 26 जनवरी 1965 के बाद संसद के कार्य के लिए केवल हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होना था। किंतु बाद में संसद ने कानून बनाकर यह व्यवस्था की, कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा जाए।

1.5. राज भाषा नीति

भाग : 5

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा :

120 (1) भाग 18 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परन्तु, यथा स्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्य क्तिनहीं कर सकता, अपनी मातृ भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्य था उप बंधन करे तब इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की काला वधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो किया अंग्रेजी में ये शब्द उस में से लुप्त कर दिए गए हैं।

भाग: 6

विधान-मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा :

120 (1) भाग 18 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल कार्य राज्य की राज भाषा यह भाषाओं में यह हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा : परन्तु, यथा स्थिति, विधान सभा का अध्यक्षा या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला किसी सदस्यको, जो उपर्युक्त भाषाओं से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृ भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू-काश्मीर पर लागू नहीं हैं।)

(1) जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंधन करें तब तक इस संविधान के आरम्भ से पन्द्रहवर्ष की काला वधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उस में से लुप्त, कर दिए गए हों "परन्तु हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी मानो कि उसमें आने वाले 'पन्द्रहवर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हो।

भाग : 7

1. संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासनीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिन के लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप अतिरिक्त रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद, उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का।

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबन्ध कर सकेगी जो किसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए।

1.6. सारांश

भारत एक बहु भाषी राष्ट्र है। यहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती है। इस देश को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक अनेक विदेशी शासकों ने पालन किया । परंतु यहाँ के सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एकता का मुख्य कारण अनेकता में एकता का बंधना इसका एक प्रमुख कारण राष्ट्र की एक भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत मध्य काल में पाली, फ़ारसी, आधुनिक काल में अपभ्रंश हिन्दी यहाँ की राज भाषाएँ बनी थीं । आज हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी जो है यह प्राचीन काल से विकसित हुई भाषा है। इस इकाई में हम हिन्दी का विकास, राष्ट्र भाषा और राज भाषा के रूप में हिन्दी की विशिष्टता के बारे में पढ़चुके है। आगे की इकाइयों में हिन्दी को राज भाषा के रूप में बनाने की विधि-विधान के बारे में, बढ़ राज भाषा नियम, संकल्प और राष्ट्रपति आदेश के बारे में पढ़ेंगे।

1.7. बोधप्रश्न

1) हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में लिखिए।

2) भारत में भाषा की इतिहास के बारे में सविस्तार चर्चा कीजिए।

3) राज भाषा – राष्ट्रभाषा अंतर बताते हुए हिन्दी भाषा को ही भारत की राजभाषा, राष्ट्र भाषा के रूप में ग्रहण करने के कारणों को बताइए।

1.8. सहायक ग्रंथ

1. राजभाषा हिन्दी -डॉ. कैलाश भाटिया

2. राजभाषा हिन्दी -डॉ. भोलानाथ तिवारी

डॉ. एम. मंजुला

2. भारतीय संविधान और राष्ट्रपति के आदेश

2.0. उद्देश्य

इस इकाई में संविधान के निर्देशों के अनुसार 1965 तक राजभाषा हिंदी के विकास के लिए किये गये प्रयत्नों का परिचय प्राप्त करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- राजभाषा आयोग की और उस पर संसदीय समिति की संस्तुतियों की चर्चा कर सकेंगे;
- उक्त दोनों के आधार पर 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कर सकेंगे;
- 1963 के राजभाषा अधिनियम की प्रस्तुति की भूमिका तथा उससे उत्पन्न विवादों का वर्णन कर सकेंगे; और
- आदेश की मूल भावना को पहचान सकेंगे।

रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना

2.2. राजभाषा आयोग

2.3. संसदीय समिति का गठन

2.4. राष्ट्रपति का आदेश, 1960

2.4.1 राष्ट्रपति के आदेश का मूल रूप

2.4.2 राष्ट्रपति के आदेश का विवेचन

2.5. अधिनियम की ओर

2.6. सारांश

2.7. बोध प्रश्न

2.8. सहायक ग्रंथ

2.1. प्रस्तावना

संविधान ने नागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन व्यवस्था यह की गयी थी कि संविधान लागू होने से 15 साल तक, अर्थात् 1965 तक अंग्रेज़ी देश की राजभाषा रहे और इस बीच में हिंदी भाषा के विकास के प्रयत्न किये जाए, जिससे वह 1965 से राजभाषा के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। आप यह जानना चाहेंगे कि उन 15 वर्षों में हिंदी के विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गये। आप यह भी जानना

चाहेंगे कि क्या हिंदी अंग्रेज़ी के स्थान पर 1965 में देश की एकमात्र राजभाषा बन गयी। शायद आपका अनुभव यह बताता होगा कि आज भी देश में राजकाज के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। फिर आज देश की भाषाई स्थिति क्या है ? हमारी राजभाषा कौन-सी है ? राजभाषा के रूप में आज हिंदी की स्थिति क्या है ? अनुच्छेद 351 के निर्देशानुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं? इन सब प्रश्नों पर हम इस इकाई में चर्चा करेंगे।

संविधान के उपबंधों के संदर्भ में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को हम तीन प्रमुख चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण 1950 से 1963 तक का था, जिसमें विशिष्ट राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक रूप से प्राधिकृत करना था और हिंदी के विकास के लिए निश्चित रूपरेखा तैयार करने का था। इस अवधि में राष्ट्रपति के चार आदेश निकले और संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था। दूसरा चरण 1963 से 1967 तक का था । संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना था। इस चरण में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के संबंध में मतैक्य न होने के कारण कुछ संशोधन किये गये, जिससे अंग्रेजी को अनिर्दिष्ट समय तक सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया। तीसरा चरण 1967 के बाद का है, जिसमें 1967 के अधिनियम के आधार पर कार्यान्वयन संबंधी विविध प्रयास किये जा रहे हैं। आगे की इकाइयों में हम इन तीनों चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ 1950 से लेकर 1963 तक के घटना क्रम की चर्चा करते हुए राजभाषा हिंदी के विकास के लिये गये प्रयत्नों का अध्ययन करेंगे ।

2.2. राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को आदेश जारी किया जिसमें राज्यपालों और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया । 3 दिसंबर, 1955 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया-

i) जनता से व्यवहार

ii) प्रशासनिक रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकाएँ तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट

iii) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम

iv) जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है, उनके साथ पत्र व्यवहार

v) संधियाँ और करार

vi) अन्य देशों की सरकारों, राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार

vii) राजनयिक और कांसल के पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज़।

राष्ट्रपति का तीसरा (क्रम से दूसरा) आदेश 7 जून 1955 का है, जिसमें राजभाषा आयोग के गठन की सूचना है। यह गठन अनुच्छेद 344 (1) के उपबंधों के अनुसार किया गया था और आयोग को अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी थी। बंबई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बी. जी. खेर इस आयोग के अध्यक्ष थे और विभिन्न राज्यों के 20 अन्य प्रतिनिधि थे। आयोग के सामने निम्नलिखित मुद्दे थे-

1. संघ में हिंदी के किसी / किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग
2. किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी पर रोक
3. पत्राचार की भाषा का निर्णय

आयोग ने कई बैठकों में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से भेंट की और अपना प्रतिवेदन जुलाई 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों पर बल दिया था :

1) माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण

2) उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली

3) उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन

4) प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए किसी स्तर तक अनिवार्य ज्ञान

5) सेवा परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र

6) देवनागरी देश की सब भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि होगी।

आयोग ने देश की बहुभाषिक प्रकृति का ध्यान रखते हुए विधायी क्षेत्र और न्यायालयों की कार्रवाइयों में तथा विभागों / संगठनों द्वारा जनता से संपर्क के लिए क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया।

2.3. संसदीय समिति का गठन

आयोग की इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में एक संसदीय समिति का

गठन किया गया। इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। समिति ने आयोग की सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 1959 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार करने की राष्ट्रपति को सलाह दी। प्रमुख अंतर यही था कि आयोग की'अनिवार्य' शर्तों को समिति ने हल्का कर दिया और 1965 के बाद भी अंग्रेजी के चलते रहने का सुझाव दिया।

2.4. राष्ट्रपति का आदेश, 1960

संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के अनुसार समिति ने आयोग की सिफारिशों की परीक्षा की और उनपर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन पर संसद के दोनों सदनों में विचार-विमर्श हुआ। तदुपरांत 27 अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति ने आगामी कार्यक्रमों का संकेत करते हुए आदेश निकाला। हम आगे आदेश को मूल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका अध्ययन करने के बाद आप उसका विवेचन पढ़ेंगे।

2.4.1. राष्ट्रपति के आदेश का मूल रूप

ग) राष्ट्रपति का आदेश, 1960

गृह मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 2/8/60- रा० भा० की प्रतिलिपि

अधिसूचना

राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 1960

लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी, 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है।

1. संसदीय समिति की सिफारिशें

क) राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इस में योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है।

ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ राज्यों में शिक्षा और सरकारी काम-काज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अतः व्यावहारिक

दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम से कम असुविधा हो।

ग) 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी किन्तु उसके उपरान्त अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए।

घ) संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे, तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक रहे।

ङ) अनुच्छेद 351 का यह उपबन्ध कि हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं।

1) रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रख दी गई थीं और रिपोर्ट पर विचार-विमर्श लोकसभा में 2 सितम्बर से 4 सितम्बर, 1959 तक और राज्य सभा में 8 और 9 सितम्बर, 1959 को हुआ था। लोकसभा में इस पर विचार-विमर्श के समय प्रधानमंत्री ने 4 सितम्बर, 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था।

2) अनुच्छेद 344 के खंड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके बाद निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं।

3)**शब्दावली -** आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया वे ये हैं-

(1) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए;

(2) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए, या जहाँ भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए;

(3) सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहाँ तक हो सके अधिकतम एकरूपता हो; और

(4) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केन्द्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहाँ तक हो सके, एकरूपता होनी चाहिए और

शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के लिए एक ऐसा स्थायी आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् हों।

2. शिक्षा मंत्रालय निम्नलिखित विषय में कार्रवाई करे

1) अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विकास / विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, कम से कम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएं, अर्थात् मूल शब्द वे होने चाहिए जो आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम आते हैं। उनसे व्युत्पन्न शब्दों का जहां भी आवश्यक हो भारतीयकरण किया जा सकता है;

2) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबन्ध करने के विषय में सुझाव देना;

3)विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थायी आयोग का निर्माण।

4) प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद - इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि यह सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए ।शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कार्यविधि - साहित्य का अनुवाद करे। सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद, संविधियों के अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करे। इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों की शब्दावली में जहाँ तक हो सके एकरूपता रखी जाए।

5) प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण

(क) समिति द्वारा अभिव्यक्त मत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा-कालीन हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थाओं और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बात लागू न होगी । इस योजना के अंतर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त कर सकने के लिए कर्मचारी को कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए सुविधाएँ प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।

ख) गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइपराइटिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करे जो केन्द्रीय सरकार की नौकरी में हैं।

ग) शिक्षा मंत्रालय हिंदी टाइपराइटरों के मानक की-बोर्ड (कुंजी पटल) के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए।

6) हिन्दी प्रचार

(क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहाँ ऐसी संस्थाएँ नहीं हैं वहां सरकार आवश्यक संगठन कायम करे। शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है। वह कैसी चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाईकरे।

ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा - विज्ञान, भाषा - शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए और अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

7) केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती

(क) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करें और जनता के साथ पत्र-व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने के वास्ते योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकारी विभाग इस आवश्यकता को ध्यान में रखें कि यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रादेशिक भाषाओं में फार्म और विभागीय साहित्य उपलब्ध करा कर वहाँ की जनता को पूरी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में कर्मचारियों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, और कर्मचारियों का प्रादेशिक आधार पर विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए; इसके लिए भर्ती के तरीकों और अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के पदों पर कार्य करने वालों की बदली मामूली तौर पर प्रदेश के बाहर नहीं होती उन कोटियों के सम्बन्ध में यह सुझाव, कोई अधिवास * सम्बन्धी। प्रतिबन्ध लगाए बिना, सिद्धान्त मान लिया जाना चाहिए।

ग) समिति आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह विहित कर देना न्यायसम्मत होगा कि उसकी नौकरियों में लगने के लिए एक अर्हता यह भी होगीकि उम्मीदवार को हिन्दी भाषा का सम्यक् ज्ञान हो। पर ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके लिए काफी पहले से सूचना दे दी गई हो और भाषा -

योग्यता का विहित स्तर मामूली हो और इस बारे में जो भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता हो।

यह सिफारिश अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित की जाए, हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों में नहीं।

(क), (ख) और (ग) में दिए गए निर्देश भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधीन कार्यालयों के सम्बन्ध में लागू न होंगे।

8) प्रशिक्षण संस्थान

(क) समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिफेन्स अकादमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी ही बना रहे किन्तु शिक्षा सम्बन्धी कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

रक्षा मंत्रालय अनुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के हिन्दी में प्रकाशन आदि के रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करे, ताकि जहाँ भी व्यवहार्य हो वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग सुगम हो जाए।

ख) समिति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हों, किन्तु परीक्षार्थियों को यह विकल्प रहे कि वे सब या कुछ परीक्षा पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा को चुन लें और विशेष समिति यह जांच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहाँ तक शुरू किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे।

9) अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) परीक्षा का माध्यम समिति की राय है कि-

(1) परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी बना रहे और कुछ समय पाश्चात्य हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही परीक्षार्थी के विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट हो; और

(2) किसी प्रकार की नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

कुछ समय के पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करे । वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयाँ पैदा होने की सम्भावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

ख) भाषा विषयक प्रश्न पत्र समिति की राय है कि सम्यक् सूचना के बाद समान स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न - होने चाहिए जिनमें से एक हिंदी और दूसरा हिंदी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुन ले।

अभी केवल एक ऐच्छिक हिन्दी परीक्षा पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गए जो परीक्षार्थी इस परीक्षा-पत्र में उत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिंदी परीक्षा देनी होती है, उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने की शर्त से छूट दी जाए।

10) अंक - जैसा कि समिति का सुझाव है केन्द्रीय मंत्रालयों के हिन्दी प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग के संबंध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए, जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किस प्रकार की जनता के लिए हैं और उनकी विषयवस्तु क्या है । वैज्ञानिक, तकनीकी और सांख्यिकीय प्रकाशनों में, जिसमें केन्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी साहित्य भी शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए।

11) अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा –

क) समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें किन्तु उनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनती रहें पर उनके प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबन्ध भी विधि मंत्रालय करे।

ख) समिति ने राय जाहिर की है कि जहाँ कहीं राज्य विधान मण्डल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिंदी से भिन्न किसी भाषा में है, वहाँ अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखितों के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

12) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा- राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिंदी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है।

आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के पक्ष-विपक्ष में विचार किया और सिफारिश की कि जब भी इस परिवर्तन का समय आए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (decrees) और आदेशों की भाषा सब प्रदेशों में हिंदी होनी चाहिए, किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से आवश्यक विधेयक पेश करके यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (decrees) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिंदी राज्यों की राजभाषाएँ विकल्पतः प्रयोग में लाई जा सकेंगी।

समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अन्ततः अपना सब काम हिंदी में करे यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्रवाई उसी समय अपेक्षित होगी जब कि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगाजैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम (Tarmeem) करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, आज्ञप्तियों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।

13) विधि क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम-

मानक विधि शब्दकोश तैयार करने, केन्द्र तथा राज्य के विधान निर्माण से संबंधित सर्वाधिक ग्रंथ का पुनः अधिनियम करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णय विधि अंशतः हिंदी और अंग्रेज़ी में होंगे, उस अवधि में प्रारम्भिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संर्वाधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली तथा कोशों से संबंधित सम्पूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्रभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग या इस प्रकार का कोई उच्चस्तरीय निकाय बनाया जाए। समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केन्द्रीय सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समिति के सुझाव को दृष्टि में रख कर विधि मंत्रालय (यथासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए) सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिन्दी में अनुवाद संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थायी आयोग का निर्माण करें।

14) हिन्दी के प्रगामी (progressive) प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम- समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी (progressive) प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए।

तदनुसार गृह मंत्रालय एक योजना या कार्यक्रम तैयार करें और उसे अमल में लाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे । इस योजना का उद्देश्य होगा संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिंदी के प्रगामी (progressive) प्रयोग के लिए प्रारम्भिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (2) में किए गए उपबंध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग कहां तक किया जा सकता है यह बात इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुभव के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेर-फेर करना होगा।

2.4.2. राष्ट्रपति के आदेश का विवेचन

इन आदेशों की व्याख्या करने से पहले आप दो बातों पर गौर करें। पहली बात, क्या आपको इसकी भाषा संविधान की भाषा से कुछ अधिक सरल और बोधगम्य नहीं लगी? इसका कारण यह है कि जब कानून आदेश, निदेश या नियमों के रूप में सामने आता है, उसकी भाषा अधिक सरल हो जाती है । यह कानून की भाषा की विशेषता है, जिसके बारे में आप इकाई 16 में चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आदेश के हर मुद्दे में पहले आयोग की सिफारिश का उल्लेख है, बाद में (या साथ में) उस मुद्दे पर समिति की संस्तुति (पक्ष में या विपरीत मत के तौर पर) का उल्लेख है और अंत में आदेश का वह अंश है, जिसका परिपालन किया जाना चाहिए। अगर आप तीनों विचार बिंदुओं को समझ सकें, तो आप पायेंगे कि देश भाषा नीति के निर्धारण में किस तरह सुबके हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता रहा है।

राजभाषा के प्रयोग के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं- विधानांग (या विधायिका), न्यायांग (न्यायपालिका) और कार्यांग (कार्यपालिका)। विधानांग में भाषा नीति के बारे में संविधान में व्यवस्था घोषित की गयी थी। 1965 के बाद इसमें परिवर्तन संवैधानिक तौर पर एक अधिनियम द्वारा किया जाना था। इस संबंध में की गयी जानकारी आपको अगली इकाई में मिलेगी। इसी कारण आदेश में इस संबंध में उल्लेख नहीं है। संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति के अध्यादेश आदि कानून (या विधि) हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड (2) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति 1965 से पहले भी आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते थे। इसी के संदर्भ में 1960 के आदेश में विधायी भाषा के रूप में कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।

शासन का तीसरा और सबसे व्यापक अंग कार्यांग है। इसमें दो राय नहीं कि कार्यांग में हिंदी का प्रयोग बढ़ना चाहिए। आदेश में यह उल्लेख है कि संघ सरकार इसके लिए क्रमबद्ध योजना बनाकर उस पर कार्रवाई करे। शासन के तीनों अंगों में हिंदी के प्रयोग के क्षेत्रों को पहचानकर उनका उल्लेख करना एक बात है। उन क्षेत्रों में कार्य को गति देने के व्यावहारिक उपाय सुझाना और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना अधिक महत्वपूर्ण बात है। आदेश में हिंदी विकास की दिशाएँ, सेवा में भर्ती के लिए तथा सेवारत कर्मचारियों के लिए भाषा का प्रश्न, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रसार तीन प्रमुख बातें हैं, जिन्हें आदेश में शामिल किया गया है। हम आगे इन तीनों के बारे में आदेश की व्यवस्था को देखेंगे।

➢ न्यायांग में भाषा

नियम 12 में आदेश है कि विधि मंत्रालय विधेयक द्वारा उच्च न्यायालयों में निर्णय, डिक्री और आदेश के लिए हिंदी का विकल्प के रूप में प्रयोग करे। इसी तरह राज्यों की राजभाषाएँ भी इस प्रयोजन के लिए विकल्प हो सकेंगे। नियम 11 में आदेश है कि संसदीय विधियाँ अंग्रेज़ी में बनती रहें, लेकिन इनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह राज्यों के अधिनियमों/ विधेयकों तथा अन्य विधिक साहित्य के अनुवाद के लिए उचित समय पर विधेयक पेश करने की सलाह है।

विधिक साहित्य के अनुवाद के साथ विधि की शब्दावली की भी आवश्यकता होती है। नियम 13 में समिति की संस्तुति के अनुसार विधि मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी की विधि शब्दावली निर्माण के लिए एक स्थायी आयोग का गठन करे।

➢ कार्यांग में भाषा

नियम 14 के अनुसार गृह मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह कार्यपालिका में भाषा के लिए योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करे। इस कार्यान्वयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

1. हिंदी के क्रमिक (प्रगामी) प्रयोग को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाना
2. विभिन्न प्रशासन कार्यों में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

• हिंदी भाषा का विकास

यह शिक्षा मंत्रालय का दायित्व होगा कि वह हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के लिए एक आयोग का गठन करे। शब्द कैसे बनें और उनका स्वरूप क्या हो, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। (निदेश 3) शिक्षा मंत्रालय को संहिताओं और कार्यविधि साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी। (निदेश 4) कर्मचारियों को हिंदी में

प्रशिक्षित करने तथा हिंदी टंकण (टाइपिंग) और आशुलिपि में प्रशिक्षण देने का दायित्व गृह मंत्रालय का होगा। (निदेश 5)

- **हिंदी का प्रचार**

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भविष्य और साहित्यिक दृष्टि से भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने और हिंदी का विकास करने का दायित्व शिक्षा मंत्रालय तथा (तत्कालीन) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का होगा। शिक्षा मंत्राल स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से तथा उनके अलावा अन्य आवश्यक संगठनों के माध्यम से हिंदी का प्रचार बढ़ाए। (निदेश 6)

- **सेवा में भाषा**

निदेश 6, 7 तथा 8 में (सेवा में प्रवेश से पहले तथा सेवा में रहते हुए) भाषिक योग्यता के बारे में विचार प्रकट किये गये हैं। इन निदेशों की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं:

1. रक्षा मंत्रालय प्रशिक्षण में हिंदी को माध्यम बनाने के लिए कदम उठाए, हिंदी को प्रवेश परीक्षा में वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाने की कार्रवाई करे तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी माध्यम के रूप में अपनाने के बारे में समीक्षा करे।
2. गृह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से हिंदी को माध्यम बनाने के बारे में कार्रवाई करे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र शुरू करने का निदेश है।
3. अहिंदी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में हिंदी में अनिवार्य योग्यता न निश्चित की जाए।

- **संविधान में हिंदी**

i) राष्ट्रपति का आदेश 1965 के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में है।

ii) इस आदेश में संसद और विधान मंडल में राजभाषा के संदर्भ में उल्लेख नहीं है।

(iii) आदेश वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के निर्माण के लिए विधायी आयोग के गठन का निर्देश देता है।

iv) आदेश पूरे देश में सेवा के लिए अनिवार्य हिंदी की योग्यता का निर्देश नहीं देता।

v) उच्च न्यायालय राज्य की राजभाषा में फैसले सुना सकते हैं।

2.5. अधिनियम की ओर

संविधान ने 1965 तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखने तथा उक्त अवधि समाप्त होने से पहले ही संसद को विधि द्वारा नयी व्यवस्था स्थापित करने का निदेश दिया था। 1950 से 1960 तक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में विकसित करने, उसके प्रयोग क्षेत्रों को पहचानने तथा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में काफी प्रगति हो गयी थी। अब तक की गतिविधियों में भाषा नीति की तीन प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आयीं -

i) 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी का प्रयोग आवश्यकतानुसार जारी रखा जाएगा

ii) हिंदी को क्रमिक तथा योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा, इसके लिए भाषा विकास के आवश्यक कदम उठाये जाएँगे।

iii) हिंदी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकसित करने की सलाह थी।

यह नीति एक बहुभाषी समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार जनतांत्रिक थी, उदार थी। इसी दिशा में आगे बढ़ने पर राष्ट्रीय सहमत अपेक्षित थी। अगले कदम के रूप में 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन इस अधिनियम का तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ और राज्य में कई जगह हिंदी विरोधी उग्र प्रदर्शन हुए इसलिए 1963 के अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया।

तमिलनाडु में इस शताब्दी की दूसरी दशाब्दी में ही उच्च कुल के लोगों के वर्चस्वके विरोध में ई. वी. रामस्वामी नायक्कर ने जस्टिस पार्टी (न्याय दल) की स्थापना की और अंग्रेजों का समर्थन किया। बाद में नायक्कर ने द्रविड़ कलगम (द्रविड़ संघ) नामक दल का प्रवर्तन किया, जो द्रविड़ संस्कृति पर अलग द्रविड़स्थान की माँग लेकर चल रहा था। इस माँग का आधार यह था कि तमिलनाडु के ब्राह्मण आर्य हैं, अतः आर्य संस्कृति का बहिष्कार कर द्रविड़ संस्कृति की स्थापना करनी होगी जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो। इस तरह ब्राह्मण विरोध ने आर्य विरोध का रूप लिया और 'आर्यों' से संबंधित सभी बातें त्याज्य मानी गयीं। इसी के परिणामस्वरूप हिंदी विरोध और हिंदुत्व का विरोध इस दल के प्रमुख नारे थे। राजनीति के कारण द्रविड़ कलगम से अलग होकर अण्णादुरै के नेतृत्व में "द्रविड़ मुन्नेट्र कलगम" (प्रगतिशील द्रविड़ संघ) बना और बाद में एम. जी. रामचंद्रन के नेतृत्व में 'अखिल भारतीय अण्णा द्र. मु. क.' अलग हुआ। दो बार दल के विभाजन के बाद भी हिंदी विरोध दलों का समान नारा था (और अब भी है)। इन दलों का हिंदी विरोध के पक्ष में क्या तर्क है ? हम इन तर्कों का विवेचन कर लें।

i) पहला तर्क यह है कि हिंदी वास्तव में बहुसंख्यक आबादी की भाषा नहीं है, क्योंकि इसमें कई बोलियाँ हैं। जिसे हिंदी कहते हैं, वह तो मुट्ठी भर लोगों की भाषा है। हम पहले इसके खंडन में विवेचन कर चुके हैं कि हिंदी उस विशाल क्षेत्र की ही भाषा नहीं, जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, बल्कि इसका प्रयोग क्षेत्र पूरा देश है।

ii) दूसरा तर्क यह है कि यह भाषा समृद्ध नहीं है और प्राचीन भी नहीं है। राजभाषा होने के लिए प्राचीन होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी तरह साहित्यिक संपदा की अपेक्षा ज्ञान-विज्ञान का साहित्य, प्रक्रिया साहित्य, विधि साहित्य भी उतने ही

महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से भारत की कोई भी भाषा स्वतंत्रता के दिन राजभाषा के दायित्व के वहन के लिए सक्षम नहीं थी। लेकिन हिंदी इस कार्य के लिए योग्य थी, यह बात पिछले चालीस वर्ष के विकास से सिद्ध हो गयी है।

(iii) तीसरा तर्क यह है कि हिंदी का साम्राज्यवाद भारतीय भाषाओं को समाप्त कर देगा।

"साम्राज्यवाद" तो वास्तव में अंग्रेजी का था, क्योंकि उस समय भारतीय भाषाओं का कोई महत्व नहीं था। संविधान के अध्ययन में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं को विकास का पूर्ण अवसर देना हमारी नीति है।

iv) चौथा तर्क यह है कि अंग्रेजी ज्ञान-विज्ञान की भाषा है और हिंदी को लाने से हम ज्ञान-विज्ञान से दूर हो जाएँगे। यह तर्कसंगत है, फिर भी दो विचारणीय बिंदु हैं। सिर्फ अंग्रेज़ी ही क्यों, अन्य विदेशी भाषाओं से हम क्यों वंचित रहे। यह भी कि हमें अपनी भाषाओं का भी इतना ही विकास करना चाहिए जिससे देश की सारी आबादी के लिए ज्ञान-विज्ञान के रास्ते खुलें। अंग्रेजी शिक्षा से कुछ गिने-चुने लोग ही लाभ उठाते हैं। अंग्रेज़ी के आधिपत्य से यह खतरा है कि हमारी भाषाएँ विकास न कर पाएं।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिंदी विरोध नकारात्मक दृष्टि है और इससे अंग्रेज़ी को बल मिलता है और भारतीय भाषाओं का विकास रुक सकता है। सकारात्मक और व्यावहारिक दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम अपनी सारी भाषाओं का विकास करें और जन सामान्य को देश के उत्थान में कार्यशील होने का अवसर दें

2.6. सारांश

इस इकाई में हमने संविधान बनने के बाद से 1963 में राजभाषा अधिनियम बनने तक की घटनाओं का अध्ययन किया। इस अवधि में राजभाषा हिंदी के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई।संविधान के उपबंधों के अनुसार (अनुच्छेद 344) राजभाषा आयोग का गठन किया गया, उसकी सिफारिशों पर संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी राय दी और 1960 में राष्ट्रपति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्देश दिये।

संविधान ने 1965 तक अंग्रेज़ी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अधिनियम द्वारा नीति निर्धारण करने की बात थी कि 1965 के बाद अंग्रेजी की भूमिका क्या रहेगी। यह अधिनियम 1963 में प्रस्तुत किया गया। तमिलनाडु में इसके विरोध में उठ खड़े हुए विद्रोह के कारण इस अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया है।इसके अलावा राष्ट्रपति के आदेशों में मुख्यतः

i) न्यायांग में हिंदी के प्रयोग संबंधी निर्देश हैं।

(ii) हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के निर्देश हैं।

(iii) कर्मचारियों की हिंदी में योग्यता और सेवा परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के बारे में सुझाव हैं।

इस तरह 1950 में संविधान बनने के बार पहली बार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राजभाषा हिंदी के विकास के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हुए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों को आने वाली इकाई में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे।

2.7. बोध प्रश्न

1. राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन के बारे में विस्तार रूप से बताइए।

2. राष्ट्रपति का आदेश 1960 और राष्ट्रपति के आदेश का मूल रूप और राष्ट्रपति के आदेश का विवेचन के बारे में बताइए।

3. अधिनियमों की ओर एक दृष्टि डालिए।

2.8. सहायक ग्रंथ

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी-सिध्दांत और प्रयोग- दंगल झाल्टे- वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. राजभाषा हिन्दी -डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

3. राज भाषा प्रबंधन-गोवर्धन ठाकुर, मैथिलि प्रकाशन, हैदराबाद।

डॉ. सूर्य कुमारी. पी.

3. राजभाषा हिन्दी- संवैधानिक प्रावधान-1

3.0. उद्देश्य

संविधान द्वारा राजभाषा के पद पर आसीन होने के कारण हिन्दी का योजनामूलक रूप अत्यधिक उपयोगी तथा सक्रिय होने के साथ उसके प्रगामी प्रयोग की अनेक नई दिशाएँ उद्घाटित हुई हैं। अतः राजभाषा हिन्दी के बारे में भारत के संविधान तथा उसके प्रावधान के अन्तर्गत निर्मित राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम (संशोधन)1967 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों की चर्चा एवं विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इस इकाई में हमें सुविस्तार चर्चा करेंगे।

रूपरेखा

3.1. प्रस्तावना

3.2. संघ की राजभाषा

3.3. भारत का संविधान

3.4. संविधान की अष्टम अनुसूची

3.5. संविधान में राजभाषा-प्रावधान: कुछ विशिष्टताएँ

3.6. राजभाषा अधिनियम 1963 और परिभाषाएँ

3.7. राजभाषा के सम्बन्ध में समिति

3.8. राजभाषा अधिनियम 1963 की मुख्य विशिष्टताएँ

3.9. सारांश

3.10. बोध प्रश्न

3.11. सहायक ग्रंथ

3.1. प्रस्तावना

भारत के संविधान (Constitution of India) को 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी, 1950 से उसे लागू किया गया है। 14 सितम्बर, 1949 के दिन भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किये जाने का निर्णय संविधान सभा द्वारा किया गया था। अतः प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को भारत भर में"हिन्दी दिवस"का आयोजन किया जाता है।

भारतीय संविधान के (i) अनुच्छेद 343 में"संघ की राजभाषा" (ii) अनुच्छेद 344 में"राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति" (iii) अनुच्छेद 345, 346 तथा 347 में"प्रादेशिक भाषाएँ अर्थात राज्य की राजभाषा/राजभाषाएँ" (iv) अनुच्छेद 348 में"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा

अधिनियमों, विधेयकों आदि की भाषा" (v) अनुच्छेद 349 में"भाषी सम्बन्धी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया" (vi) अनुच्छेद 350 में"व्यथा के निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, प्राथमिक स्तरपर

मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ तथा भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी" (vii) अनुच्छेद 351 में"हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश"आदि से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों को विस्तृत रूप में यहाँ दिया जा रहा है और इसके बाद इन पर विश्लेषणात्मक चर्चा करने का भी प्रयास किया गया है।

3.2. संघ की राजभाषा

343 (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए प्रारम्भ के ठीक पहले उनका प्रयोग होता था, परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उक्त पंद्रह साल की अवधि के पश्चात :

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

- **राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति**

344 (1) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारम्भ में पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को-

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के,

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग। किए जाने वाले अंकों के रूप के, (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।

(3) खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोकसेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

3.3 भारत का संविधान

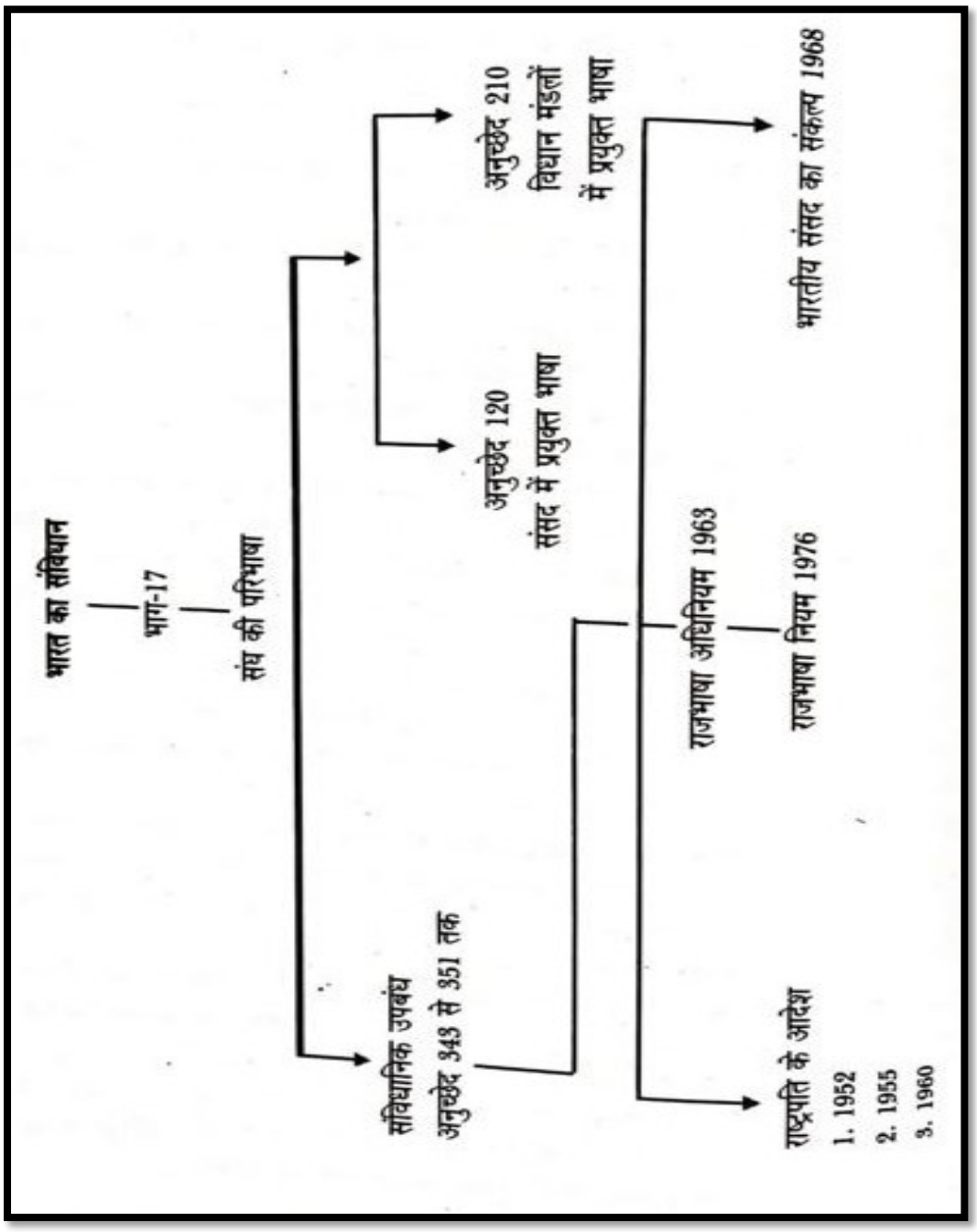

- **विशेष निदेश**

1. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

350 प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

2. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ

350 (क) प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निवेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

3. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

350 ख (1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। (2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन विषयों के सम्बन्ध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

4. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

351संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास २ जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और 6वाँ अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

5. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

120(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के ऊपर के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जा परन्तु, यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अ अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को. जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक दस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो"या अंग्रेजी में"शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

6. भारतीय संविधान की अष्टम् अनुसूची में समाविष्ट भाषाएँ

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलुगु
9. पंजाबी
10. बंगला
11. मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. सिन्धी
15. हिन्दी

सन् 1992 में विधि द्वारा तीन और भाषाओं को अष्टम् अनुसूची में शामिल किया गया-

1. कोंकणी
2. नेपाली
3. मणिपुरी

3.4. संविधान की अष्टम् अनुसूची

भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 (1) तथा 351 में उल्लिखित अष्टम् अनुसूची में सन् 1992 तक कुल 18 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह अनुसूची इस प्रकार है।

अष्टम् अनुसूची (अनुच्छेद 344 (1) और 351)-भाषाएँ

1. असमिया,2. उड़िया, 3. उर्दू, 4. कन्नड़, 5. कश्मीरी, 6. कोंकणी, 7. गुजरात, 8. तमिल, 9. तेलुगु, 10. नेपाली, 11. पंजाबी, 12. बंगला, 13. मराठी, 14. मणिपुर, 15. मलयालम, 16. संस्कृत, 17. सिन्धी, 18. हिन्दी ।

(टिप्पणी-कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को सन् 1992 में अष्टम् अनुसूची में शामिल किया गया है।)

3.5. संविधान में राजभाषा-प्रावधान : कुछ विशिष्टताएँ

भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के बारे में जो प्रावधान किये गये हैं, उनकी कुछ विशिष्टताएँ (Highlights) इस प्रकार हैं :

1. संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक कुल नौ अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएँ (राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ) उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय आदि में प्रयुक्त भाषा तथा हिन्दी भाषा के विकास आदि के बारे में प्रावधान किये गये हैं । इसके साथ अनुच्छेद 120 में संसद तथा अनुच्छेद 210 में देश के (राज्यों के) विधान-मण्डल में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्रावधान हैं।

2. संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संसद में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जायेगा परन्तु यदि कोई संसद-सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता तो वह अपने विचार उसकी अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है।

3. संविधान के अनुच्छेद 210 में देश के विभिन्न विधान-मण्डल (Legislative Assembly) में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्य के विधान-मण्डल में सम्बन्धित राज्य की मान्यता प्राप्त राजभाषा या भाषाओं अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में कार्य किया जायेगा परन्तु यदि कोई सदस्य जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता वह अपनी मातृभाषाओं में सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

   (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है)

4. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी, लिपि देवनागरी तथा अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप वाले होंगे जैसे-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एवं 0 (गलती से कुछ लोग इन अंकों को अंग्रेजी अंक कहते हैं। वस्तुतः अंग्रेजी का अपनी न लिपि है न अंक। अंग्रेजी की लिपि तथा अंक रोमन हैं।)

5. संविधान के अनुच्छेद 343 (2) में प्रावधान हैं कि संविधान लागू होने के शुरू से पन्द्रह वर्ष की कालावधि अर्थात 26 जनवरी, 1950 से 26 जनवरी, 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में जारी रहेगा। इसमें उद्देश्य यह था कि इस पन्द्रह वर्ष की कालावधि में हिन्दी का समुचित विकास होकर वह शासन के सभी अंगों में प्रयुक्त होने में सक्षम हो सकें। संविधान के इसी अनुच्छेद 343 (3) में किये गये प्रावधान के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया कि पन्द्रह वर्षों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अथवा अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को उपबंधित कर सकती है।

उक्त प्रावधान आगे चलकर हिन्दी के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ क्योंकि इसी के अन्तर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया जिसने अंग्रेजी भाषा को अनंतकाल तक जारी रखने का मानो परमिट ही दे दिया।

6. संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय राजभाषा समिति के गठन के लिए प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार संविधान लागू होने के पाँच एवं दस वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। यह आयोग राष्ट्रपति को हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा उसके अनुषंगी बातों पर प्रतिवेदन देगा तथा सिफारिशें करेगा। अनुच्छेद 344 (4) में संसदीय राजभाषा समिति के गठन के बारे में प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा के बीस सदस्य तथा राज्यसभा के दस सदस्य होंगे। यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशें तथा हिन्दी के प्रागमी प्रयोग के बारे में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगी। इस अनुच्छेद के प्रावधान से सही मायने में राजभाषा हिन्दी के विकास तथा उसके प्रगामी प्रयोग में प्रगति संभव हो सकी हैं।

संसदीय राजभाषा समिति के अत्यधिक सक्रिय प्रयासों से सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति देखने को मिलती हैं।

7. अनुच्छेद 345 में विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य की किसी एक अथवा अनेक अथवा हिन्दी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है।

अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार (Communication) के लिए राजभाषा के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी एक या दूसरे राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा "तत्समय प्राधिकृत भाषा" होगी। यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं तो ऐसे राज्यों के बीच संचार हेतु राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347 में किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि किसी राज्य के जनसमुदाय के पर्याप्त समुदाय चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को मान्यता दी जाय तो वे वैसा करने के लिए सम्बन्धित राज्य को आदेश दे सकते हैं।

8. अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) तथा उच्च न्यायालयों (Hight Courts) आदि की भाषा के बारे में प्रावधान करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबन्ध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी और संसद एवं राज्यों के विधान-मण्डलों में पारित विधेयक तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा जारी सभी अध्यादेश, आदेश विनियम, नियम आदि सबके प्राधिकृत पाठ (Authoritative Text) भी अंग्रेजी भाषा में ही माना जायेगा।

संविधान का यह अनुच्छेद 348 अंग्रेजी के एकछत्र साम्राज्य को ही स्थापित करता है। यह अनुच्छेद इस कटु सत्य को भी उजागर करता है कि न्यायपालिका तथा विधि के क्षेत्र में राजभाषा का पद प्राप्त न करते हुए भी अंग्रेजी ही सभी कार्यकलापों की एकमात्र विधिवत भाषा है। इस प्रकार यह अनुच्छेद राजभाषा हिन्दी के अधिकारों पर सीधा आक्रमण करता है और अंग्रेजी की सत्ता तथा महत्ता को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।

9. संविधान के अनुच्छेद 349 के अनुसार संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जायेगा परन्तु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ हेतु भाषा आयोग तथा संसदीय समिति के प्रतिवेदनों एवं सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। यहाँ स्पष्ट होता है कि हिन्दी पूर्णतः राष्ट्रपति की अनुकम्पा पर निर्भर है।

10. अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि किसी व्यथा के निवारण लिए संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ अथवा राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति का हक होगा। स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति संघ अथवा राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अपना अभिवेदन अथवा आवेदन देने का हकदार है।

11. संविधान का अनुच्छेद 351 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि-

इसके अनुसार राजभाषा हिन्दी के बहुमुखी विकास तथा प्रचार-प्रसार का कानूनी दायित्व संघ (केन्द्र सरकार) को सौंपा गया है और, किस प्रकार हिन्दी को विकसित करना है, इसके लिए भी स्पष्ट निर्देश उक्त अनुच्छेद में दिये गये हैं।

(i) अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि तथा विकास करना संघ का कर्तव्य होगा। ऐसी हिन्दी विकसित करनी चाहिए जो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके ।

(ii) अनुच्छेद में ऐसी हिन्दी के विकास के लिए निर्देश दिया है जो हिन्दुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप शैली और पदावली को आत्मसात कर लें तथा अपने शब्द भण्डार के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करें।

(iii) संविधान के उक्त अनुच्छेद 351 से स्पष्ट होता है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी को भारतीय तथा अन्य भाषाओं से जोड़कर उसका दायरा विस्तृत बना दिया गया है तथा उसे अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क भाषा के रूप में भी मान्यता दी गई है।

(iv) इस अनुच्छेद में 'भारत की सामासिक संस्कृति' (Composite Cultureof India) का उल्लेख किया गया है जो भारत की धर्म-निरपेक्षा की नीति को उजागर करता है। भारत में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन आदि अनेक धर्मों की संस्कृतियों को सुन्दर मेल है। यही सामासिक संस्कृति है, और इसी को अभिव्यक्ति प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनाना है।

(v) शासन के विभिन्न अंगों तथा जनता के बीच हिन्दी भाषा के समुचित विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए यह अनुच्छेद दीप स्तंभ की भाँति सिद्ध हुआ है।

3.6. राजभाषा अधिनियम 1963और परिभाषाएँ

भारत के संविधान में राजभाषा सम्बन्धी किये गये प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी, 1965 के बाद (संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि के पश्चात) संघ के सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी को पूर्णतः हटाकर राजभाषा के रूप में केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। संविधान के अनुच्छेद 344 के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति के आदेशानुसार सन् 1956 में एक राजभाषा आयोग स्थापित किया गया जिसने राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित अपनी सिफारिशों समेत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। किन्तु इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही अहिन्दी भाषी प्रदेश, विशेषतः दक्षिण भारत में हिन्दी के विरोध में तीव्र आन्दोलन शुरू हुआ। इस आन्दोलन में स्वतन्त्र भारत के जान-माल को बहुत नुकसान हुआ और अंततः सरकार ने दंगाइयों के आगे घुटने टेक कर राजभाषा के बारे में तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए 1963 में एक अधिनियम पारित किया जो "राजभाषा अधिनियम 1963" के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम इस प्रकार है-

राजभाषा अधिनियम 1963

उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग लाई जा सकेगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम।

- **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1. (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी 1965 का 26 वाँ दिन अभिप्रेत हैं और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिनकी लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।

3. (1) संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही-

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी;तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए;

प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी के रूप में नहीं अपनाया है पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी-

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के

साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा। (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा-

1.केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

2. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

3.केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम याकम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम कम्पनी या कार्यालय के बीच;

- **सम्बन्धित**

प्रयोग में लाई जाती है वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त सम मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कम्पनी का कर्मचारीवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा-

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कर्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किये जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज - पत्रों के लिए;

(ii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा- प्ररूपों के लिए प्रयोग लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, धारा 8 के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाये गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में

प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिये जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

3.7. राजभाषा के सम्बन्ध में समिति

4. (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने पर गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत किये हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा :

*परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

- **केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद**

5. (1) नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किये जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

- **कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद**

5. जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल ने उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित नियमों में अथवा उस राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है । वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित या जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

- **उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग**

6. नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति, से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिये गए किसी निर्णय. डिग्री या आदेश के प्रयोजन के प्रयोजकों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिग्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकरण से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

- **नियम बनाने की शक्ति**

8. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चातय थाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुछ मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

- **कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना**

9. धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

3.8. राजभाषा अधिनियम 1963 की मुख्य विशिष्टताएँ

1. राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल नौ उपबन्ध हैं।

2. सन् 1965 के बाद भी हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी सह भाषा के रूप में सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती रहेगी।

3. अंग्रेजी को जारी रखने की कोई निश्चित अंतिम कालावधि नहीं होगी अर्थात वह अबाध रूप से जारी रहेगी।

4. इस अधिनियम के उपबन्ध 3 के अनुसार अंग्रेजी भाषा के बने रहने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है और, यही उपबन्ध है जिसके तहत हिन्दी का स्थान कानूनी रूप से भले ही मुख्य रहा हो परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से गौण हो गया और अंग्रेजी का स्थान गौण होने पर भी व्यावहारिक स्तर पर वह प्रमुख बन गई।

5. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि इसी के अनुसरण में सरकारी कार्यालयों आदि में हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी युग का सूत्रपात हुआ। इस धारा के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों तथा सभी सम्बद्ध नियमों, संस्थानों, कम्पनियों एवं निकायों आदि से जारी सभी परिपत्र, सामान्य आदेश, संकल्प, नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा और करार, टेंडर, विज्ञापन, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट और संसद के समक्ष रखे गये सभी प्रकार के प्रतिवेदन एवं राजकीय कागज-पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में होंगे।

6. इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राजभाषा के बारे में एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इस "संसदीय राजभाषा समिति" में तीस सदस्य होंगे जिसमें लोकसभा के बीस और राज्यसभा के दस सद होंगे। समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों की राय प्राप्त किये जाने के बाद प्रतिवेदन को विचारार्थ संसद में रखा जायेगा।

7. इस अधिनियम की धारा में प्रावधान है कि सन 1965 के बाद राष्ट्रपति प्राधिकार के अधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हिन्दी अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ माना जायेगा।

धारा 5 (2) में व्यवस्था की गई है कि 1965 के बाद (नियत दिन से) सभी विधेयकों आदि के प्राधिकृत अंग्रेजी पाठों के साथ-साथ उनके प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद भी देने होंगे।

8. अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के फैसलों, आदेशों आदि के लिए हिन्दी या राज्य की राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।

9. निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कानूनी तौर पर राजभाषा अधिनियम 1963 ने हिन्दी को संघ की मुख्य राजभाषा के रूप में स्थापित किया किन्तु दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा को अबाधित रूप से अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए खुली छूट भी मिल गई।

3.9. सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस इकाई को पढ़ने के बाद संविधान क्या है? इसका अर्थ समझने में सहायता मिली है। भारतीय संविधान को समझाने के लिए यह जरूरी है कि संविधान क्या है इसका विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विधि का तात्पर्य है तथा संविधान का ज्ञान भी जरूरी है। भारतीय संविधान की एक रूप रेखा समझ चुके होंगे। संविधान में राजभाषा -प्रावधान और विशेषताओं को समझते हुए राजभाषा अधिनियम 1963

की विशेषताओं को भी समझ चुके होंगे। इसके साध ही संविधान के अपने मूल स्वरूप में पहुंचने की प्रक्रिया में विभिन्न अधिनियमों के बारे में भी विस्तार रूप से समझ पाएँ हैं।

3.10. बोध प्रश्न

1. संविधान में राज भाषा- प्रावधान के विशिष्टताओं को सोदाहरण से बताइए।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 और परिभाषाओं के साथ 1963 के मुख्य विशेषताओं को सोदाहरण रूप से बताइए।

3.11. सहायक ग्रंथ

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी- सिध्दांत और प्रयोग, दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. राज भाषा हिन्दी- डॉ. कैलाश चंद्र भाटिया वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

डॉ. सूर्य कुमारी. पी.

4. राजभाषा हिन्दी- संवैधानिक प्रावधान-2

4.0. उद्देश्य

पिछले इकाई में हम राजभाषा हिन्दी- संवैधानिक प्रावधान-1 में राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा 1968 के बारे में सविस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में राजभाषा से संबंधित 1976 (यथा संशोधित), अन्य कानूनी प्रावधानों और राष्ट्रपति के आदेश तथा राजभाषा संकल्प 1968 के बारे में इस इकाई में हमें सविस्तार चर्चा करेंगे।

रूपरेखा

4.1. प्रस्तावना

4.2. राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित)

4.3. राजभाषा नियम 1976 की विशिष्टताएँ

4.4. राजभाषा संकल्प 1968

4.5. राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित राष्ट्रपति के आदेश

4.6. राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित राष्ट्रपति के आदेश

4.7. सारांश

4.8. बोध प्रश्न

4.9. सहायक ग्रंथ

4.1. प्रस्तावना

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) होगा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। (संविधान का अनुच्छेद 120)किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963 के

बारे में पिछले इकाई में जान चुके हैं। अब यहाँ राजभाषा नियम 1976, राजभाषा 1967 की विशेषताएँ और राष्ट्रपति के आदेशों के बारे में इस इकाई में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।

4.2. राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित)

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सरकारी कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के अधीन नियमों, कम्पनियों आदि में अधिक प्रभावी ढंग से किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1976 में, राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। इन नियमों में सरकारी कर्मचारियों के हित को दृष्टिगत रखकर भी कुछ प्रावधान किये गए हैं। यह राजभाषा नियम, 1976 इस प्रकार है

सा. का. नि. 1052-राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 है।

(2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ-इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सरकार के कार्यालय" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात

(1) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, और

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु राज्यों का तीन क्षेत्रों में वर्गीकरण

(राजभाषा नियम 1976 के अधीन)

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु राज्यों का तीन क्षेत्रों में वर्गीकरण
(राजभाषा नियम 1976 के अधीन)

क्षेत्र 'क'
(हिन्दी भाषी क्षेत्र)

1. बिहार
2. हरियाणा
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. राजस्थान
6. उत्तर प्रदेश
7. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
8. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्र 'ख'
(ऐसे राज्य जिन्होंने हिन्दी को विधिवत रूप से अपना लिया है।)

1. गुजरात
2. महाराष्ट्र
3. पंजाब
4. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र

क्षेत्र 'ग'
(ऐसे राज्य जिन्होंने कानूनी रूप से हिन्दी को अभी तक नहीं अपनाया)
क्षेत्र 'क' एवं क्षेत्र 'ख' में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

(iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

(ग) कर्मचारी से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "अधिसूचित कार्यालय" से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है; (ड) "हिन्दी में प्रवीणता" से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

च) "क्षेत्र क" से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(छ) "क्षेत्र ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ज) "क्षेत्र ग" से खण्ड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(झ) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से "क्षेत्र क" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से-

(क) "क्षेत्र ख" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परन्तु यदि कोई राज्य या संघ राज्यक्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि सम्बद्ध राज्य या राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जायें और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जायेंगे।

(ख) 'क्षेत्र ख' के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से "क्षेत्र ग" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और "क्षेत्र क" में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, अवधारित करे;

(ग) "क्षेत्र क" में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) "क्षेत्र क" में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और "क्षेत्र ख" या "क्षेत्र ग" में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ङ) "क्षेत्र ख" या "क्षेत्र ग" में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं परन्तु जहाँ ऐसे पत्रादि

(i) क्षेत्र क या क्षेत्र ख के किसी कार्यालय को सम्बोधित हैं वहाँ, यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र ग में किसी कार्यालय को सम्बोधित है वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगाः

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर- नियम 3 और नियम 4 में किसी बात-बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती है।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि- (1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा सम्बन्धी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से सम्बन्धित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में टिप्पणों का लिखा जाना

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

(2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति की है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति की है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जायें, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता- यदि किसी कर्मचारी ने

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को जो एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपबन्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान - (1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्रज्ञा परीक्षा या, जहाँ उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, जब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जायेंगे।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा से घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से सम्बन्धित सभी मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषीय रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जायेंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व

(1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-

(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करें।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

4.3. राजभाषा नियम 1976 की विशिष्टताएँ

1. राजभाषा नियम 1976 के अन्तर्गत कल बारह नियम बनाए गए हैं। ये नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते। अर्थात तमिलनाडु राज्य को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों पर समान रूप से ये नियम लागू होते हैं।

2. राजभाषा नियम 1976 के अन्तर्गत हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है। यथा-**क्षेत्र-'क', क्षेत्र-'ख', तथा क्षेत्र-'ग',**

(Region 'A', Region 'B' & Region 'C') क्षेत्र 'क' के अन्तर्गत समस्त हिन्दी भाषी राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र का समावेश है। यथा-बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

क्षेत्र 'ख'के अन्तर्गत गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

क्षेत्र 'ग'के अन्तर्गत वे राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र आते हैं जो **क्षेत्र 'क'**और **क्षेत्र 'ख'**में शामिल नहीं है।

3. राजभाषा नियम 1976 में हिन्दी पत्राचार के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं।

4. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अन्तर्गत एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही देना होगा चाहे वह पत्र किसी भी राज्य सरकार या व्यक्ति विशेष से आया हो। इस नियम से किसी को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

5. नियम 5 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी कार्यालय से जारी होने वाले परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, करार, संधियों, विज्ञापन तथा निविदा सूचना आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

6. इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में आवेदन या अभ्यावेदन दे सकता है।

7. केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी फाइलों में टिप्पणी का प्रारूप हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

8. राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रावधान यह है कि प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों के उपबन्धों का समुचित पालन किया जा रहा है और इनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए प्रभावकारी जाँच बिन्दु (Check Point) निर्धारित करें।

9. संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजभाषा नियम 1976 से राजभाषा हिन्दी प्रगामी प्रयोग में काफी मात्रा में गति आई तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी हिन्दी में काम-काज करने में निश्चित रूप से प्रोत्साहन भी मिला।

4.4. राजभाषा संकल्प 1968

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने तथा संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित पन्द्रह (अब 17) भारतीय भाषाओं के विकास हेतु भारतीय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) ने दिसम्बर 1967 में एक संकल्प (Resolution) पारित किया जो "राजभाषा संकल्प" के नाम से जाना जाता है। यह संकल्प इस प्रकार है-

1. जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है; यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग के हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्य तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी, और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी;

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के हेतु

सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए; यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें;

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए;

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए;

यह सभा संकल्प करती है-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, कि उच्च-स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं का भावी योजना, प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय के संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

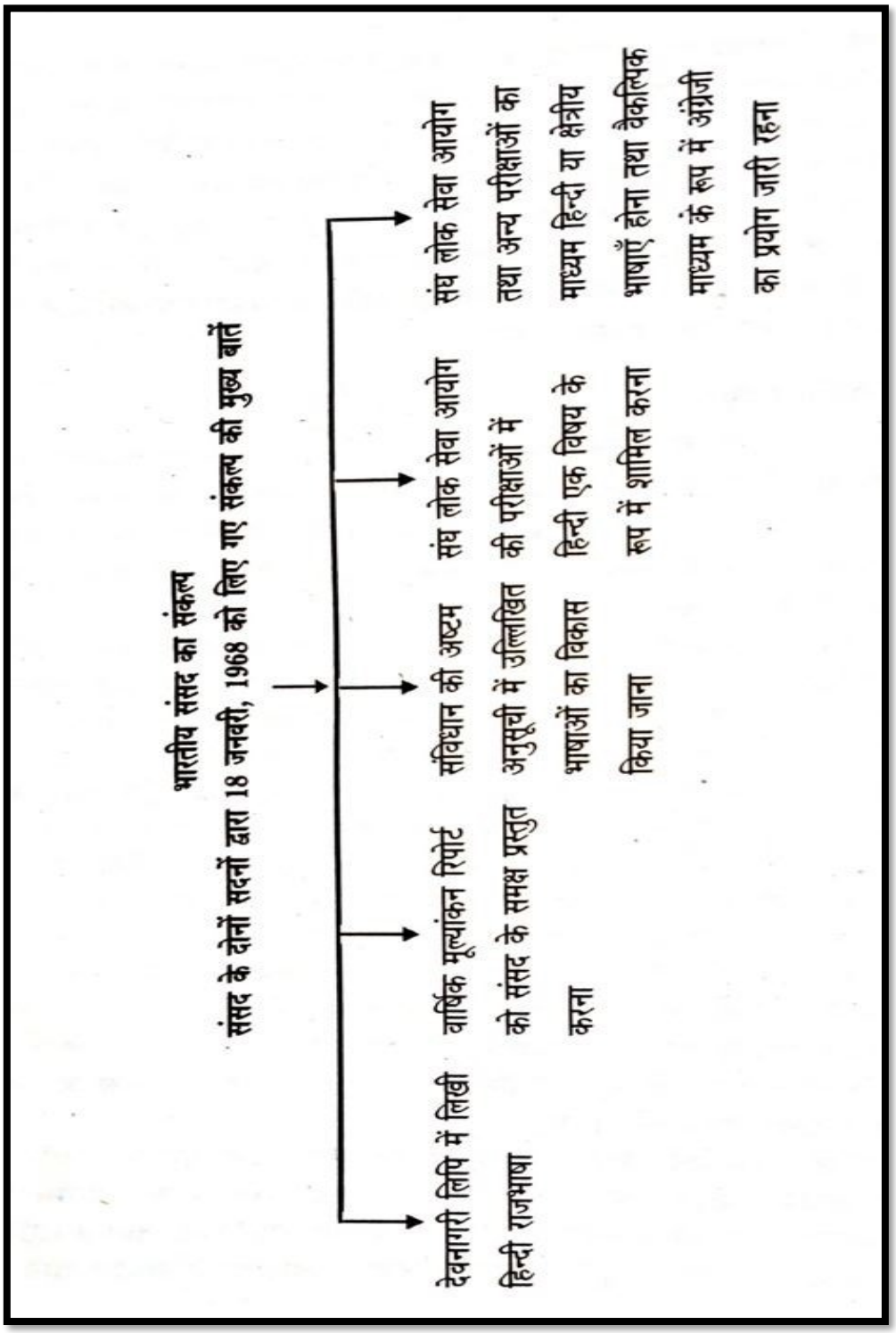
भारतीय संसद का संकल्प
संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 जनवरी, 1968 को लिए गए संकल्प की मुख्य बातें
देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी राजभाषा
वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना
संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का विकास किया जाना
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी एक विषय के रूप में शामिल करना
संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाएँ होना तथा वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना

4.5. राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित राष्ट्रपति के आदेश

भारतीय संविधान में राजभाषा के बारे में किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित राष्ट्रपति ने सन् 1952 तथा 1960 में आदेश निकाले हैं।

(अ) राष्ट्रपति का आदेश 1952

भारत के संविधान के विधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मई, 1952 को राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए, अर्थात

1) राज्यों के राज्यपालों,

2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, और

3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

(आ) राष्ट्रपति का आदेश 1955

संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 3 दिसम्बर, 1955 को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के रूप में सांविधिक आदेश जारी किया जिसके अनुसार संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग किए जाने का प्रावधान किया गया-

(1) जनता के साथ पत्र-व्यवहार।

(2) प्रशासनिक रिपोर्टों, राजकीय पत्रिकाएँ और संसद को दी जाने वाली रिपोर्टों।

(3) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियमितियाँ।

(4) जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उनसे पत्र-व्यवहार। (5) संधियाँ और करार।

(6) अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र-व्यवहार।

(7) राजनयिक और कौंसलीय पदाधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

(इ) राष्ट्रपति का आदेश 1960

संसदीय राजभाषा समिति सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने संविधान अनुच्छेद 344 खण्ड (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी को प्रस्थापित किए।

4.6. राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित राष्ट्रपति के आदेश

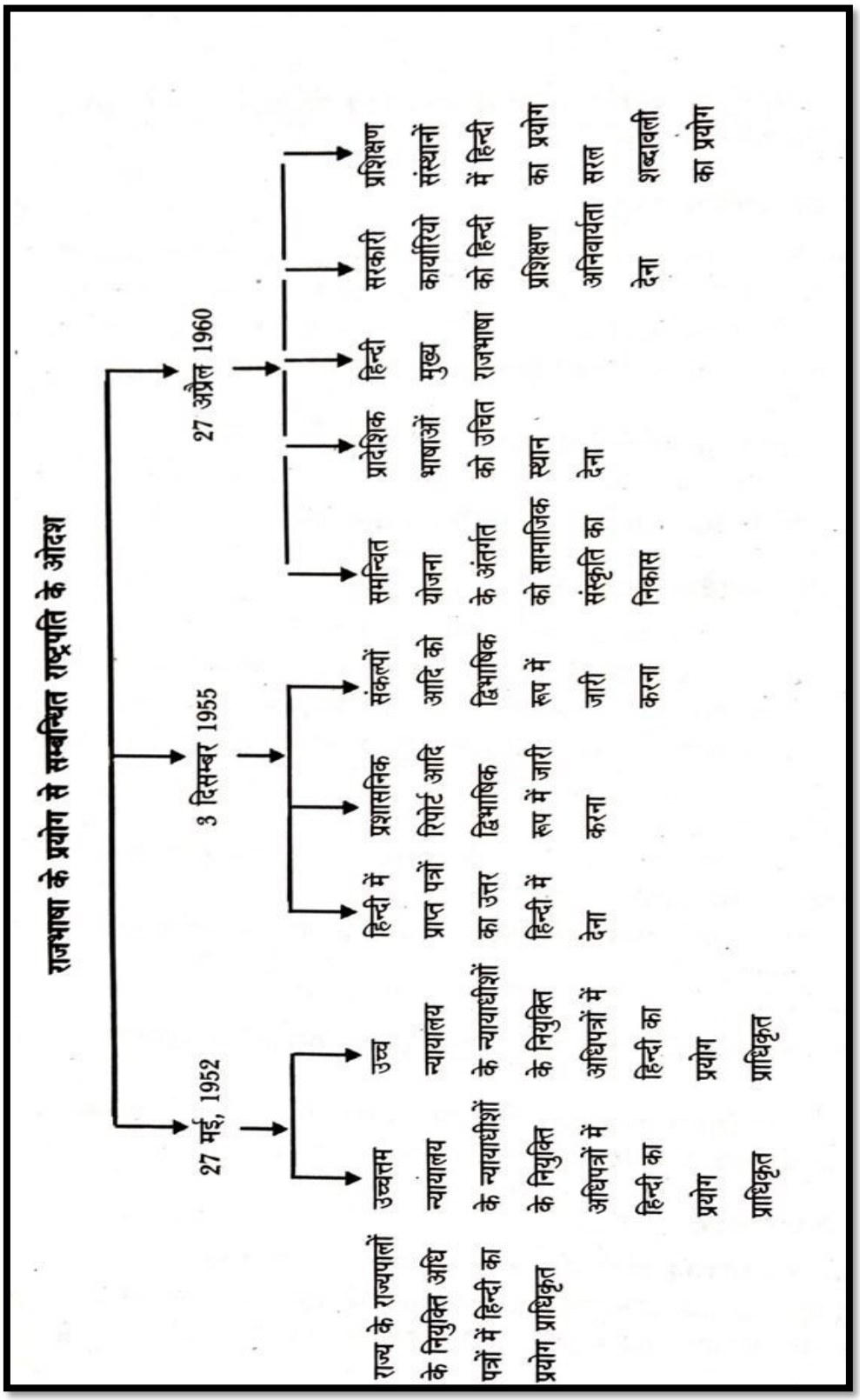

27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में निम्नलिखित प्रमुख

निदेशों का समावेश है—

1. शब्दावली - आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया वे ये हैं-

(i) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य, उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता चाहिए;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए या जहाँ भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए;

(iii) सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहाँ तक हो सके अधिकतम एकरूपता हो; और

(iv) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केन्द्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहाँ तक हो सके एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी नहीं चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गये काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के लिए एक ऐसा स्थायी आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् हों।

• शिक्षा मंत्रालय निम्नलिखित विषय में कार्रवाई करें

(क) अब तक किये काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, कम-से-कम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएँ, अर्थात मूल शब्द वे होने चाहिए जो कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम आते हैं। उनसे व्युत्पन्न शब्दों का जहाँ भी आवश्यक हो भारतीयकरण किया जा सकता है;

(ख) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबन्ध करने के विषय में सुझाव देना; और

(ग) विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थायी आयोग का निर्माण।

2. प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद - इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि यह सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।

शिक्षा मंत्रालय सांविधिक, नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी विनियमों और आदेशों का अनुवाद संविधियों के साथ अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप सब संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करें

। सांविधिक, नियमों, से सम्बद्ध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करें। इस बात का पूरा प्रयत्न होना एक सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों की शब्दावली में जहाँ तक हो सके एकरूपता रखी जाए।

3. प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिन्दी का प्रशिक्षण

(क) समिति द्वारा अभिव्यक्त मत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा - कालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थाओं और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बात लागू न होगी। इस योजना के अन्तर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त कर सकने के लिए कर्मचारी को कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। हिन्दी भाषा की पढ़ाई के लिए सुविधाएँ प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।

(ख) गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिन्दी टाइप - राइटिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करें जो केन्द्रीय सरकार की नौकरी में हैं।

(ग) शिक्षा मंत्रालय हिन्दी टाइपराइटरों के मानक की-बोर्ड (कुंजी पटल) के विकास के लिए शीघ्र कदम उठाए।

4. हिन्दी प्रचार - (क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहाँ ऐसी संस्थाएँ नहीं हैं, वहाँ सरकार आवश्यक संगठन कायम करें।

शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करें कि हिन्दी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कैसी चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाई करें।

(ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा-विज्ञान, भाषा-शास्त्र और साहित्य सम्बन्धी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाये गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर लाने के लिए और अनुच्छेद 351 में दिये गए निदेश के विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

5. केन्द्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती

(क) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग करें और जनता के साथ पत्र-व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें।

अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने के वास्ते योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकारी विभाग इस आवश्यकता को ध्यान में रखें कि यथासम्भव अधिक-से-अधिक मात्रा में

प्रादेशिक भाषाओं में फार्म और विभागीय साहित्य उपलब्ध कराकर वहाँ की जनता को पूरी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में कर्मचारियों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, और कर्मचारियों का प्रादेशिक आधार पर विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए; इसके लिए भर्ती के तरीकों और अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के पदों पर कार्य करने वालों की बदली मामूली तौर पर प्रदेश के बाहर नहीं होती उन कोटियों के सम्बन्ध में यह सुझाव, कोई अधिवासी सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए बिना, सिद्धांततः मान लिया जाना चाहिए।

(ग) समिति आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह विहित कर देना न्यायसम्मत होगा कि उसकी नौकरियों में लगने के लिए एक अर्हता यह भी होगी कि उम्मीदवार को हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान हो। पर ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके लिए काफी पहले से सूचना दे दी गई हो और भाषा - योग्यता का विहित स्तर मामूली हो और इस बारे में जो भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता हो।

यह सिफारिश अभी हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित की जाए, हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों में नहीं।

(क), (ख) और (ग) में दिये गये निर्देश भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधीन कार्यालयों के सम्बन्ध में लागू न होंगे।

6. प्रशिक्षण संस्थान

(क) समिति ने यह सुझाव दिया है कि 'नेशनल डिफेन्स एकेडमी' जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहे किन्तु शिक्षा कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ।

रक्षा मंत्रालय अनुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के हिन्दी प्रकाशन आदि के रूप में प्रारम्भिक कार्रवाई करे, ताकि जहाँ भी व्यवहार्य हो वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग सुगम हो जाए।

(ख) समिति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हों, किन्तु परीक्षार्थियों को यह विकल्प रहे कि वे सब या कुछ परीक्षा-पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा को चुन ले और एक विशेष समिति यह जाँच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहाँ तक शुरू किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करें।

7. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) परीक्षा का माध्यम-समिति की राय है कि

(i) परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे और कुछ समय पश्चात हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षाओं से विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट हो; और

(ii) किस प्रकार की नियट कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

कुछ समय के पश्चात वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें। वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयाँ पैदा होने की सम्भावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(ख) भाषा विषयक प्रश्न-पत्र

समिति की राय है कि सम्यक सूचना के बाद समान स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न-पत्र होने चाहिए जिनमें से एक हिन्दी और दूसरा हिन्दी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुनले।

अभी केवल एक ऐच्छिक हिन्दी परीक्षा - पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गये जो परीक्षार्थी इस परीक्षा - पत्र में उत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिन्दी परीक्षा देनी होती है, उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने की शर्त से छूट दी जाए।

8. अंक – जैसा कि समिति का सुझाव है, केन्द्रीय मंत्रालयों के हिन्दी प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के सम्बन्ध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए, जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किस प्रकार की जनता के लिए हैं और उसकी विषयवस्तु क्या है। वैज्ञानिक, औद्योगिकीय और सांख्यिकीय प्रकाशनों में, जिसमें केन्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी साहित्य भी शामिल है, बराबर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए।

9. अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा

(क) समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें किन्तु उनका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए।

संसदीय विधियाँ अंग्रेजी में बनती रहें पर उनके प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करें। संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबन्ध भी विधि मंत्रालय करें।

(ख) समिति ने राय जाहिर की है जहाँ राज्य विधान - मण्डल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिन्दी से भिन्न किसी भाषा में है, वहाँ अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखितों के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

10. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा

राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिन्दी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है।

आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी के पक्ष-विपक्ष में विचार किया और सिफारिश की कि जब भी इस परिवर्तन का समय आए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिग्रियों) और आदेशों की भाषा सब प्रदेशों में हिन्दी होनी चाहिए, किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति कीपूर्व सम्मति से आवश्यक विधेयक पेश करके यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिग्रियों) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिन्दी और राज्यों की राजभाषाएँ विकल्पतः प्रयोग में लाई जा सकेंगी।

समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अन्ततः अपना सब काम हिन्दी में करें यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है और इसके सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई उसी समय अपेक्षित होगी जबकि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा।

जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करें कि निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिग्रियों) और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।

11. विधि क्षेत्र में हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कदम

मानक विधि शब्द कोश तैयार करने, केन्द्र तथा राज्य के विधान निर्माण से सम्बन्धित सांविधिक ग्रन्थ का अधिनियम करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रन्थ और साथ ही निर्णय-विधि अंशतः हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारम्भिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो

सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली तथा कोशों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्रभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग या इस प्रकार कोई उच्च स्तरीय निकाय बनाया जाए। समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केन्द्रीय सरकार से राय लेकर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समिति के सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय (यथासम्भव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए) सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिन्दी में अनुवाद सम्बन्धी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थायी आयोग का निर्माण करें।

12. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम

समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए।

तदनुसार गृह मंत्रालय एक योजना कार्यक्रम तैयार करें और उसे अमल में लाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें। इस योजना का उद्देश्य होगा संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रारम्भिक कदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद के 343 खण्ड (2) में किए गए उपबंध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग कहाँ तक किया सकता है यह बात इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुभव के आधार पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेर-फेर करना होगा।

4.7. सारांश

सारांश के रूप में यह कर सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस इकाई को पढ़ने के बाद संविधान क्या है? इसका अर्थ समझने में सहायता मिली है। भारतीय संविधान को समझाने के लिए यह जरूरी है कि संविधान क्या है इसका विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विधि का तात्पर्य है तथा संविधान का ज्ञान भी जरूरी है। भारतीय संविधान की एक रूप रेखा समझ चुके होंगे। संविधान में राजभाषा -प्रावधान और विशेषताओं को समझते हुए राजभाषा हिन्दी के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राजभाषा नियम 1976 की विशिष्टताओं के साथ- साथ राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने तथा संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित पन्द्रह (अब 17) भारतीय भाषाओं के विकास हेतु भारतीय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) ने दिसम्बर

1967 में एक संकल्प (Resolution) पारित किया जो "राजभाषा संकल्प" के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का आदेश को भी जान चुके हैं।

4.8. बोध प्रश्न

1. संविधान में राज भाषा- प्रावधान के विशिष्टताओं को सोदाहरण बताइए।

2. राजभाषा अधिनियम 1967 की विशेषताओं को समझाइए।

3. राजभाषा के प्रयोग से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश का विश्लेषण कीजिए।

4.9. सहायक ग्रंथ

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी- सिध्दांत और प्रयोग, दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. राज भाषा हिन्दी- डॉ. कैलाश चंद्र भाटिया, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

डॉ. सूर्य कुमारी. पी.

5. राजभाषा से संबंधित कार्यात्मक निकायों का गठन

5.0. उद्देश्य

आप पिछले इकाइयों में राष्ट्रभाषा हिन्दी और राजभाषा हिन्दी का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इस इकाई में राजभाषा हिन्दी के अंतर्गत राजभाषा से संबंधित कार्यान्वयन गठित विविध समितियों का जानकारी प्राप्त करेंगे।

रूपरेखा

5.1. प्रस्तावना

5.2. राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

5.3. राजभाषा कार्यान्वयन का गठन

5.4. राजभाषा विभाग

5.4.1. राजभाषा विभाग के कार्य

5.5. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

5.6. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

5.7. विधि शब्दावली आयोग

5.8. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

5.9. हिन्दी शिक्षण योजना / केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

5.10. सारांश

5.11. बोध प्रश्न

5.12. सहायक ग्रंथ

5.1. प्रस्तावना

आधुनिक जीवन में व्यवहार एवं व्यवसाय के कई क्षेत्र खुल गए हैं। हिन्दी भाषा का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में होने लगा है। इस कारण राजभाषा से संबंधित विभिन्न विषयों तथा कार्यक्षेत्रों में विषय के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में उभरी है। व्यवसाय, कार्यालय और प्रशासन आदि के संदर्भ में हिन्दी अनेक प्रयुक्तियों का रूपों में भी उभरी है। इस इकाई में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, विधि शब्दावली आयोग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे।

5.2. राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

हिंदी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रमुखतः गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग पर रहती है । 1976 के राजभाषा नियम जारी होने के बाद, राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन और विवरण की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग को दी गई और इसके प्रमुख राजभाषा सचिव (Secretary, Official Language) हैं। राजभाषा विभाग राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की व्यवस्था एवं देख-रेख करती है । हिन्दी के कार्यान्वयन की व्यवस्था के संदर्भ में तीन प्रकार की समितियों का उल्लेख किया जा सकता है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से गठित ये समितियाँ विभिन्न स्तर पर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की देख-रेख कर रही हैं। ये समितियाँ हैं-

1. केन्द्रीय हिंदी समिति: यह राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभिकरण है। इसका गठन 1967 में किया गया था। भारत के प्रधान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और प्रमुख मंत्रालयों के कुछ मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के अतिरिक्त कुछ वरिष्ठ विद्वान इस समिति के सदस्य होते हैं। यह समिति देश में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करती है तथा नीति निर्धारण करती है।

2. हिंदी सलाहकार समिति: प्रायः सभी मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय स्तर की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है । संबंधित मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं । मंत्रालय के विभागों के अध्यक्ष तथा संबंधित निकायों, कार्यालयों के शासी प्रधान इसके सदस्य होते हैं । इनके अलावा हिंदी के कुछ वरिष्ठ विद्वान भी इसके सदस्य होते हैं। इस समिति का काम संबंधित मंत्रालय में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति को देखना और विकास के उपाय सुझाना है।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ: मंत्रालय तथा इसके अधीन कार्य करनेवाले कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रमों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों - केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ आदि का गठन किया गया है । मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव होता हैं । अन्य कार्यालयों में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में इस कार्य को देखता है।

उक्त तीनों कार्यान्वयन समितियाँ, राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति के आकलन के साथ-साथ कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के उपाय भी समय-समय पर ढूँढ़ती हैं । संविधान में एक संसदीय समिति की भी सिफारिश की गई थी, जो राजभाषा आयोग के सुझावों पर विचार करें । वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति है जो देश में राजभाषा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करती है और अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है । राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का एक दूसरा पहलू अनुवाद है। प्रशासनिक कार्यों में सरकार को नियमित प्रशासनिक साहित्य (मैनुअल, संहिताएँ आदि) के अनुवाद की जरूरत पड़ती रहती है। राजभाषा अधिनियम 8 के अनुसार कर्मचारियों को हिंदी भाषा में नियमित प्रशासनिक साहित्य उपलब्ध करवाना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए, मार्च 1971 में गृह मंत्रालय

के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद के अलावा हिंदी कर्मचारियों को अनुवाद में प्रशिक्षण भी देती है।

5.3. राजभाषा कार्यान्वयन का गठन

राजभाषा से संबंधित कार्यात्मक निकायों का गठन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वे-

1. **"नराकास" का गठन:** राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का. ज्ञा.सं. 1/14011/12/76-राजभाषा (का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव(राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

2. **अध्यक्षता:** इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।

3. **सदस्यता:** नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय/ उपक्रम/ बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों (प्रशासनिक प्रधानों) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।

4. **सदस्य- सचिव:** समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं।

5. **बैठकें:** इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा एक कैलेंडर रखा जाता है जिसमें प्रत्येक समिति की बैठक हेतु एक निश्चित महीना निर्धारित किया जाता है। इन बैठकों के आयोजन संबंधी सूचना समिति के गठन के समय दी जाती है और निर्धारित महीनों में समिति को अपनी बैठकें करनी होती हैं।

6. **प्रतिनिधित्व:** इन समितियों की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी

परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि एवं हिंदी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

7. **उद्देश्य:** केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे मिल बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि चर्चा कर सकें। फलतः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

5.4. राजभाषा विभाग

राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक विभाग है। राजभाषा के बारे में संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जून 1975 में, गृह मंत्रालय के एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गयी थी। तभी से यह विभाग संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयासरत है। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करता आ रहा है।

5.4.1. राजभाषा विभाग के कार्य

राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं -

(1) संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है।

(2) किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

(3) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।

(4) संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।

(5) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।

(6) केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।

(7) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

(8) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

(9) हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।

(10) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।

(11) संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।

5.5. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया विशेष निर्देश इस प्रकार है – संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। संविधान की इसी भावना के अनुपालन की दिशा में 1 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय (अब उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो चेन्नै, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित हैं।

- **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का उद्देश्य**

हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करना। हिंदी भाषा के माध्यम से जन-जन को जोड़ना। हिंदी को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित करना। हिन्दी भाषा के कोशों का संकलन करना और उनका प्रकाशन करना। निःशुल्क हिन्दी पुस्तक वितरण करना। देवनागरी लिपि एवं हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण करना। यह पुस्तक की प्रदर्शनी आयोजित कर उसकी बिक्री करना तथा भाषा का वार्षिक रूप से साहित्य माला का संकलन और प्रकाशन का कार्य शामिल है।

- **उल्लेखनीय गतिविधियाँ / उपलब्धियाँ / प्रतिभागिता**

1. हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम योजना।
2. कोश-निर्माण योजना।
3. विस्तार कार्यक्रम योजनाएँ।
4. 'भाषा', 'वार्षिकी'तथा 'साहित्य माला'के अंतर्गत भारतीय साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रकाशन योजना।
5. हिंदीतर भाषी प्रांतों में हिंदी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
6. देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण।
7. पुस्तक-प्रदर्शनी एवं बिक्री।
8. हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को वित्तीय सहायता।
9. हिंदी में प्रकाशन हेतु सीमित वित्तीय सहायता तथा हिंदी में प्रकाशित पुस्तक-खरीद योजना।
10. पुरस्कार योजनाएँ (क) हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार (ख) शिक्षा पुरस्कार।
11. शैक्षिक विनिमय-कार्यक्रम योजना।

5.6. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के परंतुक के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसम्बर, 1960 में किया गया था- हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना; शब्दावलियों को प्रकाशित करना; पारिभाषिक शब्द-कोश एवं विश्व-कोश तैयार करना; यह देखना कि विकसित किए गए शब्द और उनकी परिभाषाएं छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि को पहुंचती हैं; (कार्यशालाओं /संगोष्ठियों/ प्रबोधन कार्यक्रमों के जरिए) किए गए कार्य के संबंध में उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके उचित उपयोग /आवश्यक अद्यतन/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों के साथ समन्वय करना। आयोग निम्नलिखित कार्य करता है -

- अंग्रेजी/ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दावलियों तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना।
- राष्ट्रीय शब्दावली तैयार करना और उसका प्रकाशन करना।
- स्कूलस्तर की शब्दावली और विभागीय शब्दावलियों की पहचान करना और उनका प्रकाशन करना।
- अखिल भारतीय शब्दों की पहचान करना।

- पारिभाषिक शब्दकोशों और विश्व-कोश को तैयार करना।
- विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य- पुस्तकों, मोनोग्राफों और पत्रिकाओं को तैयार करना।
- ग्रंथ अकादमियों, पाठ्य- पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए सहायता अनुदान।
- प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आदि माध्यम से गढ़े गए और परिभाषित शब्दों का प्रचार-प्रसार, विस्तार और ध्यानपूर्वक समीक्षा करना।
- प्रकाशनों का निःशुल्क वितरण।
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक शब्दावली उपलब्ध कराना।

5.7. विधि शब्दावली आयोग

विधि के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन काल से पहले फ़ारसी भाषा का प्रचलन था। अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा तथा राजकाज का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण इस क्षेत्र में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा होने लगा। आज़ादी के बाद भी विधि क्षेत्र में अंग्रेज़ी की पकड़ वैसी ही बनी रही। जब हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया तो इसे विधि और न्याय व्यवस्था में भी अपनाने का प्रश्न उठा। हर क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण दायित्व को निभानेवाला राजभाषा आयोग ने विधि के क्षेत्र में भी हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में निम्न सुझाव दिया है--

(1) विधि शब्दावली का विकास किया जाए।

(2) समस्त अधिनियमों को पुनः हिंदी में अधिनियमित किया जाए।

इन सुझावों को मानते हुए हिंदी में विधि शब्दावली निर्धारित की गई है। विधि भाषा की शब्दावली में अंग्रेज़ी- शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित करते समय संस्कृत तथा अरबी - फ़ारसी शब्दों को आधार-स्वरूप ग्रहण किया गया है। इस क्षेत्र में प्रचलित अंग्रेज़ी के शब्दों से हिंदी में परहेज नहीं किया गया है। संपूर्ण भारत में न्यायालयों में प्रयुक्त होते आ रहे अनेक अंग्रेज़ी के शब्दों को हिंदी में अपनाया गया है। जैसे -मैजिस्ट्रेट, समन, वारण्ट, डीक्री और अपील आदि। इस क्षेत्र की हिंदी की प्रयुक्ति में फ़ारसी और अरबी के बहुत सारे शब्द रखे गए हैं, जैसे – अर्जी, असल, आमदनी, मुवक्किल, जमानत, हाज़िरी, कार्रवाई, कसूर और पेशगी आदि।

5.7.1. विधि की भाषा का स्वरूप

विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित होती है। इस भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ की सीमा होती है। प्रयुक्ति की वाक्य-संरचना एवं शब्दावली इस तरह होती है कि उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। इसलिए विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी

में स्पष्टता और एकार्थकता की आवश्यकता सदैव होती है। यही कारण है कि विधिक भाषा में संदर्भ - विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होता है, उसके लिए पर्याय रखने की छूट नहीं होती। इस प्रकार की शब्दावली विधि - क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली है। विधि – क्षेत्र की भाषा के स्वरूप का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है-

उदा : (3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्यपाल के विधान मंडल, ने उस विधान मंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

उपर्युक्त उदाहरण में प्रयुक्त उपखंड, पुरःस्थापित, पारित, प्रख्यापित, उपविधि, आदि विधि के क्षेत्र के तकनीकी शब्द हैं, जिनका प्रयोग इस क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में सामान्यतया नहीं होता और इनके लिए हिंदी में अन्य पर्यायों की भी व्यवस्था नहीं होती।

शब्दावली के अतिरिक्त हिंदी की इस प्रयुक्ति की वाक्य संरचना भी विशिष्ट होती है। यहाँ भी कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति छोटे वाक्यों की रचना की है। परंतु विधि के क्षेत्र की हिंदी में लंबे वाक्यों की रचना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऊपर के उदाहरण में पूरा अनुच्छेद एक ही वाक्य है, जिसमें कई खंडों और उपवाक्यों को शामिल किया गया है। इस प्रवृत्ति तथा लक्षण का प्रमुख कारण हिंदी में उपलब्ध विधिक साहित्य का अंग्रेज़ी से हिंदी में रूपांतरित होकर आना है। अंग्रेज़ी से हिंदी में अथवा हिंदी से अंग्रेज़ी में अधिनियमों का रूपांतरण आसान काम नहीं है। प्राधिकृत पाठ तैयार करते समय प्रारूप संबंधी, अन्तरण संबंधी तथा मानकीकरण के कुछ सामान्य सिद्धांतों को अपनाने से विधि क्षेत्र की हिंदी को भी सरल, सुबोध बनाया जा सकता है। विधिक साहित्य का अनुवाद हिंदी की अपनी प्रकृति और अभिव्यक्ति-शैली को ध्यान में रखते किए जाने पर इस प्रयुक्ति की बोधगम्यता एवं स्पष्टता बढ़ सकती है और आम-जनता भी इसका उपयोग आसानी से कर सकती है।

5.8. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता है। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना करके असांविधिक (non-statutory) साहित्य के हिन्दी अनुवाद का कार्य आरम्भ किया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च, 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद

ब्यूरो को सौंपा गया। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।

5.9. हिन्दी शिक्षण योजना / केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

➢ हिंदी शिक्षण योजनाएँ

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केवल हिंदी में प्रशासनिक साहित्य उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों (राजभाषा कर्मियों) को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता होती है। इस दिशा में काम करने के लिए गृहमंत्रालय के अधीनस्थ संस्था हिंदी शिक्षण योजना नामक निकाय है। यह निकाय सरकारी अधिकारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ नामक परीक्षाएँ चलाता है। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान माना जाता है।

गृह मंत्रालय के अतिरिक्त 'केन्द्रीय हिंदी निदेशालय', सरकारी अधिकारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम को पत्राचार द्वारा उपलब्ध करता है। अपने स्थान पर ही रहकर हिंदी में प्रशिक्षित होने के इच्छुक अधिकारियों के लिए यह एक पूरक व्यवस्था है। केन्द्रीय हिंदी संस्थान (दिल्ली केन्द्र), तीन महीने के गहन शिक्षण (Intensive Teaching) द्वारा सरकारी अधिकारियों को प्राज्ञ परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाती है।

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आनेवाला और एक महत्वपूर्ण कार्य है टंककों और आशुलिपिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। देश के विभिन्न नगरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए गृहमंत्रालय की ओर से यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अंग्रेजी के टंकक और आशुलिपिक इन पाठ्यक्रमों द्वारा हिंदी में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन आदि की सुविधा दी जाती है।

हिंदी में कार्य करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1984 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) तथा कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) की परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम के रूप में स्थान दिया गया है।

➢ केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है। इसके आठ केन्द्र- दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हिंदी को अपनी विविध भूमिकाएं निभाने में समर्थ और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से और विविध शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक स्तरों पर सुनियोजित अनुसंधान द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण, भाषा-विश्लेषण, भाषा का तुलनात्मक अध्ययन तथा शिक्षण सामग्री निर्माण आदि को विकसित करने के लिए सन् 1960 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में की गई। संस्थान का मुख्य कार्य हिंदी भाषा से संबंधित क्षैक्षणिक कार्यक्रम चलाना, शोध कार्य संपन्न करना एवं हिन्दी के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाना है। प्रारंभ में संस्थान का प्रमुख कार्य अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए योग्य, सक्षम एवं प्रभावकारी हिंदी अध्यापकों को ट्रेनिंग कॉलेज और स्कूली स्तरों पर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना था। परंतु बाद में हिंदी के शैक्षिक प्रचार-प्रसार और विकास को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने अपने कार्य क्षेत्रों और प्रकार्यों को विस्तृत किया, जिसके अंतर्गत हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण, हिंदी भाषा-परक शोध, भाषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक साहित्य आदि विषयों से संबंधित मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों को संचालित करना प्रारंभ किया तथा विविध स्तरीय पाठ्यक्रमों, शैक्षिक सामग्री, अध्यापक निर्देशिकाएँ इत्यादि तैयार करने का कार्य भी प्रारंभ किया।

यह संस्थान हिंदी अध्ययन-अध्यापन और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संस्थान को उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की संवाहिका के रूप में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके, इस उद्देश्य एवं संकल्प के साथ संस्थान निरंतर कार्यरत है। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भी संस्थान अथक प्रयास कर रहा है। संस्थान का मूलभूत उद्देश्य है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे के निकट आएँ और सामान्य बोधगम्यता की दृष्टि से हिंदी इनके बीच सेतु का कार्य करे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चेतना, संस्कृति एवं उससे संबद्ध मूल तत्त्व हिंदी के माध्यम से प्रसारित ही न हों, बल्कि सुग्राह्य भी बनें।

1. स्थापना की पृष्ठभूमि

15 मार्च, 1951 को हिन्दी के प्रचार-प्रसार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से भाषायी तथा सांस्कृतिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद के मार्गदर्शन में दिल्ली के लालकिले में अखिल भारतीय संस्कृति सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि संविधान में निर्दिष्ट हिंदी को प्रशासनिक-माध्यम तथा सामाजिक-संस्कृति की वाहिका के रूप में विकसित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था स्थापित की जाए। तदनुसार'मोटूरि सत्यनारायण'तथा अन्य हिंदी सेवियों के प्रयत्न से सन् 1952 में 'अखिल भारतीय हिंदी परिषद'की स्थापना आगरा में की गयी। पं. देवदूत विद्यार्थी संस्था के संचालक और श्री एम. सुब्रह्मण्यम् उनके सहायक थे।

परिषद ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय हिंदी महाविद्यालय की स्थापना की। महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में प्रो. सत्येन्द्र की नियुक्ति की गई। महाविद्यालय में हिंदीतर राज्यों के सेवारत हिंदी प्रचारकों को

हिंदी वातावरण में रखकर उन्हें हिंदी शिक्षण का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिंदी पारंगत पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। भवन न होने के कारण प्रारम्भ में शिक्षण कार्य नागरी प्रचारिणी सभा के भवन में शुरू हुआ और छात्रों के रहने का प्रबन्ध भी वहीं किया गया। आगरा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सेवाभाव से महाविद्यालय में अध्यापन करते थे। बाद में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक द्वारा महाविद्यालय का अनुदान स्वीकृत कराया। इसके बाद परिषद और महाविद्यालय विजय नगर कॉलोनी में किराए के भवन में कार्यरत हुए।

1959 में महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में राज्यसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री एस. वी. कृष्णमूर्ति ने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और उसे राष्ट्रीय शिक्षा का गुरुकुल बताते हुए कहा कि इस संस्थान को देश की शिक्षा व्यवस्था में महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने ही तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री श्री के. एल. श्री माली को इस संस्था के विकास की सलाह दी।19 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की और उसके संचालन के लिए 'केंद्रीय शिक्षण मंडल' नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का पंजीकरण लखनऊ में 1 नवम्बर, 1960 को हुआ। केंद्रीय हिंदी मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री मोटूरि सत्यनारायण मनोनीत किए गए।

2. मंडल के प्रमुख कार्य इस प्रकार निर्धारित किए गए

1. हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
2. हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
3. उच्चतर हिंदी भाषा एवं साहित्य और भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के तुलनात्मक भाषा-शास्त्रीय अध्ययन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
4. हिंदीतर प्रदेशों के हिंदी अध्येताओं की समस्याओं को सुलझाना।
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित हिंदी भाषा के अखिल भारतीय स्वरूप के विकास के लिए प्रदत्त निर्देशों के अनुसार हिंदी को अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए समुचित कार्यवाही करना।

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल को अखिल भारतीय हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संचालन का दायित्व सौंपा गया। 30 अप्रैल, 1961 को केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की बैठक में निर्णय किया गया कि अखिल भारतीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय में हॉईस्कूल, हॉयर सैकेण्डरी स्कूल और कॉलेजों तथा प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए तीन पाठ्यक्रम (1) हिंदी शिक्षण प्रवीण, (2) हिंदी शिक्षण पारंगत और (3) हिंदी शिक्षण निष्णात संचालित किए जाएं। साथ ही महाविद्यालय के निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित किया। मई, 1962 में महाविद्यालय के प्रथम निदेशक के रूप में डॉ. विनय मोहन शर्मा की नियुक्ति हुई।

इस महाविद्यालय का नाम 1 जनवरी 1963 को केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय रखा गया जिसे दिनांक 29 अक्तूबर1963 को संपन्न शासी परिषद की बैठक में केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया गया।

3. कार्यक्षेत्र और दायित्व

भारत सरकार ने 'मंडल'के गठन के समय जो प्रमुख प्रकार्य निर्धारित किए थे उन्हें तब से आज तक सतत कार्य निष्ठा से संपन्न किया जा रहा है । केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के दिशा निर्देशन में संस्थान प्रमुखतः निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है-

1. हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों का विकास ।
2. हिंदीतर क्षेत्रों के हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण ।
3. हिंदी भाषा और साहित्य का उच्चतर अध्ययन ।
4. हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्यों के साथ तुलनात्मक और व्यतिरेकी अध्ययन ।
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार हिंदी का अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकास और प्रचार-प्रसार ।

4. शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. हिंदीतर क्षेत्रों के हिंदी अध्यापकों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण ।
2. हिंदीतर क्षेत्रों के हिंदी अध्यापकों के लिए पत्राचार द्वारा (दूरस्थ) शिक्षण-प्रशिक्षण ।
3. विदेशी छात्रों के लिए द्वितीय एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण ।
4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार ।
5. सांध्यकालीन परास्नातकोत्तर अनुप्रयुक्त भाषा-विज्ञान, जनसंचार एवं हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद विज्ञान पाठ्यक्रम ।
6. नवीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।
7. हिंदीतर क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के सेवारत हिंदी अध्यापकों के लिए नवीकरण, उच्च नवीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।
8. केंद्र/राज्य सरकार के तथा बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नवीकरण, संवर्धनात्मक, कौशलपरक कार्यक्रम और कार्यालयीन हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

9. भाषा प्रयोगशाला एवं दृश्य - श्रव्य उपकरणों के माध्यम से हिंदी के उच्चारण का सुधारात्मक अभ्यास।

10. कंप्यूटर साधित हिंदी भाषा शिक्षण।

5. अन्य कार्य

1. संगोष्ठी, कार्यगोष्ठी, विशेष व्याख्यान, प्रसार व्याख्यान माला आदि का आयोजन।

2. संस्थान द्वारा प्रणीत, संपादित एवं संकलित पाठ्य सामग्री, आलेख, पाठ्य पुस्तकों आदि का प्रकाशन।

3. हिंदी भाषा, अनुप्रयुक्त भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक साहित्य आदि से संबंधित शोधपूर्ण पुस्तक, पत्रिका का प्रकाशन।

4. हिंदी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन - अध्यापन तथा अनुसंधान में सहायतार्थ समृद्ध पुस्तकालय।

5. हिंदी के प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिताएँ। हिंदी सेवियों का सम्मान (हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, शैक्षिक अनुसंधान, जनसंचार, विज्ञान आदि क्षेत्रों में कार्यरत हिंदी विद्वानों के लिए)।

6. समय - समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपी जाने वाली हिंदी संबंधी परियोजनाएँ तथा राजभाषा विषयक अन्य कार्य ।

6. अकादमिक विभाग

हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार की दिशा में पूर्वोक्त विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये संस्थान के आगरा मुख्यालय में समय-समय पर के विभिन्न विभागों की स्थापना की गई। वर्तमान में यहाँ निम्नलिखित अकादमिक विभाग स्थापित हैं-

7. अध्यापक शिक्षा विभाग

इस विभाग द्वारा हिंदीतर भाषी भारतीय शिक्षार्थियों और शिक्षण-प्रशिक्षणार्थियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं-

- हिंदी शिक्षण निष्णात (एम. एड. स्तरीय)।
- हिंदी शिक्षण पारंगत (बी. एड. स्तरीय)।
- हिंदी शिक्षण प्रवीण (डी.एड. स्तरीय)।
- त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा (नागालैंड के लिए)।
- विशेष गहन हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

8. अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी शिक्षण विभाग

इस विभाग द्वारा हिंदीतर भाषी विदेशी शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं-

(क) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण-पत्र।

(ख) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा।

(ग) हिंदी भाषा दक्षता एडवांस डिप्लोमा।

(घ) हिंदी भाषिक अनुप्रयोग दक्षता डिप्लोमा।

(ङ) हिंदी शोध डिप्लोमा।

9. अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग

इस विभाग द्वारा हिंदीतर भाषी विदेशी शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं-

- हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों का विकास।
- हिंदी भाषा और साहित्य में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान।
- हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का व्यतिरेकी और तुलनात्मक अध्ययन।
- प्रयोजनमूलक हिंदी संबंधी शोध कार्य।
- हिंदी का समाज भाषा-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन।
- हिंदी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान संचेतना का विकास।
- विशेषज्ञतापूर्ण शोधोन्मुखी शिक्षण परामर्श।

5.10. सारांश

इस समय तक हमारे देश में भाषा शिक्षण साहित्य केंद्रित रहा था। भाषा का प्रयोजन सामान्य जन संपर्क तथा साहित्य निर्माण व साहित्य - अध्ययन तक सीमित नहीं रहता। जैसे-जैसे समाज का विकास होता रहता है और जिन-जिन नये कार्य क्षेत्रों में समाज की गति विकसित होती है, उन-उन क्षेत्रों में भी भाषा विकसित होती है। साहित्य से इतर क्षेत्रों में विविध प्रयोजनों के लिए काम में आनेवाले भाषा रूप को, जो सामान्य भाषा रूप से भिन्न होता है, उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। राजभाषा से संबंधित पिछले इकाई में ही हिंदी के प्रमुख प्रकार्यों के अंतर्गत राजभाषा हिंदी से संबंधित संवैधानिक स्थिति का परिचय देते हुए उस के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी गयी है।

5.11. बोध प्रश्न

1. हिंदी भाषा के प्रमुख प्रकार्यों के बारे में बताइए।
2. राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को स्पष्ट कीजिए।
3. राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी शिक्षण योजनाएँ और केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के कार्यों के बारे में सोदाहरण रूप से लिखिए।
4. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में बताइए।

5.12. सहायक ग्रंथ

1. भाषाई अस्मिता और हिंदी: 1992 डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
2. राजभाषा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की दिशाएँ: 1994 डॉ. हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, नयी दिल्ली .

डॉ. एम. मंजूला

6. विविध समितियों का गठन-कार्यकलाप

6.0. उद्देश्य

राजभाषा हिंदी शिक्षण का एक लंबा इतिहास है। हिंदी शिक्षण के साथ भारत के अनेक राजाओं, संतों, विद्वानों, राष्ट्रीय नेताओं तथा राजनैतिज्ञों का अमूल्य योगदान जुडा हुआ है। 1857 के प्रथम-स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता आंदोलन के परवर्ती ऐसिहासिक घटनाओं को हिंदी विकास के साथ अलग करके देखा नहीं जा सकता। यह वही समय है, जब हिंदी को लोगोंने अपनी इच्छा और पूरी स्वतंत्रता से अपना कर 'राष्ट्रभाषा' के रूप में स्वीकार किया था। आधुनिक भारत के इतिहास में विदेशी शासन केखिलाफ लडाई करने में हिंदी एक महत्व पूर्ण संपर्क भाषा के रूप में सारे भारत वासियों केलिए विशिष्ट हथियार बनकर उभरी। इसके आधार पर ही जनभाषा हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। चूँकि स्वतंत्र भारतकी शसन प्रणाली प्रजातंत्रात्मक है, इसलिए मत प्रणाली से बहुमत के आधार पर हिंदी को संविधान में स्थान दिया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत की स्वतंत्र सरकार बनी और साथ ही साथ हिंदी-शिक्षण को देश व्यापीयों कहें तो विश्व व्यापी बना ने के प्रयत्न भी जोरों पर किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार की भाषा नीति के अनुसार हिंदी सीखना और सिखाना राजभाषा शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है और भारतीय सरकार का गृहमंत्रालय और राजभाषा विभाग इस कार्य केसाथ जुडे हुए हैं। इसने पथ्य में राजभाषा शिक्षण की विकास परंपरा पर ध्यान देते हुए विविध समितियों के गठन और उनके क्रिया कलापों पर चर्चा करना तथा हिंदी में कार्य करने की यंत्रगत सुविधाओं तथा मशीनी अनुवाद व अन्य साधनों पर प्रकाश डालना इस इकाई का लक्ष्य है।

रूप रेखा

6.**1**. प्रस्तावना

6.2. राजभाषा हिंदी का स्वरूप

- 6.**2.1**. केंद्रीय हिंदी समिति
- 6.**2.2**. संसदीय राजभाषा समिति
- 6.**2.3**. मंत्रालयों/ विभागों की सलाहकार समिति
- 6**. 2.4**. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
- 6.**2.5**. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और विभागीय
- 6.2.6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

6.**3**. राज भाषा नीति के कार्या न्वयन के पहलू

- 6.**3.1** प्रोत्साहन योजनाएँ
- 6.**3.2** राज भाषा कार्यान्वयन से संबंधित प्राथमिक अपेक्षाएँ
- 6.**3.3** हिंदी में कार्य करने की यांत्रिक सुविधाएँ और प्रशिक्षण
  - (अ) हिंदी में प्रौद्योगिकीसुविधा - केंद्रसरकारकीसेवाएँ
  - (आ) हिंदी में प्रौद्योगिकी सुविधा – गूगल

(इ) हिंदी में प्रौद्योगिकी सुविधा – माइक्रो सॉफ्ट
(ई) हिंदी में यांत्रिक सुविधा - क्विलपैड़
(उ) हिंदी में प्रौद्योगि की सुविधा – हिंदी शब्द मित्र
(ऊ) हिंदी में प्रौद्योगि की सुविधा – उडानटूल्स

6.4 सारांश
6.5 पाठ का लक्ष्य
6.6 बिध प्रश्न
6.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

6.1.प्रस्तावना

भारत एक बहु भाषी देश है। यहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती है। इन भाषाओं को बोलने वाले समाजों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने एवं भावात्मक एकता बनाये रखने में हिंदी का अत्यंत महत्व पूर्ण योगदान है। हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतीक है और अधिकांश जनता की मातृभाषा भी है। शिक्षा, कानून, प्रशासन, चिकित्सा, वाणिज्य, व्यवसाय, पर्यटन, दूर संचार आदि अनेक क्षेत्रों में भारतीयों को जोडे रखने में हिंदी का अत्यंत महत्व है। लेकिन हिंदी का संवैधानिक स्तर पर राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने का अपनाही अलग महत्व है। इससे यह इस बहु भाषी विशाल देश के संघ की राज भाषा घोषित की गयी और मत प्रणाली के बहुमत से ही यह कार्य संभव हो सका। हिंदी को राजभाषा बनाने में अहिंदी भाषी राजनैतिज्ञों तथा संत-विद्वानों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आज़ादी के बाद इतने बडे देश केलिए भाषा नीति को सुनिश्चित करने केलिए संसद ने बहुत चर्चा की और अनेक संस्तुतियों, वादोपवादों, तर्कों तथा विश्लेषणों के आधार पर संपूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति में हिंदी को सार्वजनिक समर्थन से बहुमत के आधार पर राजभाषा का गौरव प्रदान किया यथा: संविधान की अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भाग-17 के अनुच्छेद-343 के खंड-1 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। साथही, संघ के शासकीय प्रयोजनों केलिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप-ही-स्वीकृत है। खंड–2 के अनुसार, संविधान के लागू होने की तारीख से 15 वर्षों तक यानी दि.26 जनवरी, 1965 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। लेकिन, कथित अवधि के दौरान राष्ट्रपति महोदय संघके प्रशासनिक प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अलावा देवनागरी रूप के प्रयोग के लिए आदेश जारी करने का अधिकार होगा। खंड – 3 के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 343 (2) मेंदियेगये 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी विधि द्वारा अंग्रेजी एवं भारतीय अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग पर उपबंध लगाने का अधिकार होगा।

6.2. राजभाषा हिंदी का स्वरूप

राज भाषा हिंदी का स्वरूप सामान्य बोल-चाल हिंदी से अलग है और उसकी शब्दावली भी भिन्न है। अतः इस भाषा के प्रचार प्रसार तथा क्रियान्वयन के लिए संघ की राजभाषा नीति सुनिश्चित की गयी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय कृत बैंकों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रचार तथा विकास एवं संघके विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के साथ संघ सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में देख-रेख एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से

मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के स्तर पर विविध प्रकार की समतियों के गठन करने के संबंध में आदेशजारी किए गए । इस दिशा में गठित विविध समितियाँ और उनकी कार्य प्रणाली इस प्रकार हैं :

6.2.1 केंद्रीय हिंदी समिति :

मंत्रालयों/ विभागों में राजभाषा संबंधी समन्यव स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया । यह माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी के विकास, व्यापक स्तर पर उसका प्रचार तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोगार्थ गठित शीर्षस्थ समिति है । स्वयं प्रधान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे और उनकी अध्यक्षता में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम 1976 में किए गए उपबंधों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विविध प्रकार के निदेशों/ अनुदेशों की पृष्ठ भूमि में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में विविध मंत्रालयों/ विभागों की गति विधियों का समन्वय करती है । पूरे देश में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की संभावनाओं के साथ चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है । अतः, राज भाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देनेवाली यह समिति सर्वोच्च मानी जाती है । समिति में प्रधान मंत्रीजी के अतिरिक्त 08 माननीय केंद्रीय मंत्री (गृहमंत्रीजी उपाध्यक्ष, गृहमंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री-सदस्य), 06 राज्यों के मुख्यमंत्री, 04 संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 22 विद्वान कुल मिलकर 40 (चालीस) सदस्य होते हैं । पर सदस्यों की इस संख्या में बढोत्तरी हो सकती है । इस समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कारवाई की जाती है । वर्ष 1967 में इस की पहली समिति का गठन हुआ था। इसकी सर्व प्रथम बैठक दि.2 दिसंबर, 1967 को हुई थी । तत्पश्चात समय-समय पर इसका पुनर गठन होता रहा है ।

हालही में, अर्थात् अत्यंत निकट अतीत में केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन नवंबर 2021 में हुआ है । इस समित के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है – प्रधान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष और गृहमंत्री उपाध्यक्ष होंगे । सदस्यों का विवरण इस प्रकार है: गृह राज्यमंत्री यानी, गृहमंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, विधि और न्याय मंत्री, इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, महिला एवं बालविकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विदेश मंत्रालय एवं संसदीय कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री (असोम), मुख्यमंत्री (ओडिशा), मुख्यमंत्री (आंध्रप्रदेश), मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र), मुख्यमंत्री (कर्णाटक), मुख्यमंत्री (उत्तराखण्ड), उपाध्यक्ष-संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राज भाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक, संसदीय राज भाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक तथा सचिव, राज भाषा विभाग । इस प्रकार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित केंद्रीय हिंदी समिति के कुल सदस्यों की संख्या 21 बनती है । ध्यान देने का विषय यह है कि यह समिति हर तीन वर्ष में एक बार पुनर्गठित होती है ।

केंद्रीय हिंदी समिति का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी कामकाज में हिंदी प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा कार्या न्वित किये जा रहे कार्यों तथा कार्य क्रमों का समन्वय करेगी। अपने कार्य के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उप समितियाँ नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा। समिति के कार्य काल की अवधि उसके गठन से तीन वर्ष की होगी अर्थात्, 2024 तक प्रस्तुत हिंदी समिति विद्यमान रहेगी।

6.2.2. संसदीय राजभाषा समिति :

राजभाषा अधि-नियम, 1963 कीधारा 4 (1) केअधीनवर्ष 1976 में संसदीय राज भाषा समिति गठित की गई थी। समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। परंपरानुसार केंद्रीय गृहमंत्री अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। माननीय गृहमंत्री इसके अध्यक्ष है। धारा 4 (2) के अधीन लोक सभा के 20 और राज्य सभा के 10 यानी कुलमिला कर 30 सांसद इसके सदस्य हैं। इनका निर्वाचन क्रमशः लोक सभा के तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रति निधित्व पद्धति के अनुसार एक लसंक्रमणीय मत द्वारा होता है।

यह समिति संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। उस पर अपनी सिफारिशको प्रतिवेदन के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत करती है। मान्य राष्ट्रपति महोदय प्रतिवेदन को संसद के दोनों पठकों के समक्ष रखवाएँगे और साथ ही राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भी भिजवाएँगे। माननी यराष्ट्रपति प्रति वेदन पर प्राप्त मत के आधार पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रति वेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निदेशजारी किए जाएँगे। इस अवसर पर यह ध्यान रखा जाता है कि जारी किएजानेवाले निदेश राज भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के उपबंध से असंगत नहीं होंगे। अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए समिति द्वारा 3 उप समितियाँ गठित की गई। इन उप-समितियों में संघ के सभी मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय शामिल किए गए, जिससे राज भाषायी कार्यान्वयन का निरीक्षण सुगम हों।

पहली उपसमिति: रक्षा, विदेश, शिक्षा, गृह, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग। इसके अति रिक्त इस उप समिति को हिंदी शिक्षण योजना, तकनीकी एवं अन्य सुविधाओं, अनुवाद कार्य और हिंदी संबंधी स्टॉफव्यवस्था के बारे में निरीक्षण करना है।

दूसरी उपसमिति : रेलवे, संचार, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय आदि।

तीसरी उपसमिति : वित्त, पेट्रोलियम तथा रसायन, इस्पात तथा खान, ऊर्जा, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, श्रम, पर्यटन तथा नगर विमानन, परिवहन तथा नौवहन, संसदीय कार्य मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, महा सागर विकास विभाग, शहरी विकास मंत्रालय आदि (वेसभीविभाग, जो पहली और दूसरी उप समिति को आ बंटित नहीं हुए थे)

इन तीनों उप समितियों द्वारा अब तक विदेशों में स्थित कुछ कार्यालयों सहित लगभग 12,200 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार निरीक्षण संबंधी प्रति वेदन विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार, समिति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को अब तक प्रति वेदन के नौ

खंड प्रस्तुत किए गए । सभी नौ खंडों पर माननीय राष्ट्रपति के आदेश पारित किए गए । समिति तत्कालीन परिस्थिति के मद्देनजर अपनी सिफारिश पेश की । औपचारिकता के अनुसार उन संस्तुतियों पर गहन चर्चा के पश्चात प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मान्य राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से आदेश नौ खंडों में जारी किए गए हैं । उनमें से स्वीकृत संस्तुतियों का समग्र विवरण खंडों के तहत इस प्रकार हैं :

प्रथम खंड : जनवरी, 1987 को राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया गया है और दिसंबर, 1988 को राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए गए हैं । इस में शामिल मद :

I. अनुवाद संबंधी पदों का सृजन, अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा, अनुवाद संबंधी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों केलिए अलग संवर्ग का गठन आदि ।

II. अनुवाद की भाषा का स्वरूप ।

III. कोड, मैनुअल, फार्म का द्विभाषी मुद्रण और वितरण ।

IV. विधिक सामग्री में अनुवाद प्रशिक्षण ।

V. मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण ।

VI. राजभाषा नियम व अधिनियम के अनु पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ।

द्वितीयखंड : जुलाई, 1987 मेंप्रस्तुत प्रतिवेदन परमार्च, 1990 को राष्ट्रपति महोदय के आदेश पारित किए गए हैं, जिस में शामिल मद :

I. केंद्र सरकार के कामकाज में उपयुक्त अनुवाद व्यवस्था केलिए समुचित यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता

तृतीय खंड : फरवरी, 1989 को राष्ट्रपति आदेशों केलिए प्रस्तुत प्रतिवेदन पर नवंबर, 1991 में निम्न लिखित के अनुपालन हेतु आदेश पारित किए गए :

I. केंद्र सरकार के कर्म चारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण ।

II. हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन ।

III. देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थानों में हिंदी पढ़ाने की सुविधाएँ ।

IV. त्रिभाषासूत्र का कार्यान्वयन ।

V. भर्ती केलिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प ।

VI. कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल् ।

VII. राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा ।

VIII. प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण ।

चौथा खंड :नवंबर, 1989 कोप्रस्तुत प्रतिवेदन परजनवरी, 1992 में आदेश जारी किए गए, जिस के प्रमुख मद इस प्रकार हैं :

1. निरीक्षण तथा अनुवीक्षण।
2. अखिल भारतीय स्तर पर संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, कार्यशालाएँ आदि आयोजित करना।
3. गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियाँ।
4. हिंदी, हिंदी टंकण, हिंदी आशु लिपि में प्रशिक्षण।
5. हिंदी टाइपराइटर और अन्य यांत्रिक सुविधाएँ।
6. राज भाषा अधि नियम, 1963 कीधारा 3 (3) का अनुपालन।
7. राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, हिंदी सलाहकार स मितियों का गठन, बैठकों का आयोजन आदि ।
8. हिंदी में पत्राचार और तार; शब्द कोष, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की व्यवस्था।
9. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, शीर्ष और पत्र शीर्ष आदि।
10. रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियाँ।

पाँचवाँ खंड : मार्च, 1992 को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर नवंबर, 1998 में राष्ट्रपति महोदय के आदेश जारी किए गए।

- लोकसभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन।
- उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में राज भाषा नीति का अनुपालन।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में हिंदी भाषा का प्रयोग।
- उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक बकार्यों में हिंदी का प्रयोग।
- हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा।
- कानून की भाषा और विभिन्न न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की समीक्षा एवं मूल्यांकन।
- केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में राज भाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति के बारे में समीक्षा।

छठा खंड : नवंबर, 1997 को प्रस्तुत इस खंड पर सितंबर, 2004 को राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से आदेश पारित किए गए।

- केंद्र सरकार तथा राज्यसरकार के कार्यालयों में परस्पर पत्र व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा
- पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धन राशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीदने के बाद शेष राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए।

- अब तक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के विभिन्न खंडों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा।

सातवाँ खंड :मई, 2002 को संसदीय राजभाषा समिति ने राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और जुलाई, 2005 में इस पर आदेश जारी किए गए। इस में, सरकारी काम काज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रचार-प्रसार, हिंदी में प्रशासनिक व वित्तीय प्रकाशनों की उपलब्धता, विविध राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति , वैश्वी करण और हिंदी, एक चुनौती के रूप में कंप्यूटरी करण द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति आदिम दशा मिल किये गये हैं।

आठवाँ खंड : अगस्त, 2005 मेंयह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और जुलाई, 2008 को राष्ट्रपति महोदय के आदेश जारी किए गए। समिति ने क्र.सं.48 के तहत प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा संवर्ग की स्थापना के संबंध में सिफारिश की, जिस से पदोन्नति के अवसर मिलने की संभावना है। समिति द्वारा दी गयी इस सिफारिश को संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया है। संशोधन के साथ स्वीकृत करते हुए आदेश पारित किए गए है कि जहाँ संभव हो, वहाँ संवर्ग बनाया जाए तथा जहाँ संभव न हो, वहाँ पदोन्नति के लिए अन्य उचित व्यवस्था की जाए। ऐसे ही सिफारिश सं. 69 के तहत अंग्रेजी के अखबार में भी हिंदी के विज्ञापन देने के संबंध में बताते हुए सभी कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को द्विभाषी बनाने के संबंध में बताया गया। लेकिन राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को अस्वीकृत की। विज्ञापन में कुलराशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर खर्च किए जाने के संबंध में दी गई सिफारिश सं. 70 के प्रति आदेश दिया किइ ससंशोधन के साथ यह मान लिया जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुलराशि का एक निश्चित प्रतिशत कार्यालय अपने आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिये जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें। अन्य महत्व पूर्ण मद:

राज भाषा अधिनियम एवं नियमों के अनुसार हिंदी में पत्राचार, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित महा महिम राष्ट्रपति महोदय के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा और पुस्तकों की खरीद, कंप्यूट रीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की।

नौवाँ खंड :जून, 2011 को प्रस्तुत नौ वेंखंड पर मार्च, 2017 को राष्ट्रपति महोदय की मुहर से आदेश जारी किए गए। इस में कई मुद्दे उठाए गए। थोड़े व्यापक रूप से इस पर ध्यान केंद्रिय किया जाय :

स्वीकृत संस्तुतियों के कुछ बिंदु

- हिंदी का कार्य साधक ज्ञान न रखने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारियों को एक वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाय और नयी भर्ती के संदर्भ में भर्ती के तुरंत बाद ही प्रशिक्षण के लिए भेजा जाय। साथ ही प्रशिक्षण सामग्री को भी द्विभाषी में उपलब्ध किया जाय।

- किसी भी मंत्रालय/ विभाग में मूल पत्राचार का प्रतिशत घटने न पाए, बल्कि इस में वृद्धि हो।
- हिंदी में एक मानक फांट विकसित किया जाए। सभी कंप्यूटरों पर अविलंब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध की जाए और कंप्यूटर पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- राज भाषा नियम, 1976 केनियम 5 और अधिनियम 1963 कीधारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों के समक्ष उठाया जाएँ।
- राज भाषा संबंधी रिक्त पदों की भर्ती तुरंत की जाए। राज भाषा हिंदी संबंधी कार्य करने वाले कर्मियों को समान वेतन मान और पदोन्नति में समुचित अवसर प्रदान किया जाय।
- राज भाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार की दिशा में कार्य करें।

संसदीय राज भाषा समिति के द्वारा सूचित और राष्ट्रपति द्वारा आमोदित इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना सबके लिए अनिवार्य मापदंड है।

6.2.3 मंत्रालयों/ विभागों की सलाहकार समिति

भारत सरकार की राज भाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। संबंधित मंत्रालय/ विभाग के मंत्री महोदय इस के अध्यक्ष होते हैं और उनका गठन केंद्रीय हिंदी समिति (जिस के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं) की सिफारिश के आधार पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। हिंदी सलाहकार समिति के विभिन्न पहलुओं, कार्यों एवं गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या एवं नामांकन के बारे में राजभाषा विभाग के दि.11/15 मार्च, 1988 के कार्यालय ज्ञापन में विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। दि.4 मई, 1989 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों/ विभागों को हिंदी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बारे में स्पष्टी करण दिया गया था।

इस समिति का कर्तव्य है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना एवं परामर्श देना। 15 गैर-सरकारी सदस्य तथा मंत्रालय/ विभाग के अधिकारी इसके सदस्य हैं। सचिव, राजभाषा विभाग तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थाई रूप से आमंत्रित अधिकारी हैं। इसकी वैधता की अवधि तीन वर्ष है। समय – समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।

बैठकों के दौरान मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों व कार्यालयों में राज भाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा किया जाता है। इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी किये गये हैं। दि.30.03.2000 के अनुसार कार्यालय ज्ञापन सं.II/20015/9/2000-रा भा (नीति-2) के अनुसार आंकड़ों की समीक्षा तथा निष्पादन बढ़ाने की दिशा में आवश्यक सुझाव दिये गये हैं।

संसदीय राज भाषा समिति में सदस्यों के नामांकन के संबंध में भी निर्दिष्ट आदेश पारित किए गए हैं, ताकि समिति के गठन में पारदर्शिकता हो। मार्गदर्शी सिद्धांतों में सदस्यों के नामांकन के लिए पर्याप्त ज्ञान व अनुभव आदि के संबंध में स्पष्टी करण दिया गया।

6.2.4. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

राज भाषा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली केंद्रीय राज भाषा कार्यान्वयन समिति नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रालयों/ विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने की दिशा में उपाय सुझाना इस समिति के गठन का उद्देश्य है। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में राज भाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्च्त रस्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं। हिंदी के प्रयोग का क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में जब विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब समिति में उनमदों पर चर्चा की जाती है। विविध प्रकार के नये प्रस्तावों की व्यावहारिकता के विषय में व्यापक रूप से परि चर्चा की जाती है और अपेक्षित दिशा निर्देशों के साथ उनके कार्यान्वयन की दिशा में विविध प्रकार के उपाय भी सुझाए जाते हैं। इससे राजभाषा संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन भी अनिवार्यतः सुगम बन जाता है।

6.2.5 & 6.2.6 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन: दि.25.10.1969 को जारी का ज्ञा सं.5/69/69 रा.भा. द्वारा मंत्रालयों व विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन करने के संबंध में आदेश जारी किया गया था। विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव या उच्चतरस्तर के अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्य क्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाना इस समिति का कर्तव्य है। विभाग एवं संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं राजभषा विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। बैठकों में संबंधित कार्यालयों के आंतरिक काम काज में हिंदी के प्रयोग के विषय में चर्चा की जाती है और जो कमियाँ पाई जाती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। आगे, अप्रैल, 1976 में सूचित किया गया कि दिल्ली से बाहर की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के केंद्र हैं तथा उनके अधिकारी हैं, वहाँ इन बैठकों में योजना के अधिकारी व प्राध्यापकों को शामिल किया जाय। तत्पश्चात, जून, 1976 मेंस्पष्ट रूप से कही गई कि इन समितियों में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्ववयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने केलिए एक संयुक्त यमंच की आवश्य्कता महसूस की गई। उसी के परिणाम स्वरूप राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा. सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(का-1) के अनुसार नगर राजभाषा कार्यानयन समिति का गठन किया जाता है। राज

भाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से देश के उन सभी नगरों में जहाँ केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। इन समितियों की अध्ययक्षता नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत छठेखण्डं की सिफारिश सं.11.5.17 के अनुसार जिन समितियों की सदस्य खसंख्या 150 या इससे अधिक हो, उन्हें दो भागों में बाँटा जाए। स्वीकृत इस सिफारिश के अनुसार उपक्रमों और केंद्र सरकारी कार्यालयों/ बैंकों केलिए अलग-अलग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा रहा है। इनकी बैठकें भी अलग होती हैं।

नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी इसके अध्यक्ष होते है, जो राजभाषा विभाग द्वारा नामित किये जाते हैं। नामित किये जाने से पूर्व प्रस्तार वित अध्यरक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है। संसदीय राजभाषा समिति के सातवें खण्डध की सिफारिश सं. 16.5(ज) के अनुसार नगर में स्थित केंद्रसरकार के सदस्य-कार्यालयों के प्रमुख अनिवार्य रूप से इसके सदस्य होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भागलें। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा व समन्यवय सहित राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही संसदीय राजभाषा समिति के सात वें खण्ड की सिफारिश सं.16.5 (झ) के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यक कार्यालयों के प्रमुख को समिति के निर्णयों पर कार्य वाही की निगरानी व समीक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए।

समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्यक कार्यालय से एक हिंदी अधिकारी को उसकी सहमति से समिति के सदस्य व-सचिव के रूप में मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं। वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। समिति की बैठकें आयोजित करने केलिए राजभाषा विभाग द्वारा एक कैलेंडर रखा जाता है, जिसमें प्रत्येाक समिति की बैठक हेतु एक निश्चित महीना निर्धारित किया जाता है। इन बैठकों के आयोजन संबंधी सूचना समिति के गठन के समय दी जाती है और निर्धारित महीनों में समिति को अपनी बैठकें करनी होती हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वंयन कार्यालय के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि एवं हिंदी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। संसदीय राजभाषा समिति के सात वें खण्ड की सिफारिश सं.016.5(ढ) के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रत्येीक वर्ष राजभाषा समारोह/ संगोष्ठीक आयोजित की जानी चाहिए, ता कि राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी संबंधी कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, समस्याओं पर विचार-विमर्श करने, हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन करने केलिए प्रमुख नगरों में जहाँ 10 या उससे अधिक केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रतिनिधि इस समिति में रहते हैं। आज कल सार्वजनिक उपक्रम के लिए अलग और बैंकों केलिए अलग रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। उत्कृष्ट निष्पादन करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को क्षेत्रवार एक शील्ड से पुरस्कृत किया जाता है।

6.3. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के पहलू

किसी भी क्षेत्र में कार्यान्वयन की स्थिति जान ने केलिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। इस केलिए विविध स्तरों पर निरीक्षण केलिए योजना बनायी गयी। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रतिष्ठात्मक रूप से विविध मंत्रालयों, कार्यालयों व उपक्रमों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग के किसी भी क्षेत्र के या संबद्ध कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आगे, संबद्ध मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों एवं राजभाषा विभाग के प्राधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, स्थानीय तौर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त के अतिरिक्त संबद्ध कार्यालय व संगठन के मुख्यालय के राजभाषा अधिकारियों द्वारा राज भाषायी निष्पादन की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए निर्धारित मापदंड हैं। साथ ही, भारत सरकार द्वारा दि.16.04.1993 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.12021/1/92-रा भा (ख-2) के अनुसार निरीक्षण के दौरान निर्धारित मापदंड अद्यतन किए गए। इनमें पिछले निरीक्षण की जानकारी, निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई, कोड, मैनुअल, मानक प्रपत्रों आदि का गजातों की द्विभाषी उपलब्धता, पत्राचार में हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत, कार्यालय में कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति, उपलब्ध कंप्यूटर, द्विभाषी कंप्यूटरों की उपलब्धता, कंप्यूटर प्रशिक्षित और कंप्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, उक्त कार्यालय में उपलब्ध फाइलों पर हिंदी की स्थिति से लेकर पत्राचार तक, नामपट्ट से लेकर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन, कार्य सूची व कार्य वृत्त की तैयारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की उपस्थिति एवं कार्यकलापों में प्रति भागिता, कार्यशालाओं का आयोजन आदि से संबंधित कई मुद्दे शामिल किए गए हैं।

6.3.1 प्रोत्साहन योजनाएँ :

केंद्र सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के प्रति रुचि बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा विविध प्रोत्साहन योजनाएँ घोषित की गई। इन योजनओं में हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को

दिए जाने वाले प्रोत्साहन के साथ हिंदी में मूल काम करने वालों को दिये जाने वाले विविध योजनाएँ शामिल हैं। उनका विवरण इस प्रकार हैं :

(1) हिंदी प्रशिक्षण :

संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन की दिशा में केंद्र सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्व प्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में प्रारंभ किया गया। तदुपरांत, वर्ष 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया। तब से हिंदी शिक्षण योजना, गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकारी कार्यालयों में कार्यर तक कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकण और हिंदी आशु लिपि आदि में प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने वाले आशुलिपिकों तथा टंककों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता है। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने केलिए जारी आदेश सं. 13034/12/2009-रा.भा.(नीति) के अनुसार आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता कम से कम प्रति माह क्रमशः: 240/- रूपये व 160/- देने का प्रावधान है। यथा समय निर्दिष्ट कार्यालय व संगठन में लिये गये निर्णयों के अनुसार राशि में बढ़ोत्तरी का प्रावधान है। पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से यानी मौलिक रूप से कार्यालयीन कार्य हिंदी में करनेवाले कर्मियों को प्रति वर्ष/ प्रतिमाह नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। विविध कार्यालयों द्वारा संबद्ध नियमों के अनुपालन के क्रम में लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाता है। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने केलिए प्रोत्साहन योजना का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत आशु लिपिक की सहायता उपलब्ध अधिकारियों को डिक्टेशन देने के लिए प्रति वर्ष 200/- रूपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। सभी मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय अपने कार्यालय की प्रकृति के आधार पर इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु निर्णीत शब्द सीमा भी निर्धारित किया जाता है।

(2) विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरस्कार

दि.20.11.2019 का ज्ञासं.II 200/5/35/84-रा भा (क-2) को जारी आदेशों के अनुसार वैज्ञानिकों, तक नीशियनों और प्रचालन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में, जहाँ टिप्पण/ आलेखन, आशुलिपि/ टाइपिंग का मन हीं होता, किंतु हिंदी का प्रयोग होता है, ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और एक ही प्रकार के विशिष्ट प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम हिंदी में किये जाने पर, उन कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इनके अलावा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों का प्रावधान भी है। मंत्रालयों/ विभागों या संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त होने वाली वर्ष की चारों तिमाही प्रगति प्रति वेदनों के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप राजभाषा निति के सर्व श्रेष्ठ कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों को विविध श्रेणियों में राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है। इनके अंतर्गत विविध श्रेणियों में 300 से कम कर्मचारियों के विविध मंत्रालय/ विभाग; 300 से अधिक स्टॉफ वाले विविध मंत्रालय/

विभाग; बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अपने संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय, निगम और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कर्मचारी भी शामिल होंगे। राजभाषा के कार्यान्वयन के तहतइन के अलावा पत्र व पत्रिकाओं व आलेख केलिए पुरस्कार योजना भी उपलब्ध है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है :

- कार्यालयों/ संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिंदी गृह पत्रिकाएँ।
- राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत केंद्र सरकार के कार्मि कों (सेवा निवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन केलिए न कद के साथ प्रशस्ति पत्र।
- सभी नागरिकों के लिए राजभाषा गौरव ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन हेतु प्रशंसा पत्र के साथ नकद सहित पुरस्कार योजना ।
- केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवा निवृत्त सहित) को हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेख केलिए प्रशंसा पत्र के साथ नकद युक्त पुरस्कार योजना।

उपर्युक्त के अलावा प्रत्येक केंद्र सरकार के कार्यालय में प्रति वर्ष हिंदी दिवस/ हिंदी सप्ताह/ हिंदी पखवाड़ा आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर हिंदी कार्यान्वयन दिवस, समारोह, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ आयोजित किये जाते हैं। इस अवसर पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं और विजेताओं को बहु मूल्य पुरस्कार या अधिक मात्रा में नकद प्रदान किया जाता हैं।

6.3.2 राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित प्राथमिक अपेक्षाएँ

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हिंदी सीखनी चाहिए। इस दिशा में स्वैच्छिक रूप से कर्मचारियों को अभि प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसी पुरस्कार योजनाएँ लागू की गई। सरकार द्वारा न केवल प्रोत्साहन योजनाएँ लागूकी गयीं, बल्कि पूरे देश में प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध की गयीं। शायद, भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है, जहाँ देश की राजभाषा में कार्य करने केलिए नकद पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि अभी भी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को उसका स्थान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में, हिंदी के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सिर्फ राजभाषा विभाग को नहीं दिया जा सकता है। अतः, प्रत्येक व्यक्ति राजभाषा के अनुपालन में अपना दायित्व निभाएँ और राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में अपना योगदान दें। राजभाषा का सम्मान को देश का सम्मान मानें।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में कार्यालयीन अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे नजर अनुवाद की सु नियोजितव्यवस्था प्रदान करने हेतु आवश्यक शब्दावली की व्यवस्था करने केलिए भारत सरकारने निर्णय लिया। उसी क्रम में सर्व प्रथम वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की

स्थापना करके असांविधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन तदुपरांत राजभाषा हिंदी के कार्यान्यन का दायित्व गृहमंत्रालय पर होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृहमंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार, दि.1 मार्च 1971 को गृहमंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असां विधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया । अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली में एक रूपता सुनिश्चित करने केलिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी ब्यूरो को सौंपा गया। इस प्रकार ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रहा है। वस्तुत: केंद्रसरकार के स्तर पर अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण केलिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एक मात्र संस्था है । यह विविध चरणों में कर्मचारियों को कार्यालयीन अनुवाद में प्रशिक्षण देता है। दि.7 जुलाई, 2017 को अनुवाद प्रशिक्षण कई-लेर्निंगप्लेट फार्म का लोकार्पण किया गया। आशा है, इससे कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी कार्यालयीन अनुवाद का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्यालयीन कार्य में अधिकाधिक कार्य हिंदी में कर सकते हैं।

6.3.3 हिंदी में कार्यकरने की यांत्रिक सुविधाएँ और प्रशिक्षण

केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रचालन सार्वजनिक उपक्रमों में भारत सरकार के नियमों के अनुसार हिंदी का अनुपालन अनिवार्य है। कार्यालयों में विविध क्षेत्रों के कर्मचारी कार्य करते रहते हैं। उन में हिंदी या हिंदीतर क्षेत्रों के कर्म रहते हैं। हिंदीतर भाषी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के लिए काफी समय लगता है, जब कि हिंदी भाषी कर्म चारी के लिए बहुत कम समय पर प्रशिक्षण उपलब्ध किया जा सकता है। शायद संदेह हो सकता है कि हिंदी भाषी कर्मी को प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता हो सकती है। हाँ, आम तौर पर प्रशिक्षण सत्रों में ऐसे प्रश्न सामने आते रहते हैं। हिंदी भाषी कर्मी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना अपने लिए अपमान मानता रहता है। ठीक उसके विरुद्ध हिंदीतर भाषी का कहना है कि उस पर राजभाषा का नाम लेते हुए हिंदी का भार डाल रहे हैं। कार्यालयों में प्रदान किये जा रहे हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान देना होगा कि यह प्रशिक्षण कार्यालयीन कार्य के प्रति तैयारी है। हिंदी भाषी लोग भी अपने –अपने प्रदेश में प्रयुक्त शब्द से परिचित होते हैं, जब कि भारत सरकार ने कार्यालयीन स्तर पर प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में मान की करण को अपनाया। प्रदेश के विशेष शब्दों के प्रयोग से ज्यादात रलोग अनभिज्ञ होते हैं।इस से हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। अतः संगठनों को हिंदीतर भाषी कर्मियों के लिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले हिंदी प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ- साथ संगठन की प्रकृति के अनुसार संगठन में प्रयुक्त की जाने वाली विविध प्रकार की शब्दावलियों को तैयार करवाना चाहिए और हिंदी कार्यशाला, प्रशिक्षण, संगोष्ठी व सम्मेलन आदि के आयोजन के माध्यम से कर्मियों के बीच उन शब्दों के काफी प्रचार - प्रसार का अवसर प्रदान करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के

अनुसार प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में पूर्ण दिवसीय एक कार्यशाला आयोजित की जानी है। साथ ही, प्रति दो वर्षों में एक बार प्रत्येक कर्मी को कार्य शाला में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(अ) हिंदी में प्रौद्योगिकी सुविधा – केंद्रसरकार की सेवाएँ

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरतसी – डैक (पुणे) द्वारा भाषायी एकता के क्रम में बाईस भाषाओं में अपनी विभिन्न तकनीकी आयामों से वेबसाइटों, सॉफ्टवेयरों, रिपोर्टों आदि के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है। सी-डैक के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग को सरल व कुशल बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयरों द्वारा हिंदी भाषा को तकनीकी से जोड़ने का सफल प्रयास किया जा रहा है। इस के एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसग्रूप द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी सीखने के लिए लीला सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके माध्यम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठयक्रम असमी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती, नेपाली और कश्मीरी के द्वारा इंटरनेट पर सीखे जा सकते हैं। द्वि भाषी-द्वि आयामी अंग्रेज़ी-हिंदी उच्चारण सहित ई-महा शब्द कोश का भी विकास किया गया है। अनुवाद के लिए मंत्र सॉफ्ट वेयर भी उपलब्ध है।इसकी सहायता से अंग्रेजी से हिंदी में तुरंत अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के प्रयासों के फल स्वरूप 'कंठस्थ' नाम कमशीन - साधित अनुवाद प्रणाली का विकास भी किया गया। इसके अनुसार स्रोत भाषा के वाक्यों एवं लक्ष्य भाषा के उन वाक्यों के अनूदित रूप को एक फोल्डर में रखा जाता है। इस योजना के अनुसार अनुवादक द्वारा पूर्व में रखेग एफोल्डर की सहायता से नयी फाइलके अनुवाद के संदर्भ में उसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसकी और एक विशेषता यह है कि अन्य कंप्यूटर से प्राप्त करने एवं अन्य कंप्यूटर पर अपेक्षित फाइल भेजने की सुविधा भी है। इसके अतिरिक्त लीला हिंदी प्रवाह सॉफ्ट वेयर का भी विकास किया गया। यह वेब एवं मोबाइल आधारित एक कुशल स्व-शिक्षण प्रणाली है। मातृ भाषा के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति हिंदी सीखने के साथ भारत के सुविख्यात लेखकों और कवियों की चुनिंदा कहानियाँ और कविताएँ पढ़ सकते हैं।

कार्यालय स्तर पर राजभाषा के क्षेत्र में हिंदी कार्यान्वयन का निष्पादन अत्यंत महत्व पूर्ण है। इस दिशा में पार दर्शिता को बनाए रखने के लिए सी-डैक के सहयोग से ऑन लाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट विकसित की गई। इस से रिपोर्ट को निक्षिप्त बनाए रखने के साथ आवश्यकता के अनुरूप उसके पुनरीक्षण का भी अवसर मिलता है। ऐसे ही भारत देश में गठित लगभग 450 नराकासों (यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों)और उनकीग तिविधियों के बारे में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है।

(आ) हिंदी में प्रौद्योगिकी सुविधा - गूगल:

आज कल हर एक व्यक्ति गूगल से सुपरिचित है और इस केमाध्यम से विश्व से जुड़ा हुआ है। विविध भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र के अलावा, संगीत, साहित्य आदि सभी प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी इस के माध्यम से तत्काल पाया जा सकता है। वर्तमान परिवेश में गूगल के बिना सुगमता से जानकारी प्राप्त करना कठिन माना जा रहा है। गूगल की-बोर्ड के माध्यम से आसानी से कंप्यूटर पर विविध भाषाओं में कार्य किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए इस की सहायता से कंप्यूटर या मोबाइल पर वांछित पृष्ठ आसानी से खोलाजा सकता है। इस में व्यापक रूप से शब्दों को अर्थों के साथ उपलब्ध किया गया है।फल स्वरूप, इस में विविध शब्दों का अर्थ भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस के अलावा, इसके माध्यम से अनुवाद भी किया जा सकता है। विविध सॉफ्टवेय रद्वारा उपलब्ध होने वाले ऑनलाइन अनुवाद की तुलना में यह अनुवाद अधिक सार्थक और उपयुक्त साबित हो रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर पर वाइस टाइपिंग की भी सुविधा उपलब्ध की गई है। गूगल ट्रांस लेशनएप की सहायता से मोबाइल की सहायता से अंग्रेजी भाषा के फोटो कोत त्काल ही उसका हिंदी अनुवाद प्राप्त किया ज सकता है।

(इ) हिंदी में प्रौद्योगिकी सुविधा – माइक्रोसॉफ्ट

हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में माइक्रो सॉफ्ट का भी विशेष योगदान है। इससे हिंदी में काम करने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके माध्यम से संबंधित सहायक साहित्य तथा मार्ग दर्शक सूत्रों को हिंदी में उपलब्ध कराया गया है। बहुप्र चलित विंडोज़ विस्टा व विडोंज 7 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एम. एस. वर्ड, पावर-प्वाइंट, एक्सेल, नोट पैड, इंटरनेट एक्स-प्लोरर जैसे प्रमुख सॉफ्ट-वेयर में हिंदी में कार्य करने की सुविधा है। माइक्रो-सॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज़ इन पुटटूल भारतीय भाषाओं के लिए एक सरल टाइपिंग टूल है। यह कॉपी-पेस्ट के झंझट के बिना विंडोज के किसी भी एपली केशन में सीधे हिंदी में लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला एक वर्चु अलकी बोर्ड है।वस्तुतः, दिसंबर, 2009 में यह सेवा प्रारंभ की गई। यह टूल शब्द कोश आधारित ध्वन्यात्मक लिप्यांतरण विधि का प्रयोग करता है अर्थात रोमन में टाइप कि एहुए पाठ को अपने शब्द कोश से मिला कर लिप्यांतरित करता है तथा मिलते –जुलते शब्दों को इंगित करता है। यह शुरुआती हिंदी टाइप करने वालों केलिए काफी सुविधा जनक रहता है। इसके अलावा, लगभग 60 भाषाओं के बीच अनुवाद करने हेतु सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसकी और एक खासियत है कि हिंदी ऑप्टिकल कैरेक्टर के माध्यम से हिन्दी ओसी आर इनपुट कर के ओसी आर आउट पुट में पूर्व की सामाग्री को भी परिवर्तित किया जा सकता है।

(ई) हिंदी में यांत्रिक सुविधा- क्विलपैड़

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई. . आई. टी) मद्रास के शोधार्थी और कर्नाटक राज्य के राम प्रकाश हनुमंतप्पा द्वारा इस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। इस कीसहायता से स्थानीय भाषाओं में आसानी से टाइपिंग किया जा सकता है। वर्तमान में इस सॉफ्ट-वेयर के माध्यम से 162 लाख से अधिक शब्दों का टाइपिंग

किया जा चुका है। हिंदी टाइपिंग के प्रति संभावित गलतियों के संबंध में संकोच रखने वालोंको यह सॉफ्टवेयर बहुत ही उपयुक्त साबित हो रहा है।

(उ) हिंदी में प्रौद्योगि की सुविधा – हिंदी शब्द मित्र

भारतीय सूचना प्रौद्योगि की संस्थान, (आई.आई.टी) मुंबई के प्रोफेसर द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह हिंदी सिखाने और सीखने की एक डिजिटल सहायक सामग्री है। इसमें सी.बी.एस.ई, आई.सी.एस.ई और महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड के कक्षा वार एवं पाठवार शब्दों के पर्याय, वाक्य प्रयोग, लिंग आदि हिंदी ज्ञान के विविध स्तरों के आधार पर उच्चारण की सुविधा के साथ उपलब्ध किए गए। हिंदी व्याकरण के संदर्भ में कहा जाता है कि लिंगनिर्धारण एक महत्व पूर्ण और दुविधा जनक पहल है। इसके मद्दे नजर इस वेबसाइट में व्याकरण के अंश भी जोड़े गए हैं।

(ऊ) हिंदी में प्रौद्योगिकी सुविधा – उडानटूल्स

भारतीय सूचना प्रौद्योगि की संस्थान, (आई आई टी) मुंबई केद्वारा संसाधित 'उडान' (UDAN) भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी से प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित सामग्री को अनूदित करने का मशीनी अनुवाद टूल है। इस से हिंदी में भी आसानी के साथ अनुवाद किया जा सकता है किंतु यह प्रक्रिया थोडा मुश्किल है। ए. आई. सी. टी. ई द्वारा इस से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन सभी भारतीय भाषाओं में विविध प्रादेशिक केंद्रों में किया जा रहा है। इसके माध्यम से हिंदी में और तेलुगु, तमिल आदि विविध भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना आरंभ होचुका है।

इनके अलावा हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्धइ लैक्ट्रानिक संसाधनों की चर्चा संक्षेप में निम्नवत है-

विकीपीडिया :

वेबसाइट : बहुत सारे वेब पेज के संचित क्षेत्र ही वेब-साइट माना जाता है। अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रति दिन एक नयी वेब आज कल विकीपीडिया अत्यंत प्रचलित इंटरनेट साइट में से एक है। दुनिया भर के विविध ज्ञान, विज्ञान, सामान्य, संगीत, साहित्य, खेल, प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय समा विष्ट किए गए हैं। इस साइट में हमें किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें इच्छुक व्यक्तियों को विषय-वस्तु को अद्यत न करने की भी सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही विविध विषयों पर जानकारी अप-डेट करने का प्रावधान भी है।

निजीपत्रिका, रेडियो, टीवी : दुनिया में दिन-ब-दिन इंटर नेट के प्रयोक्ता की संख्या भी बढ़ रही है। इस सुविधा से विविध देशों में स्थित हिंदी भाषी लोगों को विज्ञान, मनो रंजन के साथ विकास के साथ जोड़ ने के लिए निजी पत्रिकाएँ, रेडियो, टी.वी आदि का महत्व पूर्ण योगदान है। यहाँ तक कि विविध महा विद्यालयों व विश्व विद्यालयों में भी अपने निजी एफ. एम रेडियो का संचालन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप हिंदी का व्यापक

प्रचार-प्रसार हो रहा है। इस दिशा में, soundcloud.com जैसे साइट किसी को भी अपनी निजी आवाज के साथ ब्लॉग यापा डकास्टच लाने की सुविधा प्रदान कर रही है। तात्पर्य यह है कि अपनी निजी रेडियो चैनल से सभी चीन विषयों पर व्याख्यान सहित विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचार तथा आडियो के रूप में विविध पुस्तकें की भी व्यवस्था की जा सकती हैं।

ब्लॉग: शुरुआत में वेब-साइट द्वारा ताजा खबर के साथ नियमित रूप से विविध विषयों की जानकारी प्रदान की जाती थी। तत्कालीन तकनीकी विशेषज्ञ, इंटरनेट के प्रति रुचि रखने वाले पत्रकार अपने वैयक्तिक विचारों को इंटरनेट के माध्यम से स्पष्ट करते थे। इस प्रकार शुरू की गई 'वेब-लॉग' प्रक्रिया, आगे चल कर 'ब्लॉग' के रूप में परिवर्तित हुई। सभी चीन परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन प्रौद्योगि की केसाथ बहुत सारी जानकारी उस में शामिल की जा रही है। फिलहाल इन के द्वारा विविध समाचार माध्यमों के बराबर सेवा प्रदान किया जा रहा है। यह सामाजिक माध्यमों के विकल्प के रूप में उभरा है, साथ ही नागरिक पत्र कारिता के लिए प्रमुख आधार है। हरेक व्यक्ति द्वारा अपने निजी ब्लॉग का सृजन व विकास किया जा सकता है। wordpress.com, blogger.com, medium.com आदि वे बसाइट की सहायता से निःशुल्क ब्लॉग का आविष्कार किया जा सकता है। उसमें अपने आलेख, विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

माइक्रो ब्लॉगिंग: सीमित अक्षरों में अपने मनो भावों को प्रकट करने की सुविधा प्रदान करने के आशय से माइक्रो ब्लॉग विकसित किए गए। इस में शब्दों के विपरीत अपने भावनाओं को चित्रों के रूप में प्रकटित करने की परंपरा ज्यादा प्रचलित हुई। twitter.com, tumblr.com जैसे साइट द्वारा मुफ्त में माइ क्रोब्लॉगिंग सेवाएँ प्रदान की जा रही है।

वीडियो : यूट्यूब के बारे में कहा जा सकता है कि यह हमारा अपना निजी टी.वी चैनल है। youtube.com, vimeo.com जैसी साइट में अपने वीडियो अपलोड करने और प्रचार- प्रसार करने हेतु मुफ्त में सेवा प्रदान की जाती है। इस में दैनंदिन जीवन के प्रत्यक्ष घटनाओं का भी प्रसार किया जाता है।

प्रथम बुक्स: रंग-बिरंगे चित्रयुक्त कहानी पुस्तकें बच्चों को आकृष्ट करती हैं। इसी प्ररि प्रेक्ष्य में, प्रथम बुक्स केस्टोरी वीवर का विकास किया गया है। इस साइट में 148 भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध की गई। करीब 18 लाख से ज्यादा लोग इस साइट का अनुसरण कर रहे हैं। इस में कहानियों के अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, चिकित्सीय आदि से संबंधित चित्र सहित पुस्तकें भी उपलब्ध की गई हैं। इसमें चयनित कहानी को हिंदी सहित विविध भाषाओं में अनूदित करके पढ़ने की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही 'प्रतिलिपि' नामक वेबसाइट में विविध अंग्रेजी और हिंदी सहित दस भाषाओं में रचनाएँ हैं। उपन्यास, हास्य, कविता, धारावाहिक आदि विविध प्रवृत्तियों की रचनाओं का प्रावधान है। लॉगिन करके इस में रचनाएँ अपलोड करने की सुविधा दी गयी है। साथ ही

आयोजित की जानेवाली साहित्यिक रचनाओं, अनुवाद संबंधी विविध प्रतियोगिताओं के इच्छुक व्यक्ति भी इस में भाग ले सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे कई प्रकार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक, वाट्सएप, ट्विट्टर, इनस्टाग्राम आदि के माध्यम से अपने मनो भावों को ऑडियो व वीडियोके रूप में किसी भी प्रकार के संदेह व संकोच के साथ अपनी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है और दूसरों के साथ बाँटा जा सकता है। इन माध्यमों का प्रयोग हिंदी भाषा-भाषी भी आसानी से कर पा रहे हैं और इससे हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है।

6.4. सारांश

अंतः कहा जा सकता है कि राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम सरकार के द्वारा अनवरत किये जाते हैं और सरकारी काम काज में हिंदी को बढावा देने हेतु कोई कसर बाकी नहीं छोडी गयी है। अतः देश वासियों, विशेष कर सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इन अवसरों का लाभ उठायें और राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन में सह भागी बन कर देश का मान बढायें। हम सबको चाहिए कि अंग्रेजी की जगह जहाँ तक हो सके, हिंदी का उपयोग करना चाहिए क्यों कि हिंदी देश को एकजुट करने वाली भाषा है। 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' अर्थात हमारी अपनी भाषा की उन्नति में ही सब तरह की उन्नति निहित है।

6.5. पाठ का लक्ष्य

इस पाठ के पठन के पश्चात् आप

- एक भाषा के रूप में हिंदी के विकास क्रम को जान सकेंगे।
- राजभाषा हिंदी की संकल्पना एवं स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के विविध पहलुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राज भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए संस्थापित विविध समितियों के गठन और उनके क्रिया कलापों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।
- संसदीय राज भाषा समिति सहित विविध राज भाषा समितियों की गति विधियों को विस्ता रपूर्वक जान सकेंगे।
- राज भाषा क्रियान्वयन से संबंधित प्राथमिक अपेक्षाओं से अवगत हो सकेंगे।
- हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्ध विविध यांत्रिक सुविधाओं तथा उन पर प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राज भाषा के प्रचार-प्रसार व कार्यान्वयन के संदर्भ में विविध समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राजभाषा के क्रियान्वयन के प्रसंग में उत्पन्न विविध समस्याओं के समाधान की खोज कर सकेंगे।

6.6. बोधप्रश्न

1. राजभाषा हिंदी की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालिए।
2. केंद्रीय हिंदी समिति की रूपरेखा की चर्चा कीजिए।
3. संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य तीन उप समितियों पर प्रकाश डालिए।
4. राज भाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित विविध समितियों का परिचय दीजिए।
5. नगर राज भाषा कार्यान्वयन समिति का लघु परिचय दीजिए।
6. राज भाषा समिति द्वारा प्रस्तावित विविध आदेशों की समीक्षा कीजिए।
7. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालिए।
8. राज भाषा हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्ध विविध यांत्रिक सुविधाएँ क्या हैं?
9. उपलब्ध सामग्री के आधार पर भारत सरकार की राज भाषा नीति पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
10. विविध कार्यालयों में हिंदी में प्रशिक्षण के अवसर क्या हैं? सोदाहरण समझाइए।
11. व्यक्तिगत रूप से आप हिंदी में टंकण कैसे करते हैं? यदि करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त टूल्ज का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
12. हिंदी में काम करने के लिए उपलब्ध इलैक्ट्रानिक सुविधाओं पर प्रकाश डालिए।

6.7. सहायक ग्रंथ

1. सामान्य हिंदी- व्यावहारिक हिंदी : 1992, डॉ. भोलानाथ तिवारीऔर ओम प्रकाश गाबा लिपि प्रकाशन, नयी दिल्ली।
2. हिंदी शिक्षण का इतिहास और विकास : 1996, डॉ. रामलाल वर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
3. भाषा शिक्षण : सिद्धांत और प्रविधि : 2010, मनोरमा गुप्त, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
4. हिंदी शिक्षण : नये भविष्य की तलाश : 2008, सं. शम्भुनाथ, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
5. भाषाई अस्मिता और हिंदी : 1992 डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
6. राज भाषा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की दिशाएँ : 1994 डॉ. हरि मोहन, तक्षशिला प्रकाशन, नयी दिल्ली

डॉ. नागेश्वर राव . दण्डिभोट्ला

7. प्रयोजनमूलक हिन्दी और राजभाषा

7.0. उद्देश्य

इस इकाई में आप जान पाएंगे

1. शासन संचालन तथा समाज की सेवा के रूप में सुयोग्य तथा परिपूर्ण दुभाषियों को तैयार करने में प्रयोजनमूलक हिन्दी के योगदान को समझना इस पाठ का मूल उद्देश्य है।
2. विभिन्न भाषाओं के मध्य प्रयोजनमूलक हिन्दी संपर्क सेतु का कार्य किस प्रकार निभाती है इसे समझना।
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी के साथ भाषा के विभिन्न रूपों शैलियों की जानकारी प्राप्त करना।
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी के माध्यम से हिन्दी द्वारा आदर्श अनुवादक तैयार करना।
5. हिन्दी भाषा के समन्वयात्मक स्वरूप से अहिन्दी भाषियों को परिचित कराना।
6. वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के अनुप्रयोग से परिचित कराना।
7. हिन्दी भाषा के अन्य व्यावहारिक पक्षों एवं दैनिक व्यवहार की भाषाई आवश्यकता की संपूर्ति का प्रयास करना।
8. साहित्येतर तथा व्यावहारिक क्षेत्रों में राजभाषा के उद्देश्यों को सफल करने के लिए निपुणता एवं कौशल्य को विकसित करना।

दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त हिन्दी शब्दावली तथा मानक पारिभाषिक शब्दावली का बोध कराना।

इकाई की रूपरेखा

7.1. प्रस्तावना

7.2. प्रयोजनमूलक हिन्दी

7.3. प्रयोजनमूलक हिन्दी की परिभाषाएँ

7.4. प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप

7.5. प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताएँ

7.6. राजभाषा

7.7. भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश

- 7.7.1. राष्ट्रपति अनुदेश 1952
- 7.7.2. राष्ट्रपति आदेश 1955
- 7.7.3. राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति के अनुदेश
- 7.7.4. शब्दावली को लेकर राष्ट्रपति के आदेश
- 7.7.5. शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रपति के आदेश
- 7.7.6. प्रशासनिक संहिताओं और साहित्य अनुवाद : राष्ट्रपति आदेश

7.7.7. हिन्दी प्रचार को लेकर राष्ट्रपति आदेश

7.8. वार्षिक कार्यक्रम

7.9. हिन्दी भाषा एवं हिन्दी टंकण/आशुलिपि

7.10. हिन्दी टंकण आशुलिपि

7.11. सेवाकालीन प्रशिक्षण

7.12. प्रोत्साहन

7.13. कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ

7.14. बोध प्रश्न

7.15. सहायक ग्रंथ

7.1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान में हिन्दी भाषा को केंद्रीय संघ राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, परंतु व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का बोल-बाला ज्यादा है। अंग्रेजी भाषा की राजनीति करने वाले नेता अंग्रेजी के पक्ष में कितने भी तर्क देते रहें लेकिन इस देश का सामान्य-जन एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का भाषिक संरचना, व्याकरण तथा अनुवाद के धरातल पर अध्ययन आज की एक परम आवश्यकता है। प्रयोजनमूलक, प्रयुक्तिमूलक तथा व्यावहारिक आदि संबोधनों से होनेवाला यह भाषिक अध्ययन ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के वास्तविक सिंहासन पर अधिष्ठित कराने का सही और सार्थक मार्ग बन सकता है। आज तक एक साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दी ने अपनी क्षमता का परिचय दिया और हिन्दी पर अविकसित होने का लांछन लगाने वाले तथा अंग्रेजी भाषा के समर्थकों की बोलती बंद की गयी है। इसलिए अब यह तर्क दिया जा रहा है कि एक कामकाजी भाषा के रूप में हिन्दी की प्रकृति क्लिष्ट और दुर्बोध्य है।

भाषा की क्लिष्टता उसकी प्रयुक्तिगत संरचना के साथ ही प्रयुक्ति मात्रा पर निर्भर होती है। इसलिए आवश्यक होता है कि विविध प्रयुक्ति रूपों में उसका व्यापक रूप में प्रयोग हो तथा प्रयोग के आधार पर ही अद्भुत समस्याओं का निराकरण हो। हम हमारी भाषा की अनिवार्यता और उसकी समस्या की परिचर्चाओं में ही मशगूल हैं। इससे मुक्त होना आवश्यक है। इसीलिए आज विविध विश्वविद्यालयों के हिन्दी के पाठ्यक्रमों में 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' को स्थान दिया जा रहा है।

7.2. प्रयोजनमूलक हिन्दी

प्रयोजनमूलक हिन्दी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में ली जाने वाली हिन्दी है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के विभिन्न रूपों से संदर्भित है। भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ इसके दो पक्ष हैं। पहला है सौंदर्यपरक अर्थात् आत्म और दूसरा पक्ष प्रयोजनमूलक है जो कि भाषा का वह तथ्यपरक रूप है, जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है ।प्रयोजनमूलक हिन्दी

(Functional Hindi)से तात्पर्य हिन्दी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्योन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी से है। यह हिन्दी केवल साहित्य की भाषा ही नहीं बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ऐसा होने से ही इसके विकास की दिशाएँ सुनिश्चित हो सकती है। इस प्रकार बहुआयामी प्रयोजनों की अभिव्यक्ति में सक्षम, व्यावहारिक एवं प्रशासनिक हिन्दी की स्वरूप ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है। आज प्रयोजनमूलक हिन्दी को देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर इसे सम्मानित किया है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आज इसने एक ओर कम्प्यूटर, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इन्जीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, ए. एम. आई. के साथ विभिन्न संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों, चिट्ठी-पत्री, लेटरपैड, स्टॉक-रजिस्टर, लिफाफे, मुहरें, नामपट्ट, स्टेशनरी, के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस-विज्ञाप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार, तीर्थस्थल, कल-कारखाने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं।

7.3. प्रयोजनमूलक हिन्दी की परिभाषाएँ

1. "जीवन की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है।"- **मोटूरि सत्यनारायण**
2. "साहित्यिक भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करती है तो प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रत्यक्ष व्यवहार।"- **डॉ. बापुरावदेसाई**
3. "जीवन-जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र, जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्ति इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल्य से समाज सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिन्दी कहा जाता है।"- **डॉ. विनोद गोदरे**।

7.4. प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसके बोलने व समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में यह तीसरे क्रम की भाषा है। यानी कि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः स्वाभाविक ही है कि विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा और भारत की अभिज्ञात राष्ट्रभाषा होने के कारण देश के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का व्यापक प्रयोग। भाषा सर्जनात्मक होती है जिसका विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है, जबकि प्रयोजन-परक आयाम का संबंध सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्ति-परक होकर भी समाज सापेक्ष होती है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयुक्त (Register) कहा जाता है –

वस्तुतः भाषा अपने आपमें समरूपी होती है, परंतु प्रयोग में आने पर वह विषम रूपी बन जाती है। इन्हीं प्रयोगगत भेदों के कारण कई भाषा भेद दिखाई देते है। प्रयोजनमूलक हिन्दी जब कार्यालयों, विज्ञान, विधि, बैंक, व्यापार, जनसंचार आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, तब उसमें कई भाषा भेद बन जाते हैं।

कार्यालयीन हिन्दी की शब्द सम्पदा और उसकी संरचना, जनसंचार की शब्द सम्पदा और उसकी संरचना में पर्याप्त भेद देखने को मिलता है। इस प्रकार 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' का विकास भाषा विज्ञान (Linguistics) की विशिष्ट शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान (Applied Linguistics) रूप में हुआ है। सामाजिक-व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के कारण ही इसे प्रयोजनमूलक कहा जाता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप गतिमान है। आवश्यकतानुसार यह अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। कार्यालय, व्यवसाय, संचार, राजनीति आदि क्षेत्रों में यही अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली पद रचना और वाक्य विन्यास है। इसका सरल सुबोध रूप विशिष्ट रचना प्रक्रिया और पारिभाषिक शब्दावली सरकारी कार्यालयों के कामकाज को संपन्न करने में सक्षम है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी की शैलियाँ, प्रवृत्तियाँ इसकी जीवंतता एवं गतिशीलता की द्योतक है। वहीं नवीन प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उन्नति इसके स्वरूप का विकास कर रहे हैं। डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी जी की इसके स्वरूप के संबंध में मान्यता है कि "प्रकार्य की दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा तथा साहित्यिक भाषा एक ही है, किन्तु इनके स्वरूप में मूल अन्तर यह है कि साहित्यिक भाषा में अर्थ बहुधा व्यंजनाश्रित और लाक्षणिक होता है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा अभिधापरक और एकार्थी होती है। साहित्यिक भाषा प्रायः अलंकारपूर्ण और अनेकार्थी होती है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा प्रायः अलंकार रहित, सीधी स्पष्ट और स्वतः पूर्ण होती है।"

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' के सात रूप माने हैं – 1. बोलचाल की हिन्दी, 2. व्यापारी हिन्दी, 3. कार्यालयीन हिन्दी, 4. शास्त्रीय हिन्दी, 5. तकनीकी हिन्दी, 6. साहित्यिक हिन्दी, 7. सामाजिक हिन्दी।

डॉ. दिलीप सिंह ने 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' के पाँच रूप माने हैं – 1. वैज्ञानिक और तकनीकी हिन्दी, 2. विधि की हिन्दी, 3. प्रशासनिक कार्यालयीन हिन्दी, 4. जनसंचार माध्यमों की हिन्दी, 5. वाणिज्य और व्यवसाय की हिन्दी।

भाषा मनुष्य के पास ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है। चूंकि भाषा का प्रयोग समाज में किया जाता है और समाज बहुमुखी होता है अतः भाषा में अनेकरूपता देखने को मिलती है। इसी अनेकरूपता के कारण भाषा में विभिन्न प्रकार के विकल्पन (Variations) दिखाई देते हैं। भाषा में प्राप्त होने वाले क्षेत्रीय, सामाजिक एवं प्रयोजनमूलक रूप भाषा विकल्पनों के ही उदाहरण हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ताओं द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप विकसित होते हैं।

भाषा विकल्पनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 'प्रयोक्ता सापेक्ष' तथा 'प्रयोग सापेक्ष'। प्रयोक्ता सापेक्ष विकल्पनों का कारण भाषा का प्रयोक्ता होता है। ये विकल्पन दो प्रकार के होते हैं- क्षेत्रीय विकल्पन तथा सामाजिक विकल्पन। क्षेत्रीय विकल्पनों का संबंध प्रयोक्ता के रहने के स्थान (भौगोलिक क्षेत्र) से होता है तथा भाषा के ये रूप 'क्षेत्रीय रूप' कहलाते हैं। सामाजिक विकल्पन उन भाषा विकल्पनों को कहते हैं जो प्रयोक्ता के

सामाजिक स्तर भेद के कारण दिखाई देते हैं। भाषा के ऐसे शब्दों को 'सामाजिक शैलियाँ' कहा जाता है। प्रयोग सापेक्ष विकल्पनों के केंद्र में 'भाषिक प्रयोग' होता है। इसको भी दो भागों में विभक्त किया जाता है – प्रयुक्ति सापेक्ष विकल्पन तथा भूमिका सापेक्ष विकल्पन। प्रयुक्ति सापेक्ष विकल्पन भाषा के वे भेद हैं जो भाषा के किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने पर सामने आते हैं। कार्यालयीन भाषा, तकनीकी क्षेत्र की भाषा, पत्रकारिता की भाषा आदि भाषा प्रयुक्ति रूप है। जहाँ तक 'भूमिका सापेक्ष विकल्पनों' की बात है इनका संबंध इस बात से है कि भाषा का प्रयोग करते समय प्रयोक्ता वक्ता की भूमिका का निर्वाह कर रहा है अथवा श्रोता की। देखा जाए तो भाषा वक्ता और श्रोता के बीच संवाद का ही परिणाम होती है।

इस प्रकार 'प्रयोजनमूलक हिन्दी के विभिन्न रूप' हिन्दी की प्रयुक्ति सापेक्ष विकल्पन हैं। ये वे रूप हैं जो अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अलग-अलग विषय क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होने के कारण विकसित हुए हैं। इनकी अपनी शब्दावली तथा संरचना विशिष्ट होती है तथा उसी प्रयोग क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकती है।

7.5. प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताएँ

प्रयोजनमूलक हिन्दी की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. **वैज्ञानिकता** – प्रयोजनमूलक शब्द पारिभाषिक होते हैं। किसी वस्तु के कार्य-कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2. **अनुप्रयुक्तता** – उपसर्गों, प्रत्ययों और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिन्दी की प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। इसलिए हिन्दी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है।
3. **वाच्यार्थ प्रधानता** – हिन्दी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। अतः ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है। अतः हिन्दी की वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता।
4. **सरलता और स्पष्टता**- हिन्दी की प्रयोजनमूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है, जो प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण है। प्रयोजनमूलक भाषा में अनेकार्थकता दोष है। हिन्दी शब्दावली इस दोष से मुक्त है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिन्दी एक समर्थ भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिन्दी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ है, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढल लिया है। आज प्रयोजनमूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिन्दी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं।

7.6. राजभाषा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपी में हिन्दी संघ की राजभाषा है और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है। संविधान में संसद को हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा को भी निरन्तर प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है। राजभाषा अधिनियम 1963 में भी हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरन्तर प्रयोग की अनुमति दी गयी है। इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कुछ विशिष्ट प्रयोजनों जैसे कि संकल्प, सामान्य

आदेश नियम, अधिसूचनाएं प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रशासनिक और अन्य रिपोट संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले कागज पत्र, लाइसेंस, परमिट, टेंडर नोटिस और टेंडर फार्म संविदाएँ और करारों आदि के लिए प्रयोग किया जाए।

जिस भाषा में किसी देश का राज-काज किया जाता है, उसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। यह तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी इस देश की राजभाषा रही । जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान में राजभाषा के प्रश्न पर पुनः विचार होने लगा, तब हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड- 1 में यह उल्लेख किया गया है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।' अंग्रेजी के स्थान पर एकदम हिन्दी को लाने में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आने की संभावना थी । उन्हें ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का व्यवहार उन सभी प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका व्यवहार संविधान पारित होने से पहले होता रहा था।

उस समय यह सोचा गया कि इस अवधि में हिन्दी इतनी सक्षम और सर्व स्वीकृत हो जाएगी कि उसका प्रयोग संघ के शासन, विधान, कार्य-पालिका तथा न्यायपालिका आदि में हो सकेगा। स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँच पाई और अंग्रेजी को सह-राजभाषा के रूप में आगे तक बनाए रखने की नीति अपना ली गयी। आज हिन्दी के साथ अंग्रेजी के भी प्रयोग की छूट है अर्थात् पत्राचार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है।

संघ की राजभाषा से तात्पर्य राज्य के तीन प्रमुख अंगों की भाषा से है – 1. विधान अंग (संसद), न्याय अंग (न्यायपालिका या अदालत), कार्य अंग (प्रशासन)। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। प्रदेशों के विधान मंडल अपने-अपने स्तर पर अपनी भाषा में काम करते हैं। इन सबसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि सभी विधायक निकायों के निर्णय देश की राजभाषा में उपलब्ध कराए जाए। न्यायपालिका को समन्वित करने के लिए आवश्यक है कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय देश की राजभाषा में अपना कार्य करें। इसी प्रकार से भारत सरकार के कार्यालय अपना कामकाज राजभाषा में ही करें। तीनों अंगों में भाषिक समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व देश की राजभाषा पर है और यह इसका प्रमुख प्रकार्य भी है।

7.7. भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश

भारतीय संविधान में हिन्दी का उल्लेख दो जगह हुआ है – 1 संविधान के अनुच्छेद 343 में (देवनागरी लिपि में लिखित संघ की राजभाषा हिन्दी) तथा 2. अनुच्छेद 351 में अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में भी हिन्दी का समावेश) हिन्दी के दोनों रूपों संघीय और प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है।

7.7.1. राष्ट्रपति अनुदेश 1952

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 27 मई 1952 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी भाषा और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया।

7.7.2. राष्ट्रपति आदेश 1955

इस आदेश में जनता के साथ पत्र-व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं, संसद में प्रस्तुत की जाने रिपोर्टों, सरकारी प्रस्तावों, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों, संधियों, करारों विदेशी सरकारों और उनके राजदूतों के साथ पत्राचार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्राचार आदि में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी भाषा के प्रयोग का प्रावधान किया गया है।

लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 7 फरवरी 1959 को पेश कर दी। उस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी – राष्ट्रपति का आदेश 1960

7.7.3. राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति के अनुदेश

1. राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इस योजना के दायरे से बाहर जाए बिनी स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है।
2. विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ राज्यों में शिक्षा और सरकारी काम-काज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अतः व्यवहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गयी है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई भी एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ न हो और कम से कम असुविधा हो।
3. 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिन्दी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के उपरांत जब हिन्दी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में ही चलती रहनी चाहिए।
4. संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करें तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक रहे।
5. अनुच्छेद 351 का यह उपबंध है कि हिन्दी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाए।

अनुच्छेद 344 के खंड (6) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं -

7.7.4. शब्दावली को लेकर राष्ट्रपति के आदेश

1. शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता यथार्थता और सरलता होनी चाहिए।
2. अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए, या जहाँ भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए।

3. सभी भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहाँ तक हो सके अधिकतम एकरूपता हो।
4. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केंद्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी भारतीय भाषाओं में जहाँ तक हो सके एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि वे इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सभी भारतीय भाषाओं को प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के लिए ऐसा स्थाई आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के विद्वान हों।

7.7.5. शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रपति के आदेश

1. अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों के अनुकूल शब्दावली का विकास / विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, कम से कम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएं, अर्थात् मूल शब्द वे होने चाहिए जो कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम आते हैं। उनसे उत्पन्न शब्द का जहाँ भी आवश्यक हो भारतीय करण किया जा सकता है।
2. शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध करने के विषय में सुझाव देना।
3. विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थाई आयोग का निर्माण ।

7.7.6. प्रशासनिक संहिताओं और साहित्य अनुवाद : राष्ट्रपति आदेश

1. इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।
2. शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करें। सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद सांविधियों के अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करें। इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों को शब्दावली में जहाँ तक हो सके एकरूपता रखी जाए।

7.7.7. हिन्दी प्रचार को लेकर राष्ट्रपति आदेश

1. आयोग के सिफारिश से यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहाँ ऐसी संस्थाएँ नहीं है वहाँ सरकार आवश्यक संगठन कायम करें।

2. शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करें कि हिन्दी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कैसी चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गयी दिशाओं में आगे कार्रवाई करें।
3. शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा, विज्ञान भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेशों के अनुसार हिन्दी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

7.8. वार्षिक कार्यक्रम

1. राजभाषा के प्रचार और प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह भी है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ ही नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधान की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
2. यह आवश्यक है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।
3. संबंधित मंत्रालय/विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिन्दी में छपवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।
4. हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षणों में न केवल तेजी लाई जाए बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी कार्मिकों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण/आशुलिपि का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित भी किया जाए।
5. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के कार्यालय नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निर्देशदें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों में कड़ाई में निपटा जाए।
6. केंद्र सरकार के कार्यालय केंद्रीय सेवाओं के अपने प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिन्दी में राजभाषा हिन्दी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन हिन्दी में करवाएं ताकि प्रशिक्षण के बाद अधिकारी सरकारी कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिन्दी में कर सकें। इस वार्षिक कार्यक्रम में क, ख, ग, क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्यतः हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में अनुपालन हेतु संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।
7. प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला का आयोजन कर सभी कार्मिकों को राजभाषा नीति की जानकारी दी जाए जिससे वे अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकें।

8. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिन्दी माध्यम में आयोजित करें।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करें।
10. मंत्रालयों/विभागों के संबंधित अधिकारियों व राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव) द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय-समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाए।
11. देश भर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त नराकास वेबसाइट (http//narakas.rajbhasha.gov.in) निर्माण किया गया है । सभी नराकास इस निशुल्क वेबसाइट पर अपना नराकास संबंधी डाटा (सूचना) साझा करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाने का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मच पर नराकास के सदस्य हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई उत्तम नीतियों के बारे में जानकारी पर विचार-विमर्श करके तथा उसका आदान-प्रदान करके अपनी उपलब्धियों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। समिति की वर्ष में दो बैठकों में व्यक्तिगत तौर पर सहभागिता करना अपेक्षित है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
12. देश के उन शहरों में नराकास से गठन के नियमानुसार प्रयास किए जाएं जहाँ अभी तक नराकास का गठन नहीं हुआ है।
13. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर राजभाषा विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से अपेक्षित है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही भेजें। यह प्रणाली विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।
14. मंत्रालय / विभाग अपने यहाँ हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन कर उनकी बैठकें नियमित आधार पर करना सुनिश्चित करें। इन बैठकों में मानवीय सदस्यों के विचारार्थ राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चैकलिस्ट को ध्यान में रखा जाए । यह चैकलिस्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.inपर उपलब्ध है । इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जाए। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिन्दी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस जानकारी संबंधी पूरा लिंक भी दिया जाए।
16. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिन्दी में काम किया जा सके।

17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुवाद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गे 'कंठस्थ'सॉफ्टवेयर/टूल का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा बार-बार किए जाने वाले कार्यों को इनमें फीड करें।
18. शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिन्दी संस्थान और सी-डैक, पुणे के सहयोग से 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह'को उन्नत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसका हिंदीतर भाषी लोगों द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।

7.9. हिन्दी भाषा एवं हिन्दी टंकण/आशुलिपि

आज हिन्दी भाषा एक व्यापक स्वरूप धारण कर चुकी है। जब हम हिन्दी की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि हिन्दी राजभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा सभी रूपों में अपना एक स्थान निश्चित कर चुकी है। इन भूमिकाओं से आगे निकलकर हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'अंतर्राष्ट्रीय भाषा' के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सभी भूमिकाएँ मिलकर भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्य का स्वरूप निश्चित करती है। विविध क्षेत्रों में भाषा के माध्यम से कार्य करना ही भाषा के प्रकार्यों में गिना जाता है। यदि किसी भाषा का प्रयोग समाज के विविध क्षेत्रों में नहीं किया जाता, तो वह भाषा संकुचित दायरों में ही बंध कर रह जाती है। जो समाज जितना अधिक विकसित होगा, उस समाज की भाषा भी उतनी अधिक समृद्ध होगी। वह भाषा शिक्षा का माध्यम होगी, प्रशासन की भाषा होगी तथा उस भाषा के माध्यम से आधुनिक यांत्रिक उपकरणों पर भी कार्य होगा। भाषा के सामान्य प्रकार्यों की अपेक्षा प्रयोजनमूलक प्रकार्य अपने में विशिष्ट होते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी के सामान्य प्रकार्यों तथा प्रयोजनमूलक प्रकार्यों में कुछ मूलभूत अंतर आप इस प्रकार देख सकते हैं।

7.10. हिन्दी टंकण आशुलिपि

कर्मचारी चयन आयोग पूरे भारत में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए हिन्दी आशुलिपिकों का चयन करने के लिए परीक्षा लेता है। इस परीक्षा के दो भाग होते हैं 1. लिखित परीक्षा 2. हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा। परीक्षा के लिखित भाग में दो प्रश्न-पत्र होते हैं – 1. सामान्य ज्ञान, 2. हिन्दी भाषा। जो उम्मीदवार इन प्रश्नपत्रों में आयोग द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम मानक प्राप्त करते हैं, उन्हें हिन्दी आशुलिपि में परीक्षा देनी होती है। हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में किए जाने वाले तीन आज्ञापन (डिक्टेशन) शामिल रहते हैं, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर, दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति और तीसरी 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो इस प्रकार के नियमानुसार होते हैं –

1. 120 शब्द प्रति मिनट, आज्ञापन की अवधि 7 मिनट और हिन्दी में प्रतिलेखन की अवधि 60 मिनट
2. 100 शब्द प्रति मिनट, आज्ञापन की अवधि 10 मिनट और हिन्दी में प्रतिलेखन की अवधि 65
3. 70 शब्द प्रति मिनट आज्ञापन की अवधि 10 मिनट और हिन्दी में प्रतिलेखन की अवधि 75

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में उन उम्मीदवारों में से हिन्दी टंकण भर्ती किए जाते हैं जिन्होंने मैट्रीक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिनकी आयु वर 17-25 वर्ष के बीच हो। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं 1) हिन्दी/अंग्रेजी भाषा 2) सामान्य ज्ञान। सफल उम्मीदवारों की 10 मिनट की अवधि की टंकण परीक्षा ली जाएगी। हिन्दी टंकण में लिए अर्हता की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट है।

7.11. सेवाकालीन प्रशिक्षण

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान नहीं है उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों की हिन्दी शिक्षण टंकण और आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता और मद्रास में स्थित हिन्दी शिक्षण योजना के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहे हैं। इस समय हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए 76 पूर्णकालिक और 61 अंशकालिक और हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के लिए 31 केंद्र कार्य कर रहे हैं।

हिन्दी शिक्षण योजना के अतिरिक्त गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन पर्यावरण भवन सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली में केंद्रीय हिन्दी संस्थान भी स्थापित किया गया है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. केंद्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि में नए भर्ती हुए कर्मचारियों का हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में पूर्णकालिक गहण प्रशिक्षण देना।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों और अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के व्यवस्था करना।

7.12. प्रोत्साहन

बारह महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि की राशि बराबर का वैयक्तिक वेतन प्रोत्साहन के रूप में जो इस प्रकार –

1. प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है।
2. उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण या प्रबोध अंतिम अपेक्षित परीक्षा निर्धारित की गई हैं।
3. इन सभी राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण या प्राज्ञ अंतिम अपेक्षित परीक्षा है।
4. जहां राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के केंद्र जार्य नहीं कर रहे हैं, वहाँ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित मैट्रीक के समतुल्य या इसके उच्चतर स्तर की हिन्दी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है।

7.13. कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि –

राजभाषा कार्यालयों में कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी अनुवाद के अलावा राजभाषा हिन्दी के अन्य कामकाज जैसे हिन्दी दिवस, हिन्दी पखवाड़ा मनाना, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना, गृह पत्रिका का संपादन करना, हिन्दी तिमाही बैठकों का आयोजन आदि राजभाषा निरीक्षण आदि कार्य करते हैं। राजभाषा अधिकारी एक राजभाषा अधिकारी हैं। अतः

राजभाषा विशेषज्ञ अधिकारी का मुख्य कार्य विभिन्न बैंकिंग परिचालन कार्यों में देश की राजभाषा के प्रयोग को बनाए रखना है। दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद भी राजभाषा अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक हैं।

यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

7.14. बोध प्रश्न

1. हिंदी के सामान्य प्रकार्यों तथा प्रयोजनमूलक प्रकार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिये ?

2. राजभाषा हिंदी के रूप में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट कीजिये ?

3. भारत सरकार के महत्वपूर्ण अनुदेशों पर प्रकाश डालिए .

4. राजभाषा हिंदी, सेवाकालीन प्रशिक्षण और वार्षिक कार्यक्रमों के बारे में बताइए।

7.15. सहायक ग्रंथ

1. प्रयोजनमूलक हिंदी, विनोद गोदरे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-1991।

2. प्रयोजनमूलक हिंदी और कार्यालयी हिंदी, कृष्णकुमार गोस्वामी, कलिंगा प्रकाशन, नई दिल्ली - 1992।

3. प्रयोजनमूलक हिंदी : चर्चा परिचर्चा, सं. र. ना. श्रीवास्तव, आगरा - 1974.

डॉ. सेनकांबळे पिराजी मनोहर

MODEL QUESTION PAPER

M.A. DGREE EXAMINATIONS

Third Semester – HINDI

Paper I – OFFICIAL LANGUAGE HINDI – I

Time : Three Hours Maximum : 70 Marks

राजभाषा हिन्दी हिन्दी - I

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

(5x14=70)

1. (a) भारत सरकार की राजभाषा - नीति को स्पष्ट कीजिए ।

अथवा

(b) भारत में राजभाषा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।

2. (a) राजभाषा नियम 1976 में उल्लेखित अंशों पर प्रकाश डालिए ।

अथवा

(b) भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों और राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों का परिचय दीजिए ।

3 (a) राजभाषा-नियम, 1963 में उल्लेखित अंशों पर प्रकाश डालिए ।

अथवा

(b) हिन्दी में तकनीकी सहबड़वाली का निर्माण करने में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए ।

4. (a) राजभाषा-नीति के अनुपालन में विभिन्न समितियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए ।

अथवा

(b) राजभाषा के रूप में हिन्दी की योग्यता और विविध क्षेत्रों में उसके प्रचार-प्रसार में उत्पन्न समस्याओं पर विचार कीजिए।

5. (a) किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए।

(I) हिन्दी शिक्षण योजना।

(ii) राजभाषा संकल्प, 1968 .

(iii) केन्द्रीय हिन्दी समिति।

(iv) राजभाषा विभाग।

अथवा

(b) किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए।

(I) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

(ii) केन्द्रीय अनुदान ब्यूरो।

(iii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

(iv) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय।